खण्ड-465, अंक-5
मंगलवार, 26 आषाढ़, शक संवत् 1929
(17 जुलाई, 2007 ई0)

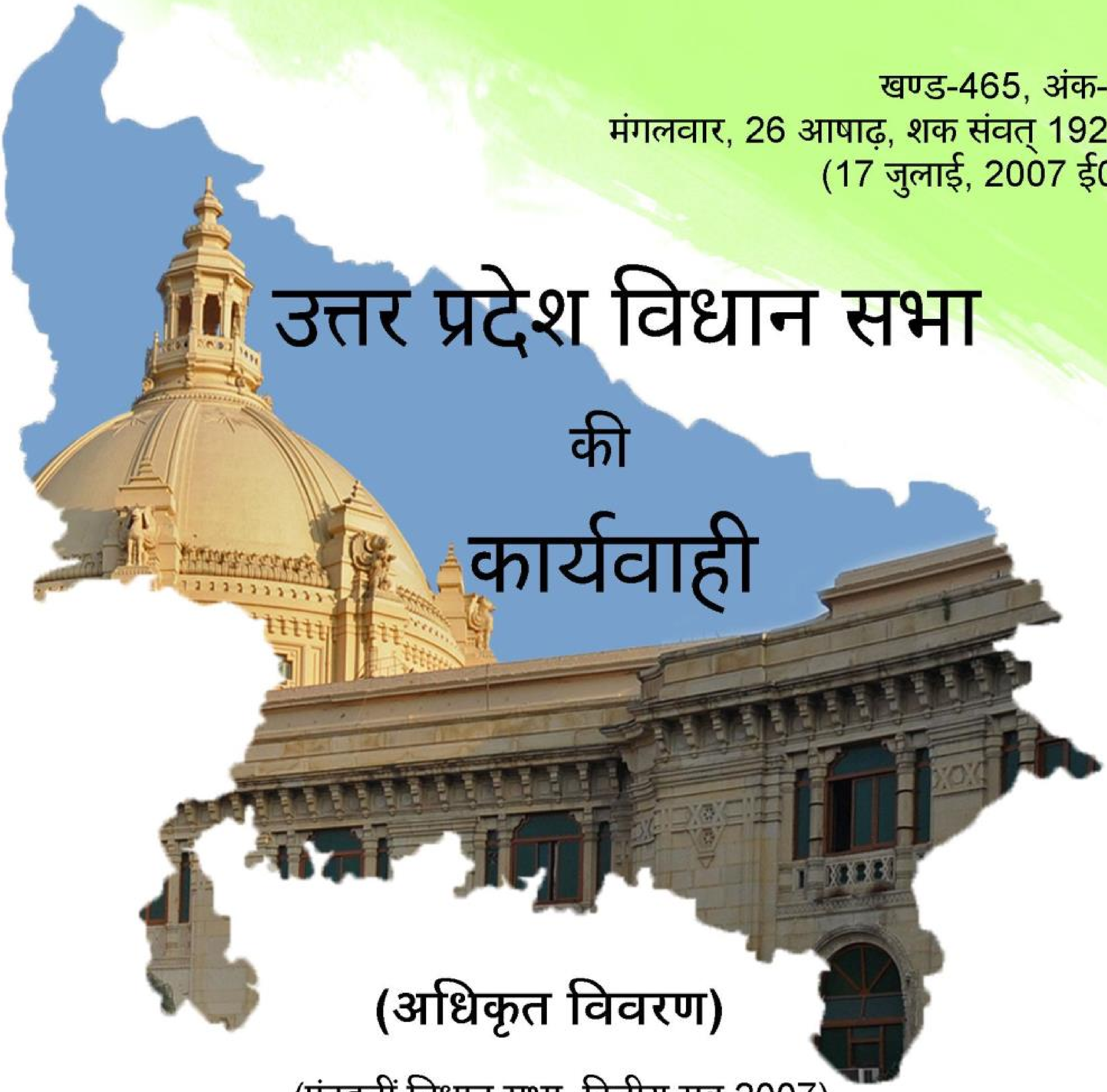

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2007)

खण्ड 465 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2007

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-छ
सीतापुर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1-31
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	32-33
गौतमबुद्धनगर में नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों की अधिग्रहीत भूमि के एवज में परिवार के एक सदस्य को नौकारी दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33
गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत किसानों की खड़ी फसल को जंगली जानवरों आदि से बचाने हेतु वन सीमाओं को चारों तरफ से तार के बाड़ से घिरवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	34
सुल्तानपुर के इसौली क्षेत्रान्तर्गत तिरहुत तथा देहली बाजार में निर्मित पानी की टंकियों से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	34
मेरठ मण्डी परिषद् के अधिकारियों द्वारा देशी घी का व्यापार करने वाले व्यापारियों को अनावश्यक रूप से किये जा रहे उत्पीड़न को रोकने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	35
रामपुर के विलासपुर क्षेत्रान्तर्गत पुराने जर्जर तहसील भवन पर नया निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	35-36
सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय नहरों से पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	36
लखनऊ के मोहल्ला कृष्णलोक नगर, फैजुल्लागंज द्वितीय के बीचोबीच से 11000 विद्युत पावर की लाइन को हटाकर सड़क के किनारे लगवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	36
आजमगढ़ सदर क्षेत्रान्तर्गत ओहिनी माइनर तथा गद्दी माइनर में टेल तक पानी पहुंचाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	37

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत सिसौली तिराहा से जलालपुर कस्बा मार्ग ध्वस्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	37
इलाहाबाद में गंगा नदी में गन्दे नालों एवं रासायनिक पदार्थों के प्रभाव को रोकने के लिये अविलम्ब ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	37-38
सिद्धार्थनगर के थाना त्रिलोकपुर अन्तर्गत ग्राम नकत्थर देवरिया तथा देवगंजपुर में बालिकाओं के साथ कथित बलात्कार की जांच कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	38
शाहजहांपुर के पुवायां क्षेत्रान्तर्गत शिवजी महाराज सुनासिर नाथ मन्दिर मेला सुरक्षित स्थान पर भू-माफियाओं द्वारा किये गये कब्जे को हटवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39
सीतापुर में तहसील लहरपुर के ग्राम साहपुर एवं तहसील बिसवां अन्तर्गत ग्राम सरैया भटपुरवा के मजरा भटपुरवा में किये आधे-अधूरे विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण कराने एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	39
गोरखपुर के धुरियापार क्षेत्रान्तर्गत उरुवा बाजार कस्बे की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	39-40
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	40
उत्तर प्रदेश विधान सभा में विगत दिवसों में कतिपय सदस्यों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक के अनुदानों पर चर्चा एवं प्रदेश की अन्य समस्याओं के विषय में चर्चा न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	40-53
शासन द्वारा शासनादेश जारी किये जाने के बावजूद भी प्रदेश में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा वाहनों पर लाल/नीली बत्ती का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	53-55
जनपद जौनपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 छोटई यादव के आश्रितों का नाम तहसील केराकत के राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर अभिलेख उनके आश्रितों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	55

विषय	पृष्ठ-संख्या
दिनांक 10 जुलाई, 2007 को नियम 51 के अन्तर्गत सदन में नगर विकास मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में उल्लिखित प्रतिबन्धित दवाई का प्रयोग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का उल्लेख न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	55-60
दिनांक 10 जुलाई, 2007 को बैंक मैनेजर श्री मुकुल गुप्ता की हत्या के सम्बन्ध में उठाये गये बिन्दुओं पर पुलिस द्वारा घटना की रिपोर्ट न लिखने एवं गलत सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	60
जनपद सिद्धार्थनगर में उस्का सौहास मोहाना मार्ग पर पक्का पुल बनवाने हेतु स्वीकृत धनराशि अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	60
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) विधेयक, 2007 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)...	60-61
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् के संशोधनों सहित सदन के पटल पर रखा गया) ...	61
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	61-62
बैंक मैनेजर, श्री मुकुल गुप्ता की हत्या विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना को पुनः उठाने का प्रयास	62-63
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) ...	63-64
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	64-74
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए दिनांक 17-7-2007 से लेकर दिनांक 24-7-07 तक की अनुदान मांगों को आज ही लिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव (स्वीकृत)	74-75
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-04, 09, 14 लगायत 19, 22 लगायत, 26, 28, 30 लगायत 36, 38 लगायत, 42, 47 लगायत, 48, 67 लगायत 68, 71 लगायत, 73, 75, 78 लगायत, 79, 82, 84 लगायत 87, 91 तथा 95 लगायत 96 (स्वीकृत)	75-80
सदन को एक घण्टा स्थगित करने के लिये अनुरोध ...	80-81

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	81-82
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2007 (पुरःस्थपित एवं पारित) ...	82-90
उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (संरक्षण एवं अनुरक्षण) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित)	91
प्रक्रिया नियमावली के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए उ0प्र0 डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (संरक्षण एवं अनुरक्षण) विधेयक, 2007 के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	91
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् के संशोधन सहित पारित)	91-92
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित) ...	92-94
उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (संरक्षण अनुरक्षण) विधेयक, 2007 (पारित)	94-100
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 (पुनः पारित)	100
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 (पुनः पारित) ...	101
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित)	101-102
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित) ...	102-103
उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित)	103-104
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	104-105
जनपद बलिया में सहावार नगर पंचायत के समीप गौरा में करोड़ों रुपये की लागत से वर्षो पूर्व निर्मित महिला अस्पताल में स्टाफ की नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शिव शंकर चौहान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य...	105-106
आगरा जनपद में आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग की जर्जर स्थिति होने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण, गन्ना एवं आवास मंत्री का वक्तव्य ...	106-107

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद उन्नाव के ग्राम परसरिया में बन रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य रोकने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुन्दर लाल लोधी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	107-109
जनपद सिद्धार्थनगर में लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग के 11वें किलोमीटर से 24वें किलोमीटर तक की जर्जर स्थिति तथा स्वीकृत धनराशि के बावजूद मरम्मत कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण, सिंचाई, गन्ना एवं आवास मंत्री का केवल वक्तव्य	109-111
जनपद गोरखपुर के थाना व ग्राम बेलाघाट के एक बच्चे के अपहरण की घटना की प्राथमिकी गुमशुदी में दर्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	111-112
जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा अनूप शहर शाखा नहर की पटरी पर सड़क निर्माण में अधोमानक के विरुद्ध कार्य की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य ...	113
प्रदेश में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मुख्य सेविका के पद पर नियमित किये जाने हेतु सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण होने के बावजूद आशायित आदेश निर्गत न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सनातन द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री का केवल वक्तव्य	114
कारागार में निरुद्ध सदस्यों को सत्रावसान तक रोके जाने हेतु श्री प्रमोद तिवारी का मा0 अध्यक्ष से अनुरोध	114-115
सदन संचालन में सहयोग हेतु सभी सर्दस्यों आदि को श्री अध्यक्ष का धन्यवाद ..	115-122
सदन को अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	123
राष्ट्रगान	123
नत्थी	124-132

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 17 जुलाई, 2007

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य 368

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान, श्री	मुरादाबाद
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय पाल सिंह, कुंवर	रायबरेली
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री	फैजाबाद
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द सिंह, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार, श्री	औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर0 के0 शर्मा, पण्डित	बरेली
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल, श्री	बिजनौर
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उपेन्द्र तिवारी, श्री	हरदोई
उमलेश यादव, श्रीमती	बदायूँ
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
कादिर राणा, श्री	मुजफ्फरनगर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खाँ, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि प्रसाद, श्री	सोनभद्र
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार, श्री	बस्ती
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
दद्दन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दाउद अहमद, श्री	[illegible]
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
दीप नारायण सिंह, श्री	झाँसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनीराम, श्री	औरैया
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री	बदायूँ
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी, चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दूबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रूखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री	शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेमलता देवी, श्रीमती	अलीगढ़
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिमलेश सिंह, श्रीमती	अलीगढ़
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुस्लिम खाँ,	बदायूँ
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्तरविदासनगर(भदोही)
रघुनाथ प्रसाद शंखवार, श्री	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राजकिशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, श्री	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम विशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टंडन, श्री	लखनऊ
लाल जी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लाल जी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विजय कुमार उर्फ	
विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शिनोद कुमार शाक्य	बदायूं
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	सोबरन सिंह, श्री	[illegible]री
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	हरगोविन्द भार्गव, डा0	स[illegible]पुर
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ	हरपाल सिंह, श्री	मुरा[illegible]ाद
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच	हसरत उल्ला, श्री	[illegible]टा
सुशील कुमार शर्मा, श्री	चन्दौली	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फ[illegible]र
सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा	होराम सिंह, श्री	गौतमबुर[illegible]र

नोट–आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उ[illegible] मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी), भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू [illegible] कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सीतापुर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री राधेश्याम जायसवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राधेश्याम जायसवाल-

मान्यवर, सीतापुर में लगातार गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाये जा रहे हैं। अतिक्रमण के नाम पर उनको सताया जा रहा है। इस पर अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था नहीं है जीरो आवर में आप अपनी बात कहिये।

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बुन्देलखण्ड में गिरते जल स्तर के संरक्षण की योजना

*1-श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

क्या लघु सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड में गत पांच वर्षों में भूमि जलस्तर नीचे चला गया है ? यदि हां, तो क्या बुन्देलखण्ड में जल संरक्षण के लिये कोई विशेष योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री लखीराम नागर)-

जी हां।

गिरते हुए भूजल स्तर के दृष्टिगत वर्षा जल संरक्षण एवं भूजल रिचार्ज हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र सहित प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग, आवास विभाग, कृषि विभाग, लघु सिंचाई विभाग, जल निगम, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों के जीर्णोद्धार/निर्माण, चेकडैम का निर्माण, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि कार्य कराये जा रहे हैं।

उक्त के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों, जिसमें बुन्देलखण्ड क्षेत्र भी सम्मिलित है, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'आदर्श जलाशय योजना' भी आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तालाब/जलाशय का निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य श्री प्रदीप जैन "आदित्य" उपस्थित नहीं हैं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, हमें इसमें इंटरेस्ट है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बैठिये, माननीय सदस्य नहीं हैं।

प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण की योजना

*2-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या के नियंत्रण हेतु कोई विशेष योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (ठाकुर जयवीर सिंह)-

जी हां।

प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी को एक समय सीमा के अन्तर्गत नियंत्रित करने तथा प्रदेश के जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्रदेश की अपनी जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में प्रख्यापित की गयी है, जिसमें चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं, निजी तथा ओद्योगिक इकाइयों के प्रयास से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाने की कार्यवाही की जा रही है।

इस हेतु प्रदेश में गुणवत्ता परक परिवार कल्याण सेवाओं की जनमानस तक पहुंच बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम भारत सरकार की सहायता से संचालित किया जा रहा है, जिसके मुख्य घटक निम्न हैं :--

1-मातृ मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम।

2-शिशु मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से शिशु एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम।

3-सकल प्रजनन दर कम करने के उद्देश्य से जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम।

4-किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम।

प्रश्न नहीं उठता।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से कि जो जनसंख्या नीति प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2000 में बनाई गई इस नीति के तहत प्रदेश में जनसंख्या को रोकने के लिये काम किया जा रहा है। तमाम भत्ते और जो खर्चे हैं वह इस नीति के तहत कर रहे हैं और उसका कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा है जिसके कारण जनसंख्या

निरन्तर बढ़ती जा रही है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है तो सरकार इसे रोकने पर कोई कारगर कदम उठाने पर विचार करेगी ताकि जनसंख्या नियंत्रण हो सके।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक जो भी प्रयास किये जा रहे हैं उसमें जनसंख्या नियंत्रण में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो पा रहा है बल्कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जो प्रदेश सरकार ने नीति बनाई है उस नीति के तहत जनसंख्या रुक नहीं पा रही है लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो इस जनसंख्या को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ? मान्यवर, तमाम लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न करिये।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, प्रश्न मेरा यह है कि जनसंख्या को रोकने में सरकार क्या कदम उठायेगी ? क्या इसको बन्द करके सरकार कोई और नीति लायेगी जिससे जनसंख्या नियंत्रण लागू हो सके ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

मान्यवर, आम जनमानस में इस धारणा एवं भावना की जागृति पैदा करनी होगी कि जन्म लेने वाली संतानें एवं जननी स्वस्थ एवं सुरक्षित रहेगी। मान्यवर, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिये सकल प्रजनन दर कम करने के उद्देश्य से, जनसंख्या स्थिरीकरण के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। समस्त ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, जिसके अन्तर्गत मातृ स्वास्थ्य एवं शिशु स्वास्थ्य, आर0टी0आई0, एस0टी0आई0 व गर्भ निरोधन सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। चयनित 7000 उपकेन्द्रों पर प्रतिमाह एक कापर-टी, 380ए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पुरुषों की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से बिना चीरा-बिना टांका पुरुष नसबन्दी पर विशेष बल दिया जा रहा है। समस्त स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों पर स्थायी गर्भ निरोधन विधियां ओरल पिल्स, कंडोम की सर्वसुलभता.....

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि सरकार ने जो नीति बताई है, इस नीति से प्रदेश में जनसंख्या की बढ़ोत्तरी नहीं रुक रही है। माननीय मंत्री जी आप इतना ही बता दें कि इस समय प्रदेश में जनसंख्या की बढ़ोत्तरी कितने प्रतिशत है और पूरे देश की कितने प्रतिशत है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय अग्रवाल साहब, सोलंकी जी [illegible] न किया, अभी उसका उत्तर आया नहीं और आप दूसरा प्रश्न कर रहे हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, उन्होंने यह प्रश्न पूछा कि जो आपने नीति बनाई, जो माननीय मंत्री जी उत्तर में बता चुके हैं और जिसे दुबारा पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस नीति से जनसंख्या वृद्धि नहीं

रुकी है तो हम जानना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिये कौन सा कारगर तरीका अपनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, जिस नीति को आपने बताया कि इस नीति के अन्तर्गत बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिये हमारे सब कार्यक्रम हैं, माननीय सोलंकी जी का पूछना है कि इस नीति के आधार पर अभी बहुत लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई है तो क्या इस पर और कड़ाई से विचार करेंगे और क्या करेंगे, वह माननीय सोलंकी साहब जानना चाहते हैं ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

मान्यवर, जनसंख्या नियंत्रित करने के लिये अबाध गति से बढ़ रही जनसंख्या पर नियंत्रण पाने, विकास की गति तेज करने तथा प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के उद्देश्य से जिस नीति के बारे में इन्होंने पूछा है, उस नीति को मैं बता दूं। दिनांक 11-7-2000 को प्रदेश की जनसंख्या नीति घोषित की जा चुकी है। जो भारत सरकार द्वारा फरवरी, 2000 में घोषित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के लगभग अनुरूप है। प्रदेश की जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2016 तक सकल प्रजनन दर को 2.1 के स्तर तक लाना हैं ताकि सन् 2051 तक जनसंख्या को 44 करोड़ के बजाय 26 करोड़ पर स्थिर किया जा सके। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जनसंख्या वृद्धि का कारण भी क्या है। इसमें हम सब लोगों को दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर, चाहे विधान सभा के मेम्बर हों, चाहे पार्लियामेंट के मेम्बर हों, चाहे जनमानस हों, सबको मिलकर इस दिशा में प्रयास करना होगा कि जनसंख्या नियंत्रित करने के लिये सार्थक प्रयास किये जायें। जनसंख्या वृद्धि के भी तमाम ऐसे कारण हैं जैसे जन्म दर पहले 38.6 प्रति हजार थी, लेकिन अब जन्म दर घटी है 30.4। इसी प्रकार मृत्यु दर में पहले 27.2 प्रति हजार थी, अब 8.7 प्रति हजार है। यह मृत्यु दर बहुत घटी है। इसी प्रकार शिशु मृत्यु दर पहले 202 प्रति हजार थी, अब 73 प्रति हजार है। इसी प्रकार प्रजनन दर मान्यवर, पहले 6.6 थी अब 3.82 हो गयी है। इससे स्पष्ट है कि 50 वर्षों में मृत्यु दर में 18.5 की कमी आई है जबकि जन्म दर में मात्र 8.2 की कमी आई है। इसके कारण जीवित वृद्धों की संख्या में बहुत बढ़ोत्तरी हुई है। यह दोनों का सम्मिलित प्रभाव ही, एक हद तक जनसंख्या वृद्धि का कारण है। मेरा मान्यवर, आपके माध्यम से कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब लोगों को मिलकर इस दिशा में सार्थक कदम उठाने होंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को यह मानकर उत्तर नहीं देना चाहिए कि यह किसी गवर्नमेंट का प्रश्न है, गवर्नमेंट की समस्या है और गवर्नमेंट का इस पर मूल्यांकन है। जनसंख्या वृद्धि पूरे देश की और इस प्रदेश की विशेष रूप से सभी के लिये समस्या है, राजनीति और दलीय राजनीति से तो बिल्कुल इसका सम्बन्ध नहीं है। केवल एक मूल्यांकन की दृष्टि से जिसका आपसे भी वास्ता है और हम लोग भी चिन्तित हैं कि जो नीति अपनायी गयी और लागू है, उस

नीति का प्रभाव सकारात्मक है या नहीं है, इसका मूल्यांकन इसी से हो सकता है कि जब नीति वर्ष 2000 में लागू हुई तो वर्ष 2000 के बाद के वर्षों में जनसंख्या नीति लागू करने से पहले के वर्षों से अधिक है या उतनी ही है या कम हुई। अगर कम हुई तो इसका मतलब है कि नीति प्रभावी ढंग से लागू हुई तो माननीय मंत्री जी के पास अगर रिकार्ड हो तो यह बता दें कि नीति लागू करने के बाद के वर्षों से लेकर 2006 तक प्रतिवर्ष वृद्धि घटी है या वृद्धि बढ़ी है और अगर बढ़ी है तथा नीति का प्रभाव अभी तक नहीं हुआ है तो उसके लिये क्या अलग से कुछ कर रहे हैं ? क्योंकि योजनाएं तो चल ही रही हैं, इसे बता सके तो बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

अलग से तो माननीय मंत्री जी सभी का सहयोग मांग रहे हैं।

ठाकुर जयवीर सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 1950 में जन्म दर 38.6 थी और वर्ष 2005 में 30.4 थी तो पहले से जन्मदर घटी है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सबका सहयोग चाहते हैं, हम लोग सहयोग देने के लिये तैयार हैं। मैं यह नहीं मानता हूं कि यह सिर्फ सरकार का कार्यक्रम है, इसमें जब तक सभी की भागीदारी नहीं होगी तब तक कार्यक्रम सफल नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी जब चीन में जहां बढ़ती जनसंख्या की समस्या थी वहां पर उन्होंने एक बच्चे पर प्रतिबन्धित कर दिया और कहा कि उससे ज्यादा होंगे तो जुर्माना या जो सरकारी उनको सुविधा मिलती है वह सुविधा समाप्त करेंगे तो क्या उत्तर प्रदेश में भी कुछ इस तरह की नीति लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ? मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या जनप्रतिनिधियों पर भी सरकार विचार करेगी कि कितनी संख्या तक के बच्चे वाले लोग चुनाव लड़ सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

जहां तक जनप्रतिनिधियों के लिये बता रहे हैं कि कितने बच्चे वाले चुनाव लड़ सकते हैं, इस मामले में आप सभी दल आपस में मिल करके पंचायत कर लें। दूसरा यह है कि एक चीज उन्होंने पूछा है कि क्या कोई इस प्रकार नीति सरकार की होगी जिससे अन्य जगहों पर आबादी को रोकने के लिये कुछ कड़े प्रतिबन्ध बनाये गये हैं ? या जो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिये किसी नीति पर विचार कर रहे हैं, अगर इस तरह की नीति है तो उसे बतायें ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को और माननीय अग्रवाल साहब को बताना चाहता हूं कि अलग से हम सब लोग बैठ लेंगे और विचार कर लेंगे, जो भी सार्थक नीति आप लोग बनायेंगे, उस पर विचार करके उसे आगे बढ़ाया जायेगा।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं तीन अत्यन्त छोटे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि प्रदेश की औसत जनसंख्या वृद्धि दर क्या है और प्रदेश के किन जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर प्रदेश की औसत दर से अधिक है ? दूसरी चीज प्रदेश के विभिन्न सम्प्रदायों में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है ? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि का कारण इसी तरह से तय होगा और तीसरे जो जनसंख्या रोकने के उपाय है नसबंदी से लेकर कॉपर-टी तक, सरकार किन-किन उपायों का प्रयोग करवा रही है और उनके उपयोग का प्रतिशत क्या है ?

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जाति और सम्प्रदाय के आधार पर विभेद तो ये लोग करते हैं, हम इस आधार पर विभेद नहीं करते हैं। बाकी माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया है कि हम सब मिल-बैठ करके तय कर लेंगे।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैंने पूछा था कि कौन-कौन से जिले हैं जहां जनसंख्या वृद्धि प्रदेश के औसत वृद्धि से अधिक है क्योंकि हमको उन जिलों को टारगेट करना पड़ेगा तभी हम वहां विशेष अभियान चला पायेंगे। दूसरी चीज जो सरकार की नीतियां हैं नसबंदी और गैर नसबंदी के तरीके हैं, दोनों में बहुत अन्तर है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार किन स्थितियों का प्रयोग ज्यादा करके जनसंख्या रोकने का प्रयास करती है। जहां तक सम्प्रदाय का विषय है माननीय मंत्री जी विषय को घुमा रहे हैं, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम यह देखें कि किस समाज में जनसंख्या वृद्धि अधिक हो रही है और उस समाज की जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिये यदि कोई विशेष उपाय किये जाने हैं तो किया जाए। जैसे पोलियो के बारे में हमने माना कि एक समाज पोलियो का टीका नहीं लेता था हमने अमिताभ बच्चन से लेकर धर्म गुरुओं तक का प्रयोग कर लिया तो सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा प्रयोग वहां पर हो सकता है, यह तो प्रश्न समाज से सम्बन्धित है।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री गौरी शंकर एडवोकेट व श्री राम बिशुन आजाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

ओझा जी, इस पर बहुत प्रश्न हो गये हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, इतने बहुमूल्य प्रश्न का जवाब तो दिलवा दीजिए।

(इसी बीच श्री गौरी शंकर एडवोकेट भी अपने स्थान से कुछ बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब, आप एक-एक जिले के आंकड़े पूछ रहे हैं, मंत्री जी इतने आंकड़े कहां से दे पायेंगे ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, हमने यह पूछा है कि कौन-कौन से जिले हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर प्रदेश के औसत से अधिक है और उनका प्रतिशत क्या है ? समाज के विभिन्न सम्प्रदायों में क्या वृद्धि दर है ? जो विभिन्न रास्ते प्रयोग किये जा रहे हैं उनका प्रतिशत क्या है ? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को यह मूल जानकारी होनी चाहिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के पूरे स्वास्थ्य की चिन्ता करते हैं अगर इतनी बेसिक जानकारियां नहीं हैं तो जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे होगा ?

(श्री सत्येन्द्र सोलंकी जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

सोलंकी जी, आप बैठ जाइये, आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा हो गया है। ओझा जी और भी प्रश्न हैं, 20 मिनट एक प्रश्न में हो गया है, गौरी शंकर जी आप तो बगैर कहे भी पूरी बात बोल चुके, राम विशुन आजाद जी आप बैठ लीजिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

माननीय अध्यक्ष जी, एक छोटा सा प्रश्न है मान्यवर, आप सहमत होंगे, आदरणीय सदन सहमत होगा कि जनसंख्या वृद्धि का कारण गरीबी है। विश्व के महान नेता डा0 राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब तक परिवार में दो रजाई नहीं मिलेगी, पति के लिये अलग और पत्नी के लिये अलग तब तक नियंत्रण करने की बात बेवकूफी है, हमने दो साड़ी देने की बात की थी, इनको बुरा लगा। ये दो रजाई की व्यवस्था कर दें काफी हद तक जनसंख्या नियंत्रण हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

आपको कम्बल दिया जायेगा।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब इस पर बहुत प्रश्न हो गये।

डा0 कौशल किशोर-

यह शास्वत सत्य है कि जो लोग अशिक्षित होते हैं और गरीब होते हैं उनके बच्चे अधिक होते हैं और जो लोग मालदार होते हैं और शिक्षित होते हैं उनके बच्चे कम होते हैं। क्या ऐसी स्थिति में सरकार क्या लोगों को उच्च शिक्षा देने और उनको रोजगार देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उनके उत्तर के सन्दर्भ में मैं खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी ने व [illegible] और वरिष्ठ मंत्रियों ने भी कहा कि मिल बैठकर इस समस्या का समाधान कर लेंगे यही [illegible] आपने भी कही। सारा झगड़ा मिल बैठकर तय करने में ही होता है मिलने बैठने से ही आबादी भी बढ़ती है।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिये ओझा जी ने दो रजाई देने की बात कही।

श्री प्रमोद तिवारी-

मेरी बात सुन लें। मेरा एक सुझाव है क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे जिन जिलों में औसत से आबादी ज्यादा है व कुछ देश ऐसे हैं जहां औसत से आबादी कम है तो ऐसे देशों में ऐसे लोगों की जरूरत है जो आबादी बढ़ा सकें।

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

मैं इसके लिये प्रमोद तिवारी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

क्या प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से बात करके ऐसी नीति बनायेगी जिन देशों में आबादी कम है उन देशों में ऐसे जनपद के लोग भेजे जायें जहां आबादी ज्यादा है जिससे उन देशों का भला हो सके और जो लोग यहां से जायं उनको भी रोजगार मिल सके। क्या इस दिशा में सरकार कार्य करेगी।

श्री अध्यक्ष-

चिन्हित करने की जिम्मेदारी आपको दी जा रही है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है जहां तक श्री प्रमोद कुमार तिवारी का यह कहना है कि जिन देशों में आबादी कम है वहां पर जिन जिलों में आबादी ज्यादा है वहां के लोगों को भेजा जाय। मैं समझता हूं यह व्यवहारिक नहीं होगा। इतना जरूर है कि क्या चाइना के पैटर्न पर जैसे उन्होंने जनसंख्या को कन्ट्रोल कर लिया है या भारत में केरल ने जनसंख्या को कन्ट्रोल कर लिया है क्या शासन इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा और उसी तरह की नीति बनाएगा। उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का एक बहुत बड़ा प्रदेश है सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है हमें जनसंख्या वृद्धि पर गम्भीर चिन्ता करनी चाहिये कम से कम केरल के पैटर्न पर जो उन्होंने किया है क्या सरकार उसी तरह की नीति बनाने पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेगी ?

श्री लालजी वर्मा-

यह अकेले सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है इसीलिये मंत्री जी ने सदन को आश्वस्त किया कि अन्य पार्टियों के साथ बैठकर इस पर क्या कार्यवाही हो सकती है उस पर विचार किया जा सकता है उसमें श्री गौरी शंकर जी ने कही है उसका भी समाधान हो जायेगा यह पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है।

सबका सवाल है इसका स्पष्ट उत्तर माननीय मंत्री जी द्वारा दिया जा चुका है।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दिये जाने की जानकारी

*1-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा (ब्लड टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउन्ड, कैट स्कैन इत्यादि) उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका मापदण्ड क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अनन्त मिश्रा)-

जी हां।

शासनादेश संख्या-984/5-1-2000-4 (80)/95, दिनांक 28 जून, 2000 के प्रस्तर-4 के प्राविधानानुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार एवं निदान की सुविधा वाह्य रोगी विभाग एवं जनरल वार्ड में भर्ती होने पर उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे परिवार के सदस्यों से केवल वाह्य रोगी पर्ची का शुल्क एवं भर्ती शुल्क ही लिया जाता है।

प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0) के अन्तर्गत सफेद राशन कार्ड धारकों की पहचान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों के रूप में की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आधा घण्टा ए[illegible] हो गया है। मैंने अगला प्रश्न ले लिया है। आप लोग बैठ जायं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। [illegible] वाले में आप लोगों के सामूहिक विचार आ गये हैं। अब बैठ जायं। विद्या सागर गुप्ता जी, आप प्रश्न करिये।

श्री विद्या सागर गुप्ता-

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि राजकीय चिकित्सालयों में जनरल वार्ड में चिकित्सा उनको मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है जैसे ब्लड टेस्ट, एक्स-रे, अल्ट्रासाउन्ड इत्यादि। मान्यवर, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग भर्ती होते हैं उनको इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं होती है कि उनको यह चिकित्सा बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। मान्यवर, जो उनको एडमीशिन कार्ड होते हैं उनके ऊपर डाक्टर केवल इतना लिख देते हैं कि आपको कैट स्कैन करवाना है या अल्ट्रासाउन्ड करवाना है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या उन कार्डों के ऊपर डाक्टर यह भी लिखेंगे कि उनको वह सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जायं। जब यह कराया जायेगा तब ही वह गरीब आदमी या उसके घर वाले जाकर कहेंगे कि हमको यह चिकित्सा मुफ्त उपलब्ध कराई गई।

दूसरा प्रश्न मेरा इसी विषय पर यह है कि उन गरीब लोगों के लिये उन अस्पतालों में कुछ होर्डिंग या इस तरीके के प्रचार के माध्यम से इस तरह के किये जायं ताकि वे लोग जिनको इसकी जानकारी नहीं होती है कि यह सुविधा मुफ्त उपलब्ध है को जानकारी हो सके और वो जो पैसा इकट्ठा करके, घर के बर्तन बेंचकर या उधार लेकर इलाज कराने जाते हैं इसकी नौबत न आने पाये।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

यह सम्मानीय सदस्य को बता देना चाहते हैं कि यह जो कार्ड में अंकित करते हैं उसके बाद उनको चिकित्सा मुफ्त मिलने के सख्त निर्देश दिये गये हैं। मैं स्वयं दो जगह गया हूं। इसके अलावा सरकार ने निर्देश दिये हैं कि अगर किसी निर्धन रोगी के पास वह कार्ड उपलब्ध नहीं है और वह अपनी बात कहता है तो चिकित्सालय का जो प्रभारी अधिकारी है उसको अधिकार होगा कि वह स्वविवेक से निर्धन रोगी की मदद कर सके।

श्री विद्या सागर गुप्ता-

मान्यवर, मेरा कहना है कि जब डाक्टर किसी टेस्ट कराने के लिये लिखते हैं तो उनको साथ में यह भी लिखना चाहिये कि उनको टेस्ट फ्री कराया जायेगा। जब इस तरह से लिखकर दिया जायेगा तब ही वह अल्ट्रासाउन्ड करवाने जायेगा। जब वे लिखेंगे तब ही तो मुफ्त होगा। वो तो केवल यह लिखकर देते हैं कि अल्ट्रासाउन्ड होगा, कैट स्कैन होगा और मरीज जाकर पैसे देकर वह काम करवाता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या डाक्टर उस कार्ड के ऊपर यह लिखेंगे कि उनको यह काम मुफ्त करवाने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

गुप्ता जी माननीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि कार्ड के आधार पर भी नहीं होता तो इतना भी छोड़ दिया है कि डाक्टर अपने विवेक से उसको देख लेगा। बहुत स्पष्ट स्थिति यहां बताई गई।

श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से बी0पी0एल0 कार्डधारकों को निःशुल्क सी0टी0 स्कैन और अल्ट्रासाउन्ड आदि की सुविधा उपलब्ध है उसी तरह से क्या अन्नपूर्णा और अन्त्योदय कार्ड धारकों के लिये भी सुविधा उपलब्ध है।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

शासनादेश जारी किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है। जल्द ही निर्णय लिया जायेगा।

श्री अनूप सण्डा-

अध्यक्ष जी, अन्नपूर्णा और अन्त्योदय कार्ड उन लोगों को दिये जाते हैं जो गरीबी की रेखा से भी नीचे बदतर स्थिति में होते हैं और यह बड़ी हास्यास्पद बात है कि बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को तो यह निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा दी जा रही है लेकिन जिनके पास अन्नपूर्णा और

अन्त्योदय कार्ड हैं उनके लिये आज भी प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं। हम चाहते हैं उनके लिये भी जल्द ही इस की व्यवस्था की जाय।

श्री अशोक सिंह चौहान-

मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गरीबों की सुविधा की बात मंत्री जी ने कही कि मुफ्त में इलाज किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश के जितने मुख्यालय पर अस्पताल हैं उनमें क्या यह सी0टी0 स्कैन और अल्ट्रा साउन्ड की सुविधा उपलब्ध है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

इसमें मैंने आपको अवगत करा दिया है कि जितने जिला मुख्यालयों पर अस्पताल हैं वहां जो उपकरण हैं वह अगर ठीक नहीं हैं तो उनको ठीक कराने के उनको उपयोग कराने के सख्त निर्देश दिये जा चुके हैं।

श्री अशोक सिंह चौहान-

मेरा प्रश्न दूसरा है। जनपद मुख्यालय पर अस्पताल हैं वहां यह सी0टी0 स्कैन और अल्ट्रासाउन्ड की सुविधायें उपलब्ध हैं ? इसका जवाब दिलवा दें।

श्री लालजी वर्मा-

यह सवाल से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

जिस सूचना को चाह रहे हैं वह इस प्रश्न की परिधि में नहीं आती है। आप अलग से इस सूचना को कलेक्ट करा लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जो उत्तर आया है इसमें अनुपूरक कर रहा हूं। आपको इतना नहीं मालूम है कि 70 जिले मुख्यालय में हैं वहां यह मशीनें उपलब्ध हैं या नहीं ? दो महीने आपको मंत्री बने हो गये हैं और दो मशीन के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश में 17 स्थानों पर सी0टी0 स्कैन की मशीन है। वर्तमान बजट में जहां आपके संज्ञान में हो उसको बतायें ? वहां उसकी व्यवस्था इस बजट में है।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि मंडल मुख्यालय सहारनपुर में दोनों सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं।

श्री उदयराज-

मान्यवर, बी0पी0एल0 सूची पूरे प्रदेश में बनी है उसके मुताबिक आज भी बी0पी0एल0 सूची के आधार पर प्रदेश में सारे लोगों को बी0पी0एल0 कार्ड जारी नहीं किये गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में बी0पी0एल0 सूची के अन्तर्गत, जितने लोगों

के नाम प्रदेश में बी0पी0एल0 सूची में दर्ज हैं क्या सरकारी अस्पतालों में यह सारे गरीबों को सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

अभी मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि ऐसे लोगों को दवा उपलब्ध करा रहे हैं अब सब बी0पी0एल0 वाले तो एक साथ बीमार होंगे नहीं। लेकिन जो बीमार हो रहे हैं उनके लिये दवा भी उपलब्ध करा रहे हैं और विकल्प भी खोल दिये हैं।

श्री उदयराज-

मेरा प्रश्न यह नहीं है मैंने पूछा है कि जितने बी0पी0एल0 सूची में नाम हैं पूरे प्रदेश में, उनके सबके कार्ड नहीं बने हुए हैं। जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं और जिनके सफेद कार्ड नहीं बने हैं मैं जानना चाहता हूं जिन लोगों के कार्ड नहीं बने हैं उनके नाम बी0पी0एल0 सूची में हैं उनको क्या वह सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

डाक्टर को भी कहा मंत्री जी ने कि वह अपने विवेक से करें। अगर कार्ड नहीं है और वह गरीब है तो उसके लिये विकल्प खुला है।

(तारांकित प्रश्न संख्या-2 पुकारा गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं पहले प्रश्न के बारे में एक प्रश्न जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब आगे बढ़ गये हैं तारांकित प्रश्न संख्या-2 पुकार लिया गया है।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों के मानदेय की धनराशि बढ़ाने की मांग

***2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों की सेवाओं को नियमित/स्थायी करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए शिक्षा मित्रों को दिये जाने वाले मानदेय में वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (डा0 धर्म सिंह सैनी)-

जी नहीं।

जी हां।

दिनांक 01 जुलाई, 2007 से शासनादेश संख्या-1073/79-5-2007, दिनांक 15 जून, 2007 के द्वारा शिक्षा मित्रों के मानदेय की धनराशि रु0 2400/- से बढ़ाकर रु0 3000/- प्रतिमाह कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अभी सरकार ने जिनकी मजदूरी 58 रुपये थी, उसे बढ़ाकर 80 रुपये कर दी। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी तीन दिन पहले कहा था कि 100 रुपये करने पर विचार चल रहा है। आज पता चला कि 100 रुपये कर दी हैं मान्यवर, यह जो प्राइमरी स्कूल हैं, यह शिक्षा मित्रों के सहारे चल रहे हैं और शिक्षामित्रों की वजह से ही पूरे प्राइमरी स्कूल खुलते हैं और उन्हीं के भरोसे शिक्षण कार्य होता है और उन्हीं के भरोसे पूरे प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था चल रही है। इस महंगाई के जमाने में जहां लखनऊ में आलू का दाम 13 रुपये किलो है, इस महंगाई के युग में जहां पर मजदूरी 100 रुपये प्रतिदिन देने की घोषणा की है तो शिक्षण कार्य करने वालों को क्या मान्यवर, संवेदनशीलता दिखाते हुए यह सरकार शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर 5 हजार रुपये करने पर विचार करेगी ? यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, अभी पिछले 3-4 वर्षों में शिक्षामित्रों ने संगठित होकर धरना प्रदर्शन किये, लाठियां खाई और बहुत तरीके से उन्होंने अपनी बात रखने का प्रयास किया लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आदरणीय बहन कु0 मायावती जी को कि उनके सत्ता में बैठते ही, न तो किसी को धरना-प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी, न लाठियां खाने की जरूरत पड़ी और उन्होंने बैठते ही इनका मानदेय 2400 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया और इतना ही नहीं वह लोग अचानक किसी काम से, बीमारी की वजह से एक-आध दिन नहीं आ पाते थे तो उनका एक दिन का मानदेय काट दिया जाता था। आदरणीय बहन कु0 मायावती जी ने ऐसी परिस्थिति में एक दिन का मानदेय न काटने के आदेश दिये हैं। इसी के साथ जो महिलायें हैं, प्रसूति के समय उनको इस तरह की छूट नहीं दी जाती थी, उनके लिये आदरणीय बहन कु0 मायावती जी ने 3 महीने का अवकाश और उसमें यह भी छूट दी गयी है कि अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य को जो योग्यता पूर्ण करता हो, वहां रख सकती है और उसकी तनख्वाह उसे मिलेगी।

श्री अध्यक्ष-

स्पष्ट हो गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर तो एक लाइन में भी नहीं आया। क्या महंगाई को देखते हुए वर्तमान सरकार शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर 5 हजार रुपये करने पर विचार करेगी ? हां या न में उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष-

अभी तो सरकार ने बढ़ाया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, विचार चल रहा है या नहीं चल रहा है ?

श्री अध्यक्ष-

सरकार ने बताया कि अभी तो बढ़ाया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अभी तो बढ़ाया गया है, उसे और आगे बढ़ाने का कोई विचार नहीं चल रहा है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, यह सरकार 88 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। यह सरकार कहती है कि हम शिक्षामित्रों को बहुत बेहतरी दे रहे हैं। सरकार ने बहुत प्रयास किया, 3000 बढ़ा दिया, प्रसूति अवकाश दे दिया, बहुत कुछ कर दिया और शिक्षामित्र अभी भी धरने पर हैं, उनकी बड़ी छोटी सी मांग है कि हम शिक्षक बनने के योग्य हैं इसलिये आपने शिक्षामित्र बनाया, क्या इन 88 हजार पदों पर प्रदेश में कार्यरत शिक्षामित्रों को सीधे विनियमित करने की कोई योजना सरकार बनायेगी ? हो सकता है कि वह और भी खुश हों और आपको और भी बधाइयां दें।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मेरे ख्याल से आप भी सहमत होंगे, मा0 अग्रवाल साहब, शिक्षामित्र की योग्यता इण्टर क्लास पास है और जो अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है, उसके लिये स्नातक होना जरूरी है, बी0एड0 होना जरूरी है। सरकार ने निर्देश दिया है कि 10 प्रतिशत वेटेज दिया जायेगा, जो इनमें स्नातक या विशिष्ट बी0टी0सी0 होंगे, वह 10 परसेण्ट लिये जायेंगे, यह सुविधा दी गई है।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों के सामने बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। प्रत्येक गांव मे पार्टीबाजी या ग्रुपिंग के आधार पर शिक्षा मित्रों से यह कहा जा रहा है कि तुम्हें अगली बार तब रखेंगे जब जो समिति बनी हुई उसमे जब सबके दस्तखत होंगे। शिक्षा मित्रों के सामने यह समस्या है। क्या माननीय मंत्री जी शिक्षा मित्रों को केवल हेडमास्टर की संस्तुति के आधार पर अगली बार के लिये रिन्युवल करेंगे ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

यह दिक्कत 2-3 दिन से हुई है या पिछले 3-4 सालों से यह दिक्कत है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, यह इस साल ही हुआ है।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ग्राम शिक्षा समिति द्वारा यह नियुक्ति की जाती है और वही इसकी उपस्थिति की पंजिका का रख-रखाव करती है इसलिये इसमें केवल प्रधानाध्यापक के माध्यम से ही नियुक्ति नहीं हो सकती। इसमें ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इसका चयन किया गया है।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जो शिक्षा मित्र हैं उनकी योग्यता वह नहीं है जिससे उन्हें रेगुलर अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सके। आप यह मानते हैं कि अयोग्य लोगों के द्वारा बेसिक शिक्षा का कार्य चल रहा है, तो क्या उन्हें बी0टी0सी0 की ट्रेनिंग की तरह कोई व्यवस्था करने का काम करेंगे ताकि उन्हें ट्रेन्ड कर दिया जाए और वह योग्य शिक्षकों की तरह पढ़ाएं ?

श्री अध्यक्ष-

जो प्राइमरी शिक्षा के नार्म्स बने हैं, वह मानक पूरा नहीं कर सकते हैं। उन्हें अयोग्य घोषित नहीं कर रहे हैं। बल्कि उनकी अर्हता नहीं है।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

अर्हता माने योग्यता। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि चूंकि उनके अन्दर अर्हता नहीं है तो उन्हें योग्य बनाने के लिये माननीय मंत्री जी कोई नीति पर विचार करेंगे ताकि उनका भी समायोजन हो जाए, क्योंकि बिना शिक्षा मित्रों के शिक्षण कार्य नहीं चल सकता ? इसका उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं यह प्रश्न नहीं है। आप पूछ रहे हैं कि उन्हें योग्य बनाने के लिये कोई स्कीम बना रहे हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

बहुत प्रश्न हो गया।

(श्री गौरीशंकर एडवोकेट के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपके प्रश्न का जवाब तो दे दिया था।

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि शिक्षा मित्र की योग्यता इण्टर है, उनकी योग्यता नहीं है। तो इण्टर को छोड़ दें लेकिन जो शिक्षा मित्र स्नातक, परास्नातक हैं और शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इण्टर को छोड़ दें। जो स्नातक और परास्नातक हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने उत्तर बता दिया हैं दस प्रतिशत रिलेक्सेशन दिया है। उसमें से नियुक्त करेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, दस प्रतिशत वैटेज देने की बात मा0 मंत्री जी ने कही है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा, अभी मा0 मंत्री जी ने उत्तर देते समय यह कहा कि पिछली सरकार में शिक्षा मित्रों ने तमाम धरने प्रदर्शन किये, लाठियां खायीं और ज्ञापन दिये, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो शासन को शिक्षा मित्रों द्वारा ज्ञापन दिये गये उनमें किन-किन मांगों को उन्होंने रखा, किन मांगों पर विचार किया गया और कौन सी मांगें उनकी पूरी नहीं हो पायीं ?

श्री अध्यक्ष-

यह बता दिया।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

कहां बताया। हम तो अभी प्रश्न पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा जवाब दिला दें।

(अनेक मा0 सदस्यों द्वारा एक साथ प्रश्न पूछने पर)

श्री अध्यक्ष-

बहुत सारे प्रश्न हो गये हैं, मा0 मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। अवधेश प्रसाद जी अन्तिम प्रश्न आप कर लें।

श्री अवधेश प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि हमारी सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय चौबीस सौ से बढ़ाकर तीन हजार कर दिया है, उन्हें छुट्टी का भी प्राविधान किया है। लेकिन आपको याद होगा कि इसी आदरणीय सदन में जब नेता सदन की कुर्सी पर मा0 मुलायम सिंह यादव जी बैठे थे तो उन्होंने सारी सुविधाओं की घोषणा की थी बजट सत्र के अवसर पर।

("नहीं की है" की आवाजें सत्ता पक्ष से आयीं)

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों के सामने कभी-कभी ऐसी समस्या पैदा हो जाती है, उन्हें बीच में निकाल दिया जाता है, तो उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिये क्या सरकार इस पर कोई कार्य योजना बनायेगी ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जब दस प्रतिशत सेलेक्शन करेंगे तो उसमें आरक्षण का ध्यान रखा जायेगा कि नहीं ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, इसमें आरक्षण का पूरा ध्यान रखा जायेगा और यह सरकार पूर्णतया आरक्षण का ध्यान रखेगी।

प्रदेश के जिला अस्पतालों में चिकित्साधिकारियों को नियुक्त करने सम्बन्धी जानकारी

*3-श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला अस्पतालों, सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 में कितने डाक्टरों की कमी है ? क्या यह सत्य है कि डाक्टरों की

कमी के कारण प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों की संख्या में निरन्तर गिरावट हो रही है ? यदि हां, तो डाक्टरों की इस कमी को पूरा करने की शासन ने कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है तथा उसे कब से लागू किया जायेगा ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश के जिला अस्पतालों, सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 में लगभग 1500 चिकित्साधिकारियों की कमी है।

जी नहीं।

जी हां।

प्रदेश में उक्त रिक्त पदों के सापेक्ष 1400 चिकित्सा अधिकारियों को संविदा पर नियुक्त किये जाने हेतु शासन के पत्र दिनांक 25-05-2007 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0 प्र0, लखनऊ को निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न के दो अंग हैं। एक तो मैंने यह जानना चाहा था कि कितने चिकित्सकों की कमी है और क्या उसके कारण प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों की संख्या निरन्तर घट रही है ? माननीय मंत्री जी आपने लगभग 1500 चिकित्सकों की कमी तो स्वीकार की है लेकिन आपने लिख दिया कि प्रदेश में मरीजों की कमी नहीं हो रही है आपके अस्पतालों में। यह मान कर चलिये कि जब डाक्टर ही नहीं हैं तो मरीज आयेगा क्यों ? एक तो माननीय मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप यह बता दें कि पिछले दो साल में प्रदेश के अस्पतालों में कितने मरीज प्रति वर्ष आये ? जिससे आपको पता लग जायेगा कि क्या दर गिर रही है। मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जिस तरह से नर्सिंग होम खुलते चले जा रहे हैं और नर्सिंग होम के लिये कोई मानक आपके पास तैयार नहीं हैं और गरीब लोग नर्सिंग होम के जाल में फंसते चले जा रहे हैं, जिला अस्पतालों से मोह भंग हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस ओर भी आपका ध्यान जाये।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)-

सीधा-सीधा प्रश्न पूछिये, उल्टा-सीधा प्रश्न पूछेंगे तो कहां से उसका जवाब आ जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय राकेश जी आप तो लोगों को आशीर्वाद देते हैं, उस दिन लिफ्ट में किसी को दे तो रहे थे आशीर्वाद।

मान्यवर, मैं कहूंगा इस बात को सत्य मानते हुए माननीय मंत्री जी कि डाक्टरों की कमी के कारण अस्पतालों के प्रति लोगों का मोह भंग हो रहा है और गांवों में तो डाक्टर हैं ही नहीं। गांवों के आप सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 चले जाइये तो जो आपने नियुक्त किये हैं वह भी

डाक्टर वहां पर नहीं जाते हैं। तो क्या इन चीजों को देखते हुए एक तो आपने डाक्टरों की भर्ती के लिये कह दिया हमने पांचवें महीने में निर्देश दे दिये हैं, तो उन निर्देशों के बावजूद क्या भर्ती अभी तक शुरू हुई है ? यदि शुरू हुई तो कितने डाक्टर भर्ती किये गये और जो पिछली सरकार ने पर्चे के दाम घटाये थे, जिसको आपने बढ़ा दिया। जो पर्चे के दाम आठ रुपये से एक रुपया हमारी सरकार ने किया था वह फिर आठ रुपये कर दिया गया है। क्या उस दाम को कम करके अस्पतालों के प्रति लोगों का मोह जो है वह बनाये रखेंगे ?

श्री अनन्त मिश्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिनों पूर्व इसी सदन में जब मैं दो चिकित्सालयों में स्वयं गया था वहां की जांच करने के लिये तो माननीय नरेश जी ने कहा था कि अधिकारी क्या करेंगे ? मैं मंत्री पद पर बैठ कर यदि इस बात की चिन्ता न कर रहा होता, यह बिल्कुल स्वाभाविक है यह प्रश्न बहुत ही गम्भीर है कि हर जगह अस्पतालों में चिकित्सक होने चाहिए और हम उसके लिये बहुत प्रयास कर रहे हैं। संविदा पर जो हमने नियुक्ति के लिये कहा है उसका मानक एम0बी0बी0एस0 बनाया है और साथ में चूंकि वह कान्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हैं तो यह भी उन पर लागू नहीं होता कि वह उसी जिले के भी हो सकते हैं। अभी तक प्राइवेट नर्सिंग होम पर कोई अंकुश नहीं लगा था, पिछली जितनी भी सरकारें रही हैं अभी तक नहीं लगा है। उसका प्राविधान इस सरकार में निश्चित रूप से आयेगा। उस पर मानक तय किये जायेंगे, उन पर अंकुश लगाया जायेगा। जब उन पर अंकुश लगेगा जो डाक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों में, तो उन पर जब अंकुश लगेगा तो निश्चित रूप से वह सरकारी अस्पतालों में अपनी जिम्मेदारी समझ कर जायेंगे। क्योंकि भय बिन होत न प्रीत और माननीया बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में निश्चित रूप से यह मान लीजिए कि सरकारी जितना अमला है उसके मन में यह भय रहता है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं क्योंकि 1500 चिकित्सकों की कमी का उल्लेख आपने किया है और उसमें व्यवस्था करने की बात भी आपने कही कि हम 1400 चिकित्सकों की भर्ती करने जा रहे हैं, मान्यवर, परेशानी यह है कि नियुक्ति तो है लेकिन नियुक्ति के बावजूद भी डाक्टर्स ग्रामीण अंचलों में नहीं जाते है, छोटे अस्पतालों में नहीं जाते हैं और उनका न जाने का तरीका सबसे बड़ा यह करा दिया, कहीं न कहीं से वह अपना सम्बद्धीकरण जिला चिकित्सालयों में करा लेते हैं या जहां उनकी निजी प्रैक्टिस चल रही है वहां करा लेते हैं। अब कागजों में तो मान्यवर, नियुक्ति है, लेकिन उपलब्धता नहीं है वहां पर। मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि कैसे इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। क्या शासन के स्तर से आदेश निर्गत करके उनकी सम्बद्धता तुरन्त समाप्त कराने की कृपा करेंगे ?

मान्यवर, जो डा0 सम्बद्धीकरण करा लेते हैं उसमें भी बड़ा घोटाला है। तो जिन्होंने अपना आवेदन देकर सम्बद्धीकरण करा लिया है ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और भविष्य के लिये कोई नीति निर्धारित करेंगे ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, उसमें पहले से ही निर्देश दिये जा चुके हैं कि डाक्टरों और अन्य स्टाफ की उपलब्धता बनी रहे। कल ही लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में सी0एम0ओ0 ने निरीक्षण किया था और सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। हमने सारे सी0एम0ओ0, एडीशनल सी0एम0ओ0 को यह निर्देश दिये हैं कि वह निरीक्षण करें और जो उपस्थित नहीं मिले उन पर निश्चित रूप से कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी ने एक प्रवृत्ति का प्रश्न उठाया है कि वह अपने को सम्बद्ध करा लेते हैं। तो उनका प्रश्न था कि इस सम्बद्धता सम्बन्धी नीति पर आप कोई विचार करेंगे और जो डाक्टर इस प्रकार के आवेदन-पत्र देते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, यह सुझाव सार्थक है। इस पर निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह सुझाव आपकी व्यवस्था को सुधारने में सहायक होगा। ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां सी0एम0ओ0 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के दो चार चिकित्सकों को सम्बद्ध न कर रहे हों और उस सम्बद्धता के लिये पैसा भी लेते हैं। मैंने अपने जिले में अपने क्षेत्र में देखा है लोग सम्बद्ध होते हैं। तो आप इस सम्बद्धता के नियमों को समाप्त कराइये। इससे जनता को लाभ मिलेगा विभाग को लाभ मिलेगा।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, यह पूरी तरह से किया जायेगा। आपका सुझाव जो है वह विभाग के हित में है। इसको निश्चित रूप से लागू किया जायेगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, यह जितने चिकित्सालय चलाये जाते हैं यह इंडियन मेडिकल मैनुअल के पैराज के अनुसार चलाये जाते हैं। इसके अनुसार क्या यह व्यवस्था प्राविधानित है कि जहां चिकित्सक नहीं होंगे लगातार दस दिन तक नहीं होंगे उस अस्पताल को बन्द कर देंगे। क्या ऐसे आपके अस्पताल प्रदेश में चल रहे हैं जहां चिकित्सक नहीं हैं। क्या उस मैनुअल के नियमों का पालन हो रहा है, इसका जवाब देने का कष्ट करें।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, जो निजी क्षेत्र में नर्सिंग होम हैं, ब्लड बैंक हैं, अल्ट्रासाउन्ट के सेन्टर्स हैं एक्स-रे के सेन्टर्स हैं यहां पर डा0 आपके केस को रेफर कर रहे हैं। तो यह कौन से डाक्टर हैं जो यह केस रेफर कर रहे हैं इनको आप चिन्हित करायेंगे ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, आप लिखकर दे दीजिये हम जांच करा लेंगे।

जनपद महराजगंज के प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा किसानों को खाद का वितरण ऋण के रूप में दिये जाने की मांग

*4-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि महराजगंज जनपद की प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को किसानों को उधार न देकर नगद खाद वितरण के निर्देश हैं ? इस व्यवस्था से छोटे किसान खाद नहीं ले पा रहे हैं और कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऋण पर भी खाद खरीदने का आदेश प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

जी नहीं।

वर्तमान में जनपद महराजगंज की सभी 96 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में नगद एवं ऋण के रूप में उर्वरक वितरण का कार्य हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, जो उत्तर आया है उसके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। इसकी बाबत मैं कल आपको सूचना दे दूंगा। मान्यवर, पूर्वांचल में खरीफ की बुवाई या उसकी तैयारी का समय मई का अन्तिम समय या जून का प्रारम्भिक समय होता है। मान्यवर, हमारे यहां मध्यम दर्जे के किसान होते हैं। जो अलाभकर जोत पर काम करते हैं। वह जो किसान है उनसे कहा जाता है कि आप कैश पर खाद खरीदिये उधार पर नहीं मिलेगी। इस सम्बन्ध में मैंने ए0आर0 से बात किया ए0 आर0 ने कहा कि ऊपर का आदेश है। मेरे पास एक परिपत्र है यहां से गया हुआ है उसमें ए0आर0 ने अनुरोध किया है निबन्धक सहकारी समितियों से कि मुझे भी उधार की खाद बेचने का खाद देने की इजाजत दी जाय और जब मेरा प्रश्न लगा 19 तारीख को, तब यहां से निर्देश गया 22 तारीख को कि निबन्धक महोदय ने उक्त पत्र एवं आप द्वारा प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्रांक इतना के संदर्भ में शासन से सहायता प्राप्त प्रारम्भिक सहकारी समितियों में पूर्व की भांति नगद उर्वरक वितरण के साथ-साथ अंश 'ख' यानि उधार पर वितरण की अनुमति दी जाती है। मान्यवर, यह 22 तारीख का पत्र है जिसमें उन्होंने कहा कि हम उधार भी खाद वितरण की अनुमति देते है और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उधार पर खाद का वितरण किया जा रहा है। स्पष्ट है मान्यवर, उन्हीं का अभिलेख है मैं इसकी छाया प्रति आपको दे दूंगा। स्पष्ट है कि दो परस्पर विरोधी बयान हैं। एक में स्पष्ट है कि आप किसानों को

ऋण पर खाद नहीं दे रहे हैं मेरा प्रश्न 19-6 को टेबिल हुआ उस दिन तक आप नहीं दे रहे थे और आपने उत्तर में दिया कि वितरण किया जा रहा है।

यह गलत बयानी अकेले आज ही नहीं माननीय चीनी उद्योग मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप पहले प्रश्न प्रस्तुत करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, मैं संदर्भ के लिये कह रहा हूं। वैसे तो मेरा कल कटमोशन है शुगर इंडस्ट्री पर मैं कहूंगा ही। मान्यवर, गन्ना मंत्री जी ने भी इसी प्रकार का बयान दिया, उसकी छाया प्रति मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय ओझा जी, आप प्रश्न प्रस्तुत करें कि क्या जानना चाहते हैं मंत्री जी से।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 19 तारीख को जब मैंने यह प्रश्न दिया उसके पहले क्या महराजगंज जनपद में छोटे किसानों को ऋण पर खाद देने की व्यवस्था थी या नहीं थी तो क्यों नहीं थी ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि महराजगंज में जो 96 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां है। इसमें से 36 समितियां जो अनार्थिक थीं या आर्थिक रूप से कमजोर थीं वहां पर काश्तकारों को ऋण पर उर्वरक वितरण का कार्य नहीं हो रहा था, और इस सम्बन्ध में जिला अधिकारी महराजगंज ने जब निबन्धक को पत्र लिखा कि ऐसा होने से किसानों को कठिनाई हो रही है तो मान्यवर, जिलाधिकारी का पत्र आया 7 जून को और जैसे ही जिलाधिकारी का पत्र आया उसका संज्ञान लेते हुए निबन्धक ने तत्काल संयुक्त निबन्धक को निर्देश दिया कि जो 36 ऐसी अनार्थिक इकाइयां हैं जहां पर ऋण पर खाद वितरण की योजना नहीं थी वह तत्काल सुनिश्चित किया जाय और जैसे ही यहां से निर्देश गया वह उसी निर्णय के ठीक बाद ऋण के सापेक्ष भी वहां पर खाद वितरण प्रारम्भ कर दिया गया। माननीय ओझा जी का जो शक और सुबहा है वह अपनी जगह ठीक है। चूंकि यह संज्ञान में यहां नहीं था और जैसे ही यह संज्ञान में आया है उसको निर्देश दे दिया गया है और अब 96 की जो 96 इकाइयां हैं हर जगह पर नकद और ऋण दोनों की खाद व्यवस्था है और खाद वितरण किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी खाद वितरण की उपलब्धता इस फसली खरीफ की फसल यानि जो 2007 है हमने कहां तक उसकी उपलब्धता पाई है वह मैं बता देना चाहता हूं। हमारा खरीफ 2007 तक वितरण का लक्ष्य था यूरिया का 15190 मीट्रिक टन और

हम 30-6-2007 तक आवंटित कर चुके हैं 7911 मीट्रिक टन, जबकि इसी अवधि में वर्ष 2006 में वितरित किया गया था 4428 मीट्रिक टन। यानि 4428 मीट्रिक टन के सापेक्ष 7911 मीट्रिक टन उसी अवधि काल में इस वर्ष वितरित किया, यानि 3 हजार मीट्रिक टन हमने ज्यादा खाद उपलब्ध कराई है। इसी तरह मान्यवर, एन0पी0के0 का हमारा लक्ष्य था वितरण का इस खरीफ फसल के लिये 4210 मीट्रिक टन और हमने बांट दिया 4482 मीट्रिक टन, जबकि पिछले इसी अवधि काल में.....

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा जी के खड़े होने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

ओझा जी, आप बहुत बुजुर्ग और हमारे सम्मानित सदस्य हैं। साथ ही साथ जो भी सम्मानित होता है वह बुजुर्ग होता है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

यह तो आवश्यक नहीं है जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो बुजुर्ग होता है वही प्रतिष्ठित होता है। ऐसे-ऐसे वैज्ञानिक आये हैं जिन्होंने युवाकाल में ही बहुत प्रतिष्ठा अर्जित की है। सुनीता जो गई है, स्पेस में, वह स्पेस से लौटी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गौरीशंकर सदस्य जी तो और भी सम्मानित हैं क्योंकि यह सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितनी ऋण समितियां हैं जो उत्तर प्रदेश में ऋण नहीं बांट रही हैं और कितनी ऐसी समितियां हैं जिन पर नकद ऋण वितरण हो रहा है। ऐसी कितनी समितियां हैं जिन पर ऋण वितरण और नकद वितरण नहीं हो रहा है और उसकी आप क्या व्यवस्था करा रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, वैसे तो यह सवाल जिला महराजगंज से सम्बन्धित है और अभी-अभी जो उत्तर प्रदेश की खस्ता हालत और जर्जर व्यवस्था रही है, बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन मायावती जी के हाथों में आई है और विशेष रूप से सहकारिता विभाग में जो कुव्यवस्था रही है मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि मैं उसको दूर कर दिखाने का काम करूंगा और उत्तर प्रदेश में जो तमाम सहकारी समितियां, जो हमारी तमाम प्राथमिक इकाइयां हैं जो पिछली सरकार की गलत नीतियों के नाते आज बिल्कुल जर्जर हालत में पहुंच गयी हैं। मान्यवर, हम तो सबका सहयोग चाहते हैं और आप सभी का सहयोग अगर मिलेगा तो हम उन जर्जर इकाइयों को स्वस्थ इकाई के रूप में खड़ी करके उन किसानों को भरपूर खाद मुहैया करायेंगे और कम समय में ही, जो मैंने आंकड़ा प्रस्तुत किया, यह हमारे उसी सुधार की दिशा में एक कदम है।

जैसा कि मैं मान्यवर, आपको अवगत करा रहा था। एन0पी0के0 का लक्ष्य था 4210 मीट्रिक टन बांटने का और हमने मान्यवर बांटा है 4482 मीट्रिक टन।

(समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय अग्रवाल साहब और माननीय ओझा साहब, स्पेसिफिक एक जनपद का उन्होंने प्रश्न लगाया, कुछ समितियों के बारे में कि नकद या ऋण की व्यवस्था हो रही है कि नहीं। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि कुछ समितियां बची थी जिलाधिकारी ने उस परेशानी को देखते हुए, रजिस्ट्रार को पत्र लिखा, रजिस्ट्रार ने कर दिया। यह एक जनपद का मामला था। माननीय शिवपाल जी उन समितियों की जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि कौन सी समितियां ऋण दे रही हैं कौन सी नहीं ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक सवाल और कर रहा हूं क्योंकि इसका जवाब तो आ नहीं रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश से इस समय खरीफ की बुवाई शुरू है तो क्या उत्तर प्रदेश की प्रत्येक प्रारम्भिक समिति पर डी0ए0पी0 खाद का वितरण हो रहा है ? और कितनी समितियां ऐसी हैं जिन पर खाद नहीं है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि किसानों की समस्या को सरकार ने बड़ी गम्भीरता से लिया है और माननीय मुख्य मंत्री सुश्री बहन मायावती जी ने विशेष रूप से खाद के बफर स्टाक के लिये निर्देश कर रखा है।

(माननीय सदस्य श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

ओझा जी, जो प्रश्न आप पूछना चाहते हैं वह प्रश्न आ गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार में किसानों को खाद पाने के लिये जो बदहाली झेलनी पड़ी है उसकी नौबत इस सरकार में नहीं आयेगी और जो भी समस्यायें आयेंगी उसे दूर किया जायेगा।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ प्रश्न पूछने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय अग्रवाल साहब बैठ जायें पूरा उत्तर आ गया है। माननीय शिवपाल यादव ने जो पूछा कि खाद की व्यवस्था करायेंगे, उसका भी उत्तर आ गया है। माननीय मंत्री जी ने बता दिया है कि मैं पूरी तरह से कटिबद्ध हूं तो सारी बातें आ गई हैं, आप लोग कृपया बैठ जाएं, मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

प्रदेश में हाईस्कूल एवं इण्टर की परीक्षाओं की स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली समाप्त करने की जानकारी

*5-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित की जाने वाली हाई स्कूल एवं इण्टर परीक्षा में स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली समाप्त करने पर सरकार विचार कर रही है, तथा क्या उक्त हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

जी हां।

एकल पीठ द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल एवं इण्टर की परीक्षाओं में स्वकेन्द्र प्रणाली को समाप्त करने का आदेश पारित किया गया जो खण्डपीठ द्वारा स्थगित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

अध्यक्ष महोदय, आपको और पूरे सदन को यह पता है कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा की प्रणाली है जिससे शिक्षा, परीक्षा और परिणाम तीनों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। उसके विभिन्न कारणों में से एक कारण स्वकेन्द्र प्रणाली भी है और मैंने इसीलिये एक सवाल किया था कि क्या सरकार स्वकेन्द्र प्रणाली को समाप्त करने के लिये विचार कर रही है और क्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस पर कोई रोक लगाई गई है ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि जी हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह "जी हां" दोनों बिन्दुओं के सन्दर्भ में है या माननीय उच्च न्यायालय का जहां पर सन्दर्भ आया है, उसके सन्दर्भ में है ? मान्यवर, मेरी जानकारी में है कि पिछली बार सरकार ने माननीय न्यायालय में यह कहा था कि चूंकि हम इस बार बहुत आगे आ गये हैं स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली की दिशा में इसलिये अब इसको रोककर समाप्त करना सम्भव नहीं होगा। इसलिये मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो वर्तमान सरकार सत्ता में आई है क्या नीतिगत रूप से वह यह मानती है कि जो स्वकेन्द्र प्रणाली है उसके कारण शिक्षा, परीक्षा और परिणाम इन सभी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और इसलिये क्या सरकार वर्तमान जो आगामी परीक्षा होनी है, इसमें क्या स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली समाप्त करने पर विचार कर रही है ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं, मैं आगे प्रश्न का उत्तर इसलिये नहीं पढ़ रहा था क्योंकि कल 16 जुलाई, 2007 को माननीया मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर शिक्षा की पवित्रता, गुणवत्ता बनाये रखने के लिये तथा परीक्षाओं को नकल विहीन कराने व विश्वसनीय बनाने के लिये स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है।

श्री आर0 ए0 उस्मानी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यदि स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली खत्म कर दी गई है तो इण्टरमीडिएट की छात्रायें हैं 17-18 साल की,

उनका परीक्षा केन्द्र 25 से लेकर 50 कि0मी0 दूर होगा, क्योंकि तमाम जगह 25-25 कि0मी0 की दूरी पर स्कूल नहीं हैं और लड़कियों को इतना दूर जाना पड़ेगा, इससे लड़कियों के साथ-साथ उनके अभिभावकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि लड़कियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उनके लिये स्व-केन्द्र प्रणाली रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य का यह कहना है कि लड़कियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुविधा के लिये क्या सरकार स्व-केन्द्र परीक्षा प्रणाली रखेगी ?

ठाकुर जगदीश सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो कहा है 25-25 कि0मी0 दूर जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। स्कूलों की 3-4 कि0मी0 से ज्यादा दूरी कहीं भी नहीं हैं सरकार बालिकाओं की सुरक्षा के लिये और उनकी सुविधा के लिये संवेदनशील है और कटिबद्ध है, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गारण्टी सरकार की होगी।

डा0 वकार अहमद शाह-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी को जानकारी नहीं है, मंत्री जी पहले जानकारी कर लें। 3-4 कि0मी0 पर बालिकाओं के विद्यालय कहीं भी नहीं हैं और स्व-केन्द्र परीक्षा प्रणाली खत्म कर देने की स्थिति में बालिकाओं को 25 से लेकर 50 कि0मी0 तक परीक्षा देने के लिये जाना पड़ेगा। इसी कष्ट को ध्यान में रखते हुए हमारे नेता मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने स्व-केन्द्र परीक्षा प्रणाली लागू की थी। स्व-केन्द्र परीक्षा प्रणाली को खत्म कर बालिकाओं के साथ अन्याय किया गया है। इसलिये क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बालिकाओं के परीक्षा केन्द्र उसी स्कूल या बगल के एक-दो कि0मी0 की दूरी पर उसी स्कूल में उनका सेन्टर हो ?

श्री आर0 ए0 उस्मानी-

माननीय मंत्री जी ने कहा कि स्कूल 3-4 कि0मी0 से ज्यादा दूर नहीं है और कोई भी स्कूल 25 कि0मी0 दूर नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि लखीमपुर खीरी और सीतापुर जनपद में 25 से लेकर 40-40 कि0मी0 की दूरी पर इण्टरमीडिएट कालेज हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने बालिकाओं को स्व-केन्द्र के लिये कोई रोक नहीं लगायी है बालिकाओं को इतनी दूर भेजा जाता है तो सरकार की नीयत साफ नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी और सरकार से मांग करता हूं कि बालिकाओं के लिये स्व-केन्द्र परीक्षा की सुविधा दी जाए। इस सरकार द्वारा महिलाओं के हक-हुकूक की रक्षा की बात कही जा रही है तो क्या इस तरह से उनकी पढ़ाई को बीच में रोकने का काम किया जायेगा, मैं इसका जवाब चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय खत्म हुआ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत रहें। प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है। उसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं।

जनपद लखनऊ में स्थित ब्लड बैंकों में बिक रहे दूषित ब्लड की जांच

*6-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में स्थित ब्लड बैंकों में बिक रहे दूषित एवं मानक के विपरीत ब्लड के विक्रय की आकस्मिक जांच विशेषज्ञों से करायेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अन्धता निवारण की कार्य योजना

*7-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी

क्या सरकार मंत्री कृपा करेगी कि प्रदेश में अन्धता निवारण हेतु सरकार ने कोई विशेष कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा-

राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार का शत प्रतिशत वित्त पोषित कार्यक्रम है एवं इसे भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार ही प्रदेश में संचालित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विश्वविद्यालय में शैक्षणिक शुल्क वृद्धि की जानकारी

*8-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक शुल्क बढ़ाये जाने की कोई नीति शासन मे लम्बित है ? यदि हां, तो वह क्या है और कितना शुल्क बढ़ाने की योजना है क्या लखनऊ विश्वविद्यालय ने शुल्क वृद्धि का कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

वांछित विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 124-132 पर)

नोट :-ता0 प्र0 रू0 5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद सीतापुर के राजकीय महाविद्यालय महमूदाबाद के भवन निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण

1-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय महाविद्यालय महमूदाबाद जनपद-सीतापुर के भवन निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक कर लिया जायेगा ?

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महमूदाबाद, सीतापुर हेतु भूमि के अधिग्रहण के लिये भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपद के जिला चिकित्सालयों में कैंसर के प्रारम्भिक उपचार की व्यवस्था

2-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में कैंसर के इलाज की व्यवस्था जनपद स्तर पर कहां-कहां उपलब्ध है ? क्या सरकार द्वारा जनपदीय स्तर पर इस रोग की इलाज की कोई व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा-

प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में कैंसर के प्रारम्भिक उपचार की व्यवस्था विद्यमान है तथा जनपद इलाहाबाद में कमला नेहरू रीजनल कैंसर सेन्टर, जनपद कानुपर में जे0के0 कैंसर इन्स्टीट्यूट, जनपद लखनऊ में एस0जी0पी0जी0आई0 एवं प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों में कैंसर के विशिष्ट उपचार की व्यवस्था है।

जनपदीय स्तर के जिला चिकित्सालयों में कैंसर रोग के प्रारम्भिक उपचार की व्यवस्था पूर्व से ही उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में शिक्षण हेतु नवनिर्मित भवनों को मानक के विपरीत बनाये जाने के सम्बन्ध में शिकायत पर कार्यवाही की जानकारी

3-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में शिक्षण हेतु नवनिर्मित भवनों को मानक के विपरीत बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 12-6-07 को शिकायत सचिव बेसिक शिक्षा से की गई ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

प्रकरण में शिक्षा निदेशक, बेसिक को समयबद्ध जांच कराकर यथोचित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शासनादेश के विपरीत अध्यापकों के सम्बद्धीकरण करने की जानकारी

4-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शासनादेश के विपरीत अध्यापकों का सम्बद्धीकरण किये जाने की शिकायत प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 11-6-07 को सचिव बेसिक शिक्षा से की गई ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

प्रकरण में शिक्षा निदेशक, बेसिक को समयबद्ध जांच कराकर यथोचित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा, अलीगढ़ व फिरोजाबाद में संचालित वैश्यालयों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की मांग

5-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में वैश्यावृत्ति रोकने हेतु किन-किन जनपदों में उद्धार अधिकारी तैनात हैं ? क्या यह सही है कि जनपद-आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद में अभी भी वैश्यालय संचालित हैं ? यदि हां, तो तैनात उद्धार अधिकारी द्वारा वर्ष 2004 से 15 जून, 2007 तक कितनी वैश्याओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (कु0 मायावती)-

जनपद इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ, वाराणसी, लखनऊ तथा आगरा में उद्धार अधिकारी तैनात हैं। उ0 अधिकारी शासनादेश संख्या-3299/60-3-04-13(54)/04, दिनांक 27-10-2004 के अन्तर्गत प्रदेश के आच्छादित सभी जनपदों के कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित हैं।

अवैध रूप से संचालित वैश्यालयों की सूचना मिलने पर छापों का आयोजन कर वैश्यालयों को बन्द कराया जाता है।

जनपद आगरा, अलीगढ़ व फिरोजाबाद में प्रश्नगत अवधि में कुल 154 वैश्यालयों/संचालिकाओं के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में प्राथमिक पाठशाला व जूनियर हाईस्कूल में लगे इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों को ठीक कराने की मांग

6-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में कितने ऐसे प्रा0पा0 व जूनियर हाई स्कूल हैं जिनमें लगे इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प खराब हैं तथा कितने ऐसे विद्यालय हैं जिनमें इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प नहीं लगे हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर खराब हैण्डपम्पों को ठीक करायेगी तथा जिन विद्यालयों में इण्डिया मार्का-II नहीं लगे हैं उनमें हैण्डपम्प स्थापित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद मैनपुरी के 140 प्राथमिक विद्यालय तथा 36 जूनियर हाईस्कूल के हैण्डपम्प खराब हैं तथा 92 प्राथमिक विद्यालय तथा 55 जूनियर हाईस्कूल में इण्डिया मार्का--II हैण्डपम्प नहीं लगे हैं।

जी हां।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

7-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद बलरामपुर में सादुल्लानगर चिकित्सालय के भवन निर्माण में विलम्ब हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

8-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलरामपुर में सादुल्लानगर चिकित्सालय को [illegible] घोषित कर भवन निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो निर्माण एजेन्सी को कितना धन उपलब्ध कराया गया है ? क्या निर्माण एजेन्सी द्वारा निर्माण समय से न कराने की जांच कराकर दोषियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा-

जी हां।

निर्माण एजेन्सी को रुपये 163.36 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

भवन निर्माण स्थल पर पुराने भवनों को तोड़ने तथा पेड़ों को हटाने के फलस्वरूप कार्य विलम्ब से प्रारम्भ हुआ। सम्प्रति कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलरामपुर के सरायखास के स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्साधिकारी की तैनाती की मांग

9-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान में जनपद बलरामपुर के सरायखास अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सा अधिकारी तैनात हैं ? यदि नहीं, तो कब तक चिकित्सा अधिकारी की तैनाती कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा-

जी नहीं।

डा0 एस0सी0 हेम्ब्रम, चिकित्साधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-सादुल्लानगर, बलरामपुर को अपने कार्यों के साथ नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-सरायखास, बलरामपुर का सप्ताह में 03 दिन कार्य करने हेतु तैनाती की गयी हैं संविदा के आधार पर चिकित्साधिकारियों की तैनाती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के अम्बेडकर ग्राम परसिया में प्राइमरी पाठशाला के निर्माण की जानकारी

10-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर विकास खण्ड रेहरा बाजार के अम्बेडकर ग्राम परसिया में प्राइमरी पाठशाला का निर्माण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो कब तक प्राइमरी पाठशाला का भवन बनवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

ग्राम परसिया में प्राइमरी पाठशाला का निर्माण नहीं हुआ है क्योंकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर की आख्यानुसार ग्राम परसिया ग्राम पंचायत अचलपुर चौधरी विकास खण्ड रेहरा बाजार के प्राइमरी पाठशाला, अचलपुर चौधरी-II से मानक के अनुसार सेवित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर देहात की जिला प्रोवेशन अधिकारी, श्रीमती उषा तिवारी से रुपये की वसूली एवं दण्डित करने की मांग

11-श्री कृपाशंकर सिंह-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन जिलाधिकारी कानपुर देहात डा0 ललित वर्मा के पत्र सं0-मेमो/जि0अ0/94-95/दिनांक 29-9-1994 तथा अर्द्धशासकीय पत्र सं0-मेमो/94-95/दिनांक 18-9-1995 के द्वारा श्रीमती ऊषा तिवारी, जिला प्रोवेशन अधिकारी, कानपुर देहात के विरुद्ध रुपया 4714.75 की वसूली सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ श्री ए0के0 विट तथा निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ से की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त

अधिकारी को दण्डित करते हुए रुपया 4714.75 की वसूली कराकर सरकारी कोष में जमा करा दिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

जी हां।

उक्त प्रकरण वर्ष 94-95 का है। महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन वर्ष 94-95 में होने के बाद मामले से सम्बन्धित अभिलेख समाज कल्याण विभाग से इस विभाग को प्राप्त नहीं हुए। श्रीमती उषा तिवारी वर्तमान में जनपद कानपुर नगर में तैनात हैं। उनके विषय में कतिपय अन्य शिकायतों के साथ प्रश्न के प्रथम अंश में उल्लिखित शिकायत के विषय में एक शिकायती पत्र शासन में प्राप्त हुआ था। उक्त शिकायती-पत्र की जांच करने के निर्देश जिलाधिकारी, कानपुर नगर को दिये गये हैं। उनसे आख्या प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

[माननीय सदस्य के अनुरोध पर नियम-40 के अन्तर्गत स्थगित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों को निर्धारित मानक न पूरा करने पर विद्यालय की मान्यता रद्द करने की मांग

*1-श्री बृजेश सौरभ-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों की मान्यता देने हेतु कोई मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में जिन हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेजों को मान्यता प्रदान की गयी क्या वह नियमों के अन्तर्गत ही दी गयी है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी विद्यालयों की मान्यता रद्द करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

जी हां।

माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 9(4) के अन्तर्गत निर्धारित मानकों को शिथिल कर मान्यता दी गयी।

जिन विद्यालयों के द्वारा मान्यता की शर्तें पूरी नहीं की गई है उनकी मान्यता रद्द करने की कार्यवाही की जायेगी।

तीन माह के अन्दर।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 17 जुलाई, 2007 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं ।

पहली सूचना श्री धर्मपाल यादव, डी0पी0 यादव की गौतमबुद्ध नगर में नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों की अधिगृहीत भूमि के एवज में परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री राम विशुन आजाद की गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत किसानों की खड़ी फसल को जंगली जानवरों आदि से बचाने हेतु वन सीमाओं को चारों तरफ से तार के बाड़ से घिरवाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री चन्द्रभद्र सिंह की सुल्तानपुर के इसौली क्षेत्रान्तर्गत तिरहुत तथा देहली बाजार में निर्मित पानी की टंकियों से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध मे है।

चौथी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की मेरठ मण्डी परिषद् के अधिकारियों द्वारा देशी घी का व्यापार करने वाले व्यापारियों को अनावश्यक रूप से किये जा रहे उत्पीड़न को रोकने के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री संजय कपूर की रामपुर के विलासपुर क्षेत्रान्तर्गत पुराने जर्जर तहसील भवन पर नया निर्माण कराने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय नहरों में पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी की लखनऊ के मोहल्ला कृष्णलोक नगर फैजुल्लागंज द्वितीय के बीचोबीच से 11000 विद्युत पावर की लाइन को हटाकर सड़क के किनारे लगवाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की आजमगढ़ सदर क्षेत्रान्तर्गत ओहिनी माइनर तथा गद्दी माइनर में टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना श्री जोखू लाल यादव की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत सिरौली तिराहा से जलालपुर कस्बा मार्ग ध्वस्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री उदयभान करवरिया की इलाहाबाद में गंगा नदी में गन्दे नालों एवं रसायनिक पदार्थों के प्रभाव को रोकने के लिये अविलम्ब ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगवाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की सिद्धार्थनगर के थाना त्रिलोकपुर अन्तर्गत ग्राम नकत्थर देवरिया तथा देवगंजपुर में बालिकाओं के साथ कथित बलात्कार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्री मिथलेश कुमार की शाहजहांपुर के पुवायां क्षेत्रान्तर्गत शिवजी महराज सुनासिर नाथ मन्दिर मेला सुरक्षित स्थान पर भू-माफियाओं द्वारा किये गये कब्जे को हटवाने के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू की सीतापुर में तहसील लहरपुर के ग्राम शाहपुर एवं तहसील बिसवां अन्तर्गत ग्राम सरैया भटपुरवाँ के मजरा भटपुरवाँ में किये गये आधे-अधूरे विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण कराने एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में है।

चौदहवीं सूचना श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह की गोरखपुर के धुरियापार क्षेत्रान्तर्गत उरुवा बाजार कस्बे की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में है।

निम्नांकित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं :--

1-श्रीमती उमलेश यादव

2-श्री विद्यासागर गुप्ता

3-श्री सुन्दर सिंह

4-श्रीमती कृष्णाराज

5-श्री राम किशुन

6-डा0 कौशल किशोर

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

गौतमबुद्ध नगर में नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों की अधिगृहीत भूमि के एवज में परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री धर्मपाल यादव डी0 पी0 यादव-

[अध्यक्ष महोदय, जनपद गौतमबुद्ध नगर के सम्बन्ध में एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय में सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों की भूमि बडे पैमाने पर अधिग्रहीत की जाती है परन्तु उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। किसानों की उपजाऊ भूमि नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत हो जाने के बाद किसान के पास कोई भी आय का स्रोत नहीं रह जाता है।

मैं माननीय महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों की भूमि अधिग्रहीत किये जाने पर उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु सरकार को निदेश देने की कृपा करें।

अतः मैं इस अविलम्बनीय महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत किसानों की खड़ी फसल को जंगली जानवरों आदि से बचाने हेतु वन सीमाओं को चारों तरफ से तार के बाड़ से घिरवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम बिशुन आजाद-

[अध्यक्ष महोदय, देवी पाटन मण्डल के अन्तर्गत जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत कई ऐसे ग्राम पंचायतें हैं जो अधिकांशतः वनों से घिरे हुए हैं। रामगढ़ टिकरी रेंज के अन्तर्गत आने वाले अधिकांश ग्राम वन सीमा से जुड़े हुए हैं तथा वनों के बीचोबीच में भी कई ग्राम पंचायतें हैं जो वनों से चारों तरफ घिरी हुई हैं। अधिकांश कृषक मध्यम श्रेणी के हैं एवं छोटे-छोटे काश्तकार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। जो अधिकांशतः कृषि एवं मजदूरी पर निर्भर हैं। किसानों द्वारा अपनी फसलों की बुआई करता है उसे जंगली जानवरों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है जिससे किसान की गाढ़ी कमाई बर्बाद हो जाती है और फसलों में लगाई गई पूंजी वापस नहीं आती है वह भुखमरी के कगार पर पहुंच जाता है। वन अधिकारियों द्वारा अपने वन सीमा के अन्दर ग्रामीणों की मवेशी पर प्रतिबन्ध लगाते हैं एवं ग्रामीणों को परेशान कर जुर्माना वसूल करते हैं। लेकिन वन विभाग अपने जानवरों, नीलगाय, जंगली सुअर, बन्दर एवं अन्य जानवरों को अपने वन सीमा के अन्दर क्यों नहीं रोकते हैं जो कृषकों की खड़ी फसल को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। वन विभाग द्वारा अपने वन सीमाओं को चारों तरफ से तार के बाड़ से घिरवाये और वन सीमा से लगे हुए गांव का सर्वे करवा कर पीड़ित किसानों की फसल क्षतिपूर्ति का मुआवजा दे।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

सुल्तानपुर के इसौली क्षेत्रान्तर्गत तिरहुत तथा देहली बाजार में निर्मित पानी की टंकियों से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री चन्द्रभद्र सिंह-

[अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र इसौली सुल्तानपुर में इसौली, तिरहुत तथा देहली बाजार में पेयजल हेतु पानी की टंकी विगत तीन वर्षों से बनकर तैयार है। परन्तु अभी तक उससे पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। पेयजल के संकट को देखते हुए उस टंकी में सप्लाई न होने के कारण क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है जिस कारण कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है।

अतः मैं उक्त सूचना के माध्यम से टंकी को शीघ्र चालू कराने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरठ मण्डी परिषद् के अधिकारियों द्वारा देशी घी का व्यापार करने वाले व्यापारियों को अनावश्यक रूप से किये जा रहे उत्पीड़न को रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

[अध्यक्ष महोदय, मेरठ मण्डी परिषद् के अधिकारियों द्वारा देशी घी का व्यापार करने वाले व्यापारियों का अनावश्यक रूप से उत्पीड़न किया जा रहा है। मेरठ जनपद में देशी घी का व्यापार करने वाले व्यापारी देशी घी को उत्तर प्रदेश के बाहर व्यापार-कर के फार्म-एफ के माध्यम से देशी घी की बिक्री करते हैं। जिस पर व्यापार कर देय नहीं होता हैं प्रदेश से बाहर बिक्री किये गये किसी भी वस्तु पर मण्डी शुल्क भी देय नहीं होता हैं मण्डी समिति के अधिकारी फार्म-एफ के माध्यम से की गई देशी घी की बिक्री पर मण्डी समिति का गेट पास नहीं बनाते हैं। गेट पास बनाने हेतु 2.5 प्रतिशत मण्डी शुल्क जमा कराने के उपरान्त गेट पास देते हैं और कहते हैं कि 45 दिन में फार्म लाकर जमा करिये तब यह धनराशि आपको लौटा दी जायेगी। 45 दिन में व्यापारी से फार्म नहीं आ पाता है जिसके कारण व्यापारी का आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। व्यापार कर के फार्म-एफ के माध्यम से की गई बिक्री पर मण्डी समिति का गेट पास बिना मण्डी शुल्क लिये बनाया जाना चाहिए।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

रामपुर के विलासपुर क्षेत्रान्तर्गत पुराने जर्जर तहसील भवन पर नया निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री संजय कपूर-

[अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र बिलासपुर की तहसील भवन की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। यह तहसील भवन अत्यन्त प्राचीन है तथा जीर्णावस्था में है बरसात के समय में इसमें जितनी बरसात बाहर होती है उतना ही पानी अन्दर भी टपकता है। इसकी दीवारें अत्यन्त पुरानी हैं। जो कि अक्सर गिर जाती हैं। उसकी मरम्मत करके काम चलाया जा रहा है। तथा छत कड़ियों से निर्मित है जोकि गल चुकी हैं। यहां पर दीवार गिरने व छत कड़ियां गिरने से कई बार लोगों को गम्भीर चोटें लग चुकी है इसको नया बनाने की मांग पिछले लगभग 20-25 साल से चली आ रही है। इसके नया न बनने से जनता में रोष व्याप्त है यदि इसका पुनः निर्माण नहीं कराया गया तो किसी भी दिन कोई गम्भीर घटना घटित हो सकती है। इसका अविलम्ब बनाया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है, इसके सम्बन्ध में नये भवन के निर्माण का प्रस्ताव बहुत लम्बे समय से लम्बित है। तहसील भवन जर्जर होने के कारण वहां पर लोग ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं और छत पर लगी कड़ियों के टूटने का डर बना रहता है। तहसील भवन का नया निर्माण कराये जाने के लिये बहुत समय से मांग चली आ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रही है लेकिन इस पर किसी प्रकार की सुनवाई न होने के कारण क्षेत्रीय नागरिकों एवं जनमानस काफी असंतोष एवं रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व एवं अविलम्बनीय प्रश्न को सदन में उठाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करें।]

सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय नहरों में पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

[अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जनपद सीतापुर के सरइया माइनर, उमेरा मानर, सैर माइनर, पानी न आने के कारण हजारों किसान अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। साथ-साथ कडुवापुर माइनर में दी किसान सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद द्वारा मिल का गन्दा पानी माइनर में छोड़े जाने के कारण माइनर की आस-पास की जमीन ऊसर हो जा रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर उपरोक्त नहरों में यथाशीघ्र पानी छोड़े जाने के साथ-साथ चीनी मिल द्वारा नहर में गिराये जा रहे गन्दे पानी को रोककर साफ पानी से नहर चलाये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं।]

लखनऊ के मोहल्ला कृष्णलोक नगर फैजुल्लागंज द्वितीय के बीचोबीच से 11000 विद्युत पावर की लाइन को हटाकर सड़क के किनारे लगवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0 ए0 उस्मानी-

[अध्यक्ष महोदय, आपको अवगत कराना है कि मो0 कृष्णलोक नगर फैजुल्लागंज द्वितीय जो त्रिवेणीनगर लखनऊ बन्धा से नीचे बसी हुई है जो महापालिका लखनऊ में आती है। इस कालोनी के बीचोबीच में 11000 विद्युत पावर की लाइन गयी हुई है जिसके विगत कई वर्षों से दर्दनाक घटनायें हो रही हैं। जिसमें प्रमुख रूप से विश्वनाथ चौहान, कर्मचारी राजस्व परिषद् की तार छू जाने से मृत्यु हो गयी थी 6 अगस्त, 2006 को अली रजा की पूरी झोंपड़ी जल कर राख हो गयी थी। दिनांक 04-02-2007 को एक ट्रक उपरोक्त तारों की चपेट में आ गया जिससे एक श्रमिक की मौत हो गयी तथा दो लेबरों को गम्भीर चोटें आई थीं। इस कालोनी में जाने वाले रास्ते पर पानी भरा रहता है जिससे खम्भों पर हाई वोल्टेज का करन्ट आ जाता है जिससे मोहल्ले वासियों को लगातार खतरा बना रहता है और जिससे क्षेत्र के निवासियों में आक्रोश/जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः माननीय ऊर्जा मंत्री से अनुरोध है कि उपरोक्त विद्युत लाइन को सड़क के किनारे-किनारे खम्भे गाड़ कर लगा दिया जाये ताकि जनहानि से बचा जा सके।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आजमगढ़ सदर क्षेत्रान्तर्गत ओहिनी माइनर तथा गद्दी माइनर में टेल तक पानी पहुंचाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[अध्यक्ष महोदय, आपको अवगत कराना है कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर अन्तर्गत ओहनी माइनर और गद्दी माइनर हैं ओहनी माइनर की लम्बाई करीब 4-5 कि0मी0 है जो ओहनी से बेलवा बनारा तक जाती है उस नहर में कभी पानी ही नहीं गया तथा गद्दी माइनर में भी पानी नहीं जाता है और वहां के ग्रामीण जनता से बराबर वसूली होती रही है जिससे जनता में घोर असंतोष है कि हमारे यहां पानी भी नहीं जाता है और मुझसे वसूली भी बराबर की जा रही है।

अतः इस अविलम्बनीय और लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ओहनी माइनर तथा गद्दी माइनर टेल तक पानी पहुंचाया जाय तथा पिछले वर्षों में जो पानी नहीं गया है और वसूली हो रही है उस वसूली को माफ किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत सिटौली तिराहा से जलालपुर कस्बा मार्ग ध्वस्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*जोखू लाल यादव-

[अध्यक्ष महोदय, आपको अवगत कराना है कि इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत सिटौली तिराहे से जलालपुर कस्बा मार्ग इतना खराब हो गया है कि आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। आवागमन बाधित है। जनता में सड़क की मरम्मत न कराये जाने के कारण आक्रोश व्याप्त हैं।

अतः जनहित एवं इस लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किये जाने की मांग करता हूं।]

इलाहाबाद में गंगा नदी में गन्दे नालों एवं रसायनिक पदार्थों के प्रभाव को रोकने के लिये अविलम्ब ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री उदयभान करवरिया-

[अध्यक्ष महोदय, जनपद इलाहाबाद को संगम नगरी भी कहा जाता हैं गंगाजी की निर्मल एवं स्वच्छ धारा स्नान एवं आचलन के लिये प्राप्त हो ऐसी हिन्दू समाज की मान्यता है तथा गंगा को प्रदूषण मुक्त करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा धन भी उपलब्ध कराया जाता है गंगोत्री से निकली गंगा जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो धामपुर एवं गजरौला की कई चीनी मिलों का प्रदूषण कर गंगाजी में मिलता है। फिरोजाबाद की चूड़ियों एवं साड़ियों की रंगाई का केमिकल जिसे

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

काली नदी कहा जाता है भी गंगाजी में मिलता है। कानपुर के 63 सीवर नाले तथा 200 चमड़ा फैक्ट्री का प्रदूषण तथा जाजमऊ की लेई फैक्टरियों का प्रदूषण (जिन्हें ग्लू फैक्ट्री कहते हैं) उन्नाव के 16 सीवर नाले तथा चमड़ा फैक्ट्री, फतेहपुर की चाट चमड़ा, रायबरेली में ऊंचाहार थर्मल पावर का कचरा, इलाहाबाद के 37 नये सीवर नाले में सब गंगा जी में मिल कर संगम के जल को प्रदूषित कर रहे हैं। प्रदूषण मुक्ति अभियान के तहत साधु संतों तथा आम जनमानस द्वारा समय पर आन्दोलन भी किये गये हैं। स्वामी हरिचैतन्य ब्रह्मचारी जी द्वारा एक याचिका भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद (रिट संख्या 4003/2006) दायर हैं। नरौरा स्थित डैम में गंगा जी के पानी को रोक कर सिर्फ प्रदूषित जल ही संगम में बह रहा है। इस कारण बीमारियों के अलावा हिन्दू भावना भी आहत होती है। उपरोक्त सभी इकाइयां जो अपने फैक्ट्री वेस्ट को गंगा जी में प्रवाहित करती है तथा जो सीवर नाले प्रभावित गगा जी में मिलते हैं। ये नियमों का कड़ाई से पालन कर ट्रीटमेंट प्लान्ट अविलम्ब लगवाने हेतु सरकार को कई निर्देश जारी कर उन्हें लागू कराने की व्यवस्था माघ स्नान तथा कल्पवास के पूर्व कराना चाहिए।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षण कर अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।

सिद्धार्थनगर के थाना त्रिलोकपुर अन्तर्गत ग्राम नकत्थर देवरिया तथा देवगंजपुर में बालिकाओं के साथ कथित बलात्कार की जांच कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

[अध्यक्ष महोदय, थाना त्रिलोकपुर के अन्तर्गत ग्राम नकत्थर देवरिया तथा देवगंजपुर आदि में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी लचर हो गयी है कि आये दिन वहां बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। सर्वप्रथम 17 जून, 2007 को सुनीता नामक लड़की को जबरन घर से उठा ले जाकर खेत में बलात्कार किया गया। परन्तु पुलिस ने इसकी रिपोर्ट मारपीट में दर्ज की। हम लोगों के बहुत दबाव बनाने के बाद तीन दिन के बाद इस मुकदमें को 376 में परिवर्तित किया। इसी तरह से गोविन्दपुर गांव के निवासी एक बालिका को जो मौसी के घर लमुइया जा रही थी उसे रास्ते में ही मोटर साइकिल पर बैठा कर अपहरण कर लिया गया तथा काफी दिनों तक अपहरणकर्ताओं ने उसे बन्धक बनाकर रखा और उसके साथ दुर्व्यवहार करते रहे। यह लड़की 26 दिन के बाद जब इसे अपहरणकर्ता नैपाल ले जा रहे थे, रास्ते में भीड़ को देखकर गुहार लगायी। अपहरणकर्ता उसे छोड़ कर भागे। उसके बाद पुलिस ने उसे लाकर इसके नाना शिवनन्दन के पास पहुंचा दिया। सम्भवतः पुलिस ने अपराध अभी पंजीकृत किया है। परन्तु अभी तक एक भी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किया गया है। जिससे जनता में रोष है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत कर सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शाहजहांपुर के पुवायां क्षेत्रान्तर्गत शिवजी महाराज सुनासिर नाथ मन्दिर मेला सुरक्षित स्थान पर भू-माफियाओं द्वारा किये गये कब्जे को हटवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मिथलेश कुमार--

[अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां अन्तर्गत ग्राम सभा ददिउरी परगना बन्डा, तहसील पुवायां के गांव पुरानी सुनासठ में गाटा संख्या 86 खतौनी संख्या 181 रकबा 4.662 हेक्टेयर शिवजी महाराज सुनासिर नाथ मंदिर मेला स्थान सुरक्षित है जिस पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है और खेती की जा रही है। यह एक पर्यटन स्थल भी है और दूर-दूर से लोग आते हैं। भू-माफियाओं का आतंक इतना है कि कोई बोलने को तैयार नहीं है। स्थानीय अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। लोग आन्दोलित हैं और रोष है।

अतः इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कब्जा की गई भूमि को खाली कराने की मांग करता हूं।]

सीतापुर में तहसील लहरपुर के ग्राम शाहपुर एवं तहसील बिसवां अन्तर्गत ग्राम सरैया भटपुरवा के मजरा भटपुरवा में किये गये आधे-अधूरे विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण कराने एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

[अध्यक्ष महोदय, जनपद सीतापुर में तहसील लहरपुर के अन्तर्गत ग्राम शाहपुर एवं तहसील बिसवां अन्तर्गत ग्राम सरैया भटपुरवा के मजरा भटपुरवा का विद्युतीकरण 2002-03 अथवा 2003-04 वर्ष में मेरे द्वारा प्रस्तावित किया गया था। विद्युत विभाग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दोनों गांवों का आधा अधूरा ही कार्य किया गया है मात्र खम्भे गाड़कर इतिश्री कर दी गई तथा गांवों को संतृप्त दिखा दिया गया।

अतः आपके माध्यम से उक्त ग्रामों के अधूरे विद्युतीकरण को पूर्ण कराने के साथ-साथ फर्जी तरीके से विद्युतीकरण को पूर्ण दिखाने की जांच करके दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की सरकार से मांग करता हूं।]

गोरखपुर के धुरियापार क्षेत्रान्तर्गत उरुवा बाजार कस्बे की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह-

[अध्यक्ष महोदय, उरूवा बाजार के कस्बे में एक कि0मी0 की सड़कों पर ढाई फुट पानी बरसात होने पर भरा रहता है। कस्बे में वहां निरन्तर दस-पांच हजार जनता वहां पर रहती है। डिग्री कालेज कन्या, इण्टर कालेज, हास्पिटल, बैंक व पोस्ट आफिस वहां पर स्थापित हैं। वहां पर शनिवार को ऐतिहासिक बाजार लगती है जहां पर क्रय विक्रय करने के लिये पचासों हजार जनता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हर बाजार को जाती है। वहां पर पानी भरने की वजह से न कोई पैदल व साइकिल व अन्य वाहन से चल पा रहा है। आम नागरिक का चलना दूभर हो रहा है।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शीघ्र प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 17 जुलाई, 2007 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित छः सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की उत्तर प्रदेश विधान सभा में कुछ दिवसों से कतिपय मा0 सदस्यों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक के अनुदानों एवं प्रदेश की अन्य समस्याओं के विषय पर चर्चा न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल की शासन द्वारा शासनादेश जारी किये जाने के बावजूद भी प्रदेश में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा वाहनों पर लाल/नीली बत्ती का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री आर0 ए0 उस्मानी की जनपद जौनपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 छोटई यादव के आश्रितों का नाम तहसील केराकत के राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर अभिलेख आश्रितों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की दिनांक 10-7-2007 को नियम-51 के अन्तर्गत सदन में नगर विकास मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में उल्लिखित प्रतिबन्धित दवाई का प्रयोग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का उल्लेख न होने के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री महेश गुप्ता की नियम-311 के अन्तर्गत 10-7-07 को बैंक मैनेजर मुकुल गुप्ता की हत्या के सम्बन्ध में उठाये गये बिन्दुओं पर पुलिस द्वारा घटना की रिपोर्ट न लिखने एवं गलत सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला तथा चौधरी रविन्द्र प्रताप की जनपद सिद्धार्थनगर में उस्का, सौहास मोहाना मार्ग पर पक्का पुल बनवाने हेतु स्वीकृत धनराशि अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा में विगत दिवसों में कतिपय सदस्यों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक के अनुदानों पर चर्चा एवं प्रदेश की अन्य समस्याओं के विषय में चर्चा न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं औचित्य के माध्यम से सदन की कार्यवाही नियमानुसार चलाये जाने के सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं और मान्यवर, नियम-300 के अन्तर्गत औचित्य का

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्न यह इस तरह से बनता है कि भारत के संविधान में मान्यवर स्पष्ट व्यवस्था है कि बजट कैसे पारित किया जाय ? कटौती कैसी रखी जाय ? मान्यवर, उस पर चर्चा कैसे हो और उसी को अंगीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में पूरा एक अध्याय वित्तीय विषयों के सम्बन्ध में प्रक्रिया के संदर्भ में जुड़ा है और इसको अध्याय 15 के नाम से जाना जाता है। मान्यवर, इसका 186 अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सभा में आय-व्ययक पर दो प्रकरणों पर विचार होगा अर्थात् पहले साधारण चर्चा दूसरा अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान। मान्यवर, इसी क्रम में 188 का उल्लेख करना चाहूंगा। मान्यवर, अध्यक्ष, आपको यह अधिकार है कि सदन नेता के परामर्श से अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान के लिये 24 दिनों से अधिक के दिन नियत करेंगे। मान्यवर, मैं यहां पर एक शब्द जोड़ देना चाहता हूं सदन नेता के परामर्श पर अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। पहले विचार होगा फिर मतदान होगा। मान्यवर, इसी में 188(6) को मैं और स्पष्ट कर देता हूं। जब एक ही मांग से सम्बद्ध अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायें तो जिस क्रम में उनमें सम्बद्ध शीर्षक आय-व्ययक में दिये हों उसी क्रम में उन पर चर्चा की जायेगी। यानि मान्यवर, चर्चा आवश्यक है अनुदान में कटौती रखना परम्परा नहीं है, आवश्यकता है।

मान्यवर, संविधान में कटौती क्यों रखी जाय ? इसको भी स्पष्ट किया गया है जो नियमावली में इस रूप में है। कटौती का प्रस्ताव नियमावली के नियम-189 से संदर्भित है जिसमें कहा गया है कि किसी मांग की राशि कम करने के लिये निम्नलिखित में से किसी भी ढंग से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा। (क) मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। मांग में अन्तर्निहित नीति से अननुमोदन प्रकट करने के लिये ऐसा प्रस्ताव 'नीति अननुमोदन कटौती' कहा जायेगा, ऐसे प्रस्ताव की सूचना देने वाले सदस्य उस नीति का ब्योरा सुतथ्यतया दर्शायेंगे जिस पर वे चर्चा करना चाहते हों। मान्यवर, कटौती जब रखी जायेगी तो उस पर भी चर्चा होगी। चर्चा सूचना में उल्लिखित विशिष्ट बात या बातों तक सीमित रहेगी और सदस्य वैकल्पिक नीति का सुझाव दे सकेंगे। आगे के नियम मान्यवर, तमाम ग्राह्यता और उपबन्धों का उल्लेख करते हैं लेकिन संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और नियमावली के नियमों से मैंने यह स्पष्ट कर दिया कि बजट अनुदानों पर कटौती आवश्यक है। चर्चा अत्यन्त आवश्यक है और बिना चर्चा के मतदान नहीं होगा।

मान्यवर, क्या हो रहा है पिछले 3/4 दिनों से। 4/5 दिनों से क्या हो रहा है ? महत्वपूर्ण विषयों पर मैं मानता हूं जो भी विषय उठाये जाते हैं सदन में वो आपकी अनुमति से उठाये जाते हैं और आप अनुमति देते हैं ?, आपका विवेक होता है और हर विषय महत्वपूर्ण होता है। मैं किसी विषय के महत्व पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाता लेकिन क्या मान्यवर, यह सदन नियमावली और संविधान के उपबन्धों के अधीन नहीं चलेगा। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं कि खुद नियम बनाने वाले इस सदन को नियमों से नहीं चला रहे हैं संविधान की अनदेखी कर रहे हैं और उन नियमों की अनदेखी कर रहे हैं जिससे इस सदन की कार्यवाही विनियमित होती है। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी न हुआ हो और पहली बार हो रहा हो कि माननीय सदस्य

वेल में आ रहे हों, वेल इसीलिये बना है और सदस्य हमेशा वेल में आते रहे हैं। यह अलग बात है हम हर बार कसम खाते हैं, सौगंध खाते हैं कि वेल में नहीं आयेंगे। यह पहली बार नहीं हुआ है कि किसी चर्चा के दौरान व्यतिक्रम हुआ हो, व्यवधान हुआ हो और सदन की कार्यवाही स्थगित हुई हो। होता रहा है कम होता रहा है लेकिन मान्यवर, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बजट पर चर्चा न होना, बजट पर कटौती के प्रस्ताव का प्रस्तुत न होना, हम नियमों और संविधान को हम रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं ? मान्यवर, यह तो रहा एक संवैधानिक पक्ष, जरा व्यवहारिक पक्ष पर आयें क्यों होती है यह कटौती, यह मान्यवर, जनता की गाढ़ी कमाई पर अगर एक साल में एक मद पर पैसा खर्चा किया जाता है तो सब उस पर अपनी बात कह सकें। सत्तारूढ़ अपना बजट लाता है विपक्ष कटौती के माध्यम से जनता की आवाज को उठाता है। लेकिन यहां न बजट रखा जा रहा है न कटौती का प्रस्ताव रखा जा रहा है और न चर्चा हो रही है।

मान्यवर, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर चर्चा नहीं करने दी जा रही है तो कहीं न कहीं नियमों और संविधान के विपरीत आचरण कर रहे हैं। मान्यवर, न जाने कितने महत्वपूर्ण विभागों पर बजट पारित होता जा रहा है। नये सदस्य हों या पुराने सदस्य हों, नये और पुराने सदस्यों में एक फर्क हो सकता है मान्यवर, कुछ लोग ज्यादा अनुभवी हैं और ऊपर से जब पैदा हुए तो ज्यादा विद्वान पैदा हुए। मैं उनकी विद्वता पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन क्या किसी विद्वान सदस्य को अधिकार है कि वह दूसरे को न बोलने दे या फिर वह ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दे कि दूसरे लोग न बोल पायें या फिर संख्या बल के आधार पर दूसरे दल न बोल पायें, दूसरे लोग न बोल पायें। शुक्रवार को मान्यवर, जैसे ही मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ, आपने बोलने की अनुमति भी दे दी लेकिन जैसे ही मैं एक वाक्य बोल पाया कि एक वरिष्ठ सदस्य ने दूसरे सदस्यों से कहा कि नारा लगाओ, यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं। मान्यवर, एक सदस्य को बोलने का अधिकार दिया जाए और दूसरे को न बोलने दिया जाए तो मैं इसको संसदीय परम्परा नहीं कहता हूं संसदीय परम्परा की हत्या कहता हूं। मान्यवर, इस सदन का औचित्य क्या रहा, मैंने अपने कानों से सुना, आपसे उल्लेख किया, मान्यवर, इसके पीछे कहीं यह मंशा तो नहीं, ठीक है हम अपनी बात रखेंगे या तो छुट्टी कर दीजिए और सदस्यों की, कि जाएं बस दो-चार मा0 सदस्य सदन चलायें। वेल में बैठकर चलाएं या फिर आपकी पीठ के आसपास खड़े होकर चलाएं। लेकिन मान्यवर, यह उचित नहीं है कि बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का मौका न दिया जाए। व्यवधान उत्पन्न किया जाए। व्यवधान मान सकते हैं। वेल में आया जाए अपनी बात कही जाए लेकिन फिर जब आप सदन स्थगित कर दें हम लोग बैठ कर तय कर लें उसके बाद तो सदन व्यवस्थित रूप से चले। पर उसके बाद जब हम बैठते हैं तो बजट नहीं लिया जाता चर्चा नहीं होने दी जाती। अनुदान नहीं लेने दिया जाता। आखिर इसके पीछे वजह क्या है ? मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं किसी मुद्दे पर मा0 सदस्य कहना चाहते हैं, हमारे दल के सदस्य हैं, निर्दलीय सदस्य हैं लोकदल के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के मा0 सदस्य है जो बोलना चाहते हैं। लेकिन उनके अधिकारों को कौन छीन रहा है मैं इस

पर औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस पर मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहता हूं। अगर उस पीठ पर बैठकर मान्यवर, आप यह वातावरण नहीं दे सकते हैं कि सदन में चर्चा हो, कटौती के प्रस्ताव पर हम बोलें और सरकार की कमियों को उजागर करें सरकार को नीतिगत विषय पर परामर्श दे सकें। अपनी राय दे सके अगर यह अधिकार हमें नहीं है और आप इस अधिकार का संरक्षण नहीं कर सकते हैं तो मैं औचित्य के माध्यम से व्यवस्था चाहता हूं कि क्या यह बजट अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है ? क्या आप यह आश्वासन सदन को आप देंगे या सदन के माध्यम से वह लोग देंगे कि सदन में जब भी बजट रखा जाए उस पर कटौती का प्रस्ताव रखने का वातावरण बने। उस पर चर्चा का वातावरण बनाया जाए। उस पर खासतौर से नये सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाए। अगर नहीं बोलने का मौका नहीं दिया जाता है , कुछ लोग अगर अपने को महाविद्वान समझते हैं तो इस सदन में एक सदन और गठित कर दीजिए और उन महाविद्वानों के लिए एक और अध्यक्ष नियुक्त कर दीजिए। मान्यवर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि संख्या-बल के आधार पर अगर छोटे दलों को दबाया जाता है, तो यह उचित नहीं है और मैं आहत हूं और मैं पीड़ित हूं और जब मैं अपनी बात कह रहा हूं तो दुख के साथ कह रहा हूं कि जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो एक सम्मानित सदस्य ने जिस तरह लोगों को उकसाया है, मान्यवर, वह निन्दनीय है, उसकी निन्दा की जानी चाहिए। यदि वरिष्ठता की बात है तो मैं उनसे भी ज्यादा वरिष्ठ हूं और यदि संसदीय परम्परा की बात हो तो मैं उनसे भी ज्यादा संसदीय परम्परा जानता हूं। मैं चाहता हूं कि सदन नियमों से चले, सदन दादागीरी से नहीं चलना चाहिए। सदन इस बात से नहीं चलना चाहिए कि जिस तरह से हम चलायेंगे, उसी तरह से सदन चलेगा और मान्यवर, अच्छा होना बहुत अच्छा लगता है और सब आपकी तारीफ करें, यह भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कहीं-कहीं आपको नियमों के पालन के लिये सख्त होना भी चाहिए और अगर आप नियमों के पालन के लिये सख्त नहीं होते तो सबसे ज्यादा अगर आप कहीं किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं तो उनके साथ कर रहे हैं जो बोलना चाहते हैं और जिनको बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। मान्यवर, मैं औचित्य के प्रश्न के माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिन नियमों का मैंने, भारत के संविधान का नियमों और अनुच्छेदों का उल्लेख किया है उनका उल्लंघन आप रोकेंगे, उस पर कोई व्यवस्था देंगे, मान्यवर ? मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं और कड़ाई के साथ रोकेंगे, मैं आपसे यह आश्वासन भी चाहता हूं।

(श्री सतीश महाना के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

महाना साहब, प्रमोद तिवारी जी ने बात रख दिया।

* श्री सतीश महाना-

मान्यवर, कई बार बात हो चुकी है, बहुत महत्वपूर्ण औचित्य का प्रश्न मा0 प्रमोद तिवारी जी ने उठाया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, प्रमोद तिवारी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है इसमें तो लगता है किसी मा0 सदस्य के ऊपर पूरा आरोप लगा रहे हो। किसी एक सदस्य के ऊपर व्यक्तिगत, यह औचित्य नहीं है, यह तो ऐसा लग रहा है कि यह व्यक्तिगत आरोप है।

श्री अध्यक्ष-

यह आरोप नहीं है।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

यह बिल्कुल उचित नहीं है। यह तो एक व्यक्तिगत आरोप है। मा0 प्रमोद जी या तो बतायें कि किस सदस्य के लिये कह रहे हैं ? लेकिन इस तरीके से किसी एक सदस्य के लिये कह दें, उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 अग्रवाल साहब, किसी का नाम तो उन्होंने लिया नहीं। आरोप में किसी का नाम लिया जाता है, तब माना जाता है कि आरोप लगा है।

* श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, यदि आपकी अनुमति हो तो केवल दो शब्द कहना चाहूंगा। इसमें नाम लेने न लेने की बात हुई, मान्यवर। सदन का वातावरण सुधारने की बात है, हमारी सोच होनी चाहिए कि सदन का वातावरण सुधरे, हम लोग अपनी बात को कह सकें और विशेष रूप से जो नये सदस्य आये हैं, उनको अपनी बात कहने का अवसर मिल सके। उस दिशा में प्रमोद जी ने एक बात कही और उसको और आगे बढ़ा करके एक कटुता का वातावरण पैदा करना यहां उचित नहीं होगा। मान्यवर, बात आई है और कुछ बातों में उन्होंने सख्ती भी दिखायी है तो हो सकता था कि उसको एवाइड कर देते, लेकिन बात उन्होंने कही है, सदन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए और खास तौर से जब बजट का सेशन हो मान्यवर, जब कभी भी कार्य-स्थगन का प्रस्ताव रखते हैं तो यह बात आती है कि अनुदान आने वाला है, मांग आने वाली है, आपको चर्चा का अवसर मिलेगा और चर्चा का अवसर तो मिलता नहीं। मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण अनुदान आए, पारित हुए, चर्चा का मौका नहीं मिला। चर्चा का मौका मिल जाता, अच्छी बात थी। मान्यवर, कभी-कभी ऐसी परिस्थिति बनती है, पहले भी बनी है, केवल वहां बैठक करके, यहां की आलोचना कर देना, वह उचित नहीं होगा, आपने भी न जाने कितनी बार ऐसी स्थिति पैदा की कि यहां पर सदन नहीं चल पाया लेकिन मान्यवर, प्रयास हमारा यह होना चाहिए, पर आज जिधर उन्होंने इशारा किया है, यह वास्तव में सही है मैं इस बात का समर्थन करता हूं, चाहे कोई एक सदस्य हो, दो सदस्य हों, सारे सदन को हाईजैक करने की अनुमति किसी को मिलनी नहीं चाहिए। यह मेरा आग्रह है, मान्यवर। मान्यवर, वातावरण बनाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित भी करें, क्योंकि तीन दिन हमारे खराब गये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

ओझा साहब, बैठ जायें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, अनिवार्य है, इशारा है, दो मिनट में मेरा निवेदन सुन लें। मा0 अध्यक्ष जी, अभी दद्दू प्रसाद जी ने कहा कि आप की तरफ इशारा है, मेरी तरफ नहीं होता ऐसा इशारा, इस सदन में, नहीं होना चाहिए। अगर है तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मा0 प्रमोद तिवारी जी ने एक प्रश्न उठाया।

* श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हुकुम सिह जी ने कहा कि उनका जो इशारा है, तो उस इशारे के नाते मुझे अपना निवेदन करने की आवश्यकता पड़ी।

*श्री हुकुम सिंह-

मेरा इशारा बिल्कुल नहीं है। इसमें मैं भी शामिल हो सकता हूं और लोग भी शामिल हो सकते हैं। मैंने किसी सदस्य के बारे में कोई शब्द नहीं कहा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरी बात ठीक है कि नहीं यह आप तय करेंगे, यह हुकुम सिह जी नहीं तय करेंगे। मान्यवर, आप कार्यवाही को दिखवा लें, उनके वाक्य दिखवा लें और कार्यवाही देखने के बाद उनके वाक्यों से स्पष्ट होता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कभी हो जाता है। मैं यह उल्लेख इसलिये करना चाहता हूं क्योंकि अनुदान मांगों पर चर्चा के दिन संयोग से पहले राजस्व विभाग लिया गया, जैसा कि कार्यक्रम में तय हुआ। समाजवादी पार्टी के सदस्य यहां खड़े थे, मैं इसमें कटौती रखने के लिये प्रस्तुत था। तो कौन लोग वेल में थे और किन लोगों ने कटौती नहीं रखने दी, यह आप कार्यवाही से दिखवा लें। आपने कहा कि किसी ने कटौती नहीं प्रस्तुत की, तो मैंने कहा कि हम कटौती प्रस्तुत करने के लिए खड़े हैं। सदन की स्थिति ऐसी है कि इस पर जानबूझकर चर्चा नहीं होने दी जा रही है और आपने कृपापूर्वक व्यवस्था देते हुए यह इंगित किया कि शोरगुल के कारण कटौती नहीं रखी जा सकी। यह अगले वाक्य में कार्यवाही में दर्ज है। उसके बाद पुनः दो दिन जो परिस्थितियां रही। यह बात इशारा करके और जानबूझकर एक मुद्दे पर अगर संसदीय परम्पराओं में अपनी बात कहने के लिये सदन में हम आते हैं और सदन नियमों और परम्पराओं से चलेगा। प्रमोद तिवारी जी बहुत वरिष्ठ हैं और कौन कितना समय किसका लेता है और कौन कितना समय किसका नहीं लेता है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। उन्होंने पूरा आरोप लगाया है और एक सदस्य कहा है। एक सदस्य कहने से काम नहीं चलेगा। उनका कौशल ऐसा है, अपने कौशल, अपनी विद्वता, अपने संसदीय ज्ञान और मुहावरों से वह अपनी सारी बात कह पाते हैं तो हम लोग तो सीखते ही हैं कुछ नहीं कर सकते। तो उन्हें नाम भी लेना चाहिए कि जिस पर उनका आक्षेप हो ताकि वह भी उत्तर दे सके। अगर उन्होंने एक सदस्य कहा है तो उस एक सदस्य का नाम प्रमोद तिवारी जी से पूछा जाना चाहिए ताकि वह सदस्य इसका उत्तर दे सके।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, सदन तो नियमों से चल रहा है और आप चला भी रहे हैं। प्रश्न परम्पराओं का है। निश्चित रूप से परम्परायें जिस रूप में कमजोर हो रही है या उनका क्षरण हो रहा है उससे वह स्वस्थ परम्पराएं अस्वस्थता की ओर जा रही हैं और उसके लिये कोई एक घटना या एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है क्योंकि परम्परा किसी एक व्यक्ति या किसी एक घटना से नहीं होती है। व्यवधान तो निश्चित रूप से होता रहा है। जो पिछली विधान सभा थी उसमें भी खूब हुआ अब बस पक्ष बदल गया है। इसलिए अब थोड़ा कष्टदायक लगता है। इस बात से मैं सहमत हूं कि विरोध की एक सीमा होनी चाहिए। विरोध हो तो वेल में जाएं, न जाएं तो बहुत अच्छा है। बल्कि मैं भी एक नोटिस देना चाहता था सबकी सहमति से। वेल तक जाना तो सीमित है लेकिन टेबिल पर चढ़ना प्रतिबन्धित हो जाए। अगर टेबिल पर कोई सदस्य चढ़ता है तो उस सदस्य का निष्कासन हो जाए क्योंकि विरोध की एक सीमा है। हम विरोध प्रकट कर दें, आधे घण्टे, एक घण्टे, दो घण्टे नारेबाजी कर लें या बैठ लें, इतना तो समझ में आता है। लेकिन टेबिल के ऊपर चढ़ जाना, चाहे वह किसी दल का हो, पहले भी अनेकों बार हुआ है, इसको प्रतिबन्धित करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज इस चर्चा का लाभ उठाकर सब लोग प्रस्तावित करें, तो इस औचित्य के प्रश्न का एक लाभ हमें प्राप्त हो जाये कि हम उदण्डता की स्थिति तक टेबिल पर नहीं चढ़ेंगे, इस सीमा से आगे नहीं बढ़ेंगे यह तय हो जाय। विरोध तो एक स्वरूप है, शालीनता उसमें होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए। औचित्य का प्रश्न निश्चित रूप से नियमों के अन्तर्गत जो है, जितनी स्वस्थ चर्चा होगी, जितनी गहन चर्चा होगी उतना ही सदन की मर्यादा बढ़ेगी और जनता का भी हित होगा। लेकिन यह केवल आपके आदेश से नहीं होगा क्योंकि बहुत से पहले आदेश हुए हैं अध्यक्षों के, नाराजगी भी लिखी हुई है लेकिन पालन नहीं करेंगे तो कठिन होगा। कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया, अगर वह न होता तो ज्यादा अच्छा होता। कुछ लोगों की दादागीरी यह शब्द कहे गये, कभी-कभी उत्तेजना में, गलती में जो जाता है और कभी-कभी अन्जाने में होता है जिसका निष्कर्ष दूसरा निकलता है कि यह मेरे लिये है या दूसरे के लिये है, यह चीजें शिकायत से भी दूर हो सकती हैं। लेकिन एक बात औचित्य के प्रश्न के माध्यम से हम उठाना चाहते हैं, क्योंकि नये सदस्य ज्यादा हैं और नये मंत्री भी हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व तो है, लेकिन प्रश्न प्रहर में सामूहिक उत्तर आने लगते हैं तो लगता है कि सदस्यों से आगे मंत्रिमण्डल के सदस्य सामूहिक उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। इस पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ध्यान दें क्योंकि वरिष्ठ मंत्री जी जवाब दे लेंगे, परामर्श होता है, लेकिन कभी बड़ा अजीब लगता है कि मंत्री टीका टिप्पणी प्रश्न करने वाले सदस्य से करने लगते हैं। प्रश्न से सम्बन्धित मंत्रीगण से आप जवाब देने के लिए निर्देशित करते हैं तो दूसरे मंत्री उत्तर देने लगते हैं। तो कौन-कौन सी चीजें मर्यादित हों इसलिए मैं समझता हूं कि इस औचित्य के प्रश्न का लाभ उठाकर नेताओं की एक बैठक बुला लें। क्या मर्यादाएं होनी चाहिए, कहां मर्यादाओं को तोड़कर आगे बढ़ गये, किन कार्यों से, किन नियमों की आड़ में इस सदन की मर्यादा को, हमारी शालीनता को, हमारे कार्य धूमिल कर रहे हैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें एक दो घंटे चर्चा हो जाये तो अच्छा होगा। एक मर्यादा निर्धारित की जाय, आपको श्रेय हो। आपसे उम्मीद भी हमको है क्योंकि जिस तरह से आप नये सदस्यों को मौका दे रहे हैं और जिस तरह से नोटिस पर सुनते हैं, सप्लीमेंटरी प्रश्न को भी आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, इन लोगों को और गहरा अध्ययन करके आने को कहें तो हम समझते हैं कि प्रश्न प्रहर और भी अच्छा होगा। वैसे काफी कुछ इम्प्रूव हो रहा है इसलिये मेरा सुझाव है कि औचित्य के प्रश्न के माध्यम से इतना कर लें, कुछ चीजें मर्यादित हैं और जिधर लोगों का ध्यान है और वह सब सहमत हैं कि यह होना चाहिए, एक बैठक बुला लें। कैसे यह परम्पराएं स्वस्थ हो जायें, मर्यादित हो जायें एक दूसरे पर उंगली उठाना, आक्षेप करके व्यवस्था नहीं सुधार सकते हैं, उससे और बिगड़ेगी क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हम सभी इस पक्ष में रहकर गल्तियां किये हैं, इसलिये एक अवसर पर या एक व्यक्ति को इंगित करके सुधार लें यह नहीं, सबको सुधरना होगा और सबको सुधारना है तो इस सदन की मर्यादा और स्वस्थ परम्पराओं को ध्यान में रखकर बैठें तो निश्चित हो जायेगा, यही मेरा औचित्य का प्रश्न है।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जो प्रश्न उठाया संसदीय लोकतंत्र में संसद या विधान मण्डलों का जो स्थान है वह चर्चा का है, विभिन्न मुद्दों पर या जो भी हम विधेयक लाते हैं या जो भी बजट प्रस्तुत होता है, उसकी अनुदान मांगें आती हैं उस पर चर्चा होने से सरकार को भी फायदा मिलता है और प्रदेश को आम जनता को भी फायदा मिलता है। आपने भी काफी प्रयास किया कि संसदीय लोकतंत्र की मर्यादाओं के अनुसार इस सदन का संचालन हो इसके लिये हम सब लोग आपको बधाई देते हैं। मान्यवर, कभी-कभी ऐसे क्षण आते हैं यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन मान्यवर, जानबूझकर ऐसे क्षण उपस्थित किये जायें और पहले से ही सोच कर यहां आया जाये कि आज हमें इस सदन को नहीं चलने देना है तो यह गम्भीर विषय है। जानकारी प्राप्त करने के लिये या कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर हम जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रयास करते हैं लगता है कि ऐसा करने का हमें नहीं अवसर मिल रहा है तो हम अपने लोकतांत्रिक ढंग से विरोध भी करते हैं। मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि मान्यवर, कोई भी व्यक्ति प्रदर्शन करते हुए और जो सुरक्षाकर्मी हैं आपके उनसे भी लड़ाई झगड़ा करते हुए आपकी पीठ तक चढ़ने का प्रयास करें या जहां हमारे रिपोर्टर बैठ कर लिखने का काम कर रहे हैं उस मेज पर चढ़कर नारेबाजी करने का काम करें। हम सब लोगों को मिल कर इस कार्य का कि अगर हम मेज पर चढ़ते हैं या माननीय अध्यक्ष के ऊपर कागज का गोला बनाकर फेंकते हैं, कागज फेंकते हैं तो सबको इसकी निन्दा करनी चाहिये।

देखने में ऐसा आया पिछले दिनों में जिस बात को उठाने का काम किया है तिवारी जी ने यह सोच कर ही आया गया, कोई मुद्दा नहीं था, जो विषय उठाया गया था उसका हमारे पास, हमने कार्यवाही सरकार ने किया था, हम अपनी बात को रखना चाहते थे लेकिन सरकार का पक्ष न आने पाये केवल इसलिये हम सीमा से आगे बढ़ने का काम करें और मैंने भी देखा कि कुछ माननीय सदस्य लोगों को उकसा रहे थे कि जाइये-जाइये और इससे व्यवधान आया। मान्यवर, निश्चिततौर पर यह संसदीय लोकतंत्र की जो मर्यादा है, उसके विपरीत हमारा कार्य है।

मैं श्री ओम प्रकाश सिंह के इस विचार से सहमत हूं कि अगर कभी विरोध प्रदर्शन की स्थिति आती भी है तो हम मेज पर किसी भी दशा में न चढ़ें और इसके लिये नियमावली में तो मान्यवर, आपको पूरा अधिकार मिला हुआ है। सम्पूर्ण शक्ति आपके निहित है। उस शक्ति का उपयोग कभी न कभी, कहीं न कहीं होना भी चाहिये। इस स्तर तक आपको तो अधिकार है कि अगर वेल में भी आता है आप उसको भी कह सकते हैं निलम्बित भी कर सकते हैं, लेकिन मान लिया उस स्थिति में अनुकम्पाओं के अनुसार नहीं भी कर रहे हैं तो मान्यवर, मेरा भी सुझाव है, मैं उनकी राय से सहमत हूं कि अगर कोई माननीय सदस्य मेज पर चढ़ता है तो उस स्थिति में स्वतः ही उसको निष्कासित माना जाना चाहिये और इस स्थिति में इस पर कार्यवाही होना आवश्यक है। जहां तक बजट का सवाल है मान्यवर, नियमावली में निर्देश है उस पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होगा, लेकिन अगर कोई सदस्य कटौती नहीं रखता, कोई चर्चा नहीं करता है तो उसको बाध्य भी नहीं किया जा सकता है कि हर हालत में वह कटौती रखे।

मान्यवर, कि वह हर हालत में कटौती रखे। जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 202, 203 और 204 के अनुसार हम इस विधान सभा में वित्तीय वर्ष का आय-व्ययक प्रस्तुत करते हैं और 203 के अनुसार अनुदान की मांगों को प्रस्तुत करते हैं फिर 204 के अनुसार विनियोग विधेयक रखा जाता है वह श्री राज्यपाल की सिफारिश पर रखा जाता है और उस विधेयक के पास होने के बाद ही सारी कार्यवाही होती है।

उस पर चर्चा का उल्लेख नहीं है कि अनिवार्य रूप से कोई चर्चा होगी। इसलिये कोई विधिक कठिनाई नहीं है जहां तक अनुदान की मांगों के पारण का प्रश्न है। मान्यवर, ज्यादातर मदों पर माननीय सदस्यों द्वारा कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं आपने फिर सदन की राय जानी और फिर उस राय के अनुसार वह मांगें स्वीकृत हुई हैं। इसलिये कोई औचित्य का प्रश्न इस आधार पर नहीं बनता है। जहां तक विधान सभा के माहौल का प्रश्न है हम सबकी चाहत इसे शान्तिपूर्वक चलाने की है। उसमें आपको अधिकार प्राप्त हैं और हम सबकी यह चाहत है कि वह अच्छी तरह से चले। अभी माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी का इशारा कर रहे थे माननीय मौर्या जी की तरफ कि आप लोग भी ऐसा करते थे। मान्यवर, मैं चाहे पक्ष में रहा या विपक्ष में रहा यह हमारी राय रही है कि सदन शान्तिपूर्वक चले और जो हम लोकतांत्रिक ढ़ंग से कर सकते हैं वह कर रहे हैं। लेकिन मैंने हमेशा यह चाहा कि माननीय अध्यक्ष को अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिये। उन्हें निष्कासित करने का अधिकार है निलम्बित करने की कार्यवाही उन्हें करनी चाहिये और ऐसा किया भी जाता है यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का एक हिस्सा है उससे सदस्य का विरोध प्रदर्शित होता दिखाई पड़ता है। मान्यवर, इधर निलम्बन की बातें नहीं की जा रही हैं लेकिन बहुत पहले इस बात को देखा गया है बहुत विद्वान सदस्य इस सदन में रहा करते थे, उस समय लोगों को निष्कासित किया गया। मार्शल उनको बाहर ले जाते थे। सदस्यों के हाथ पैर दोनों तरफ से पकड़कर उन्हें सदन के बाहर ले जाने की कार्यवाही मार्शल द्वारा की जाती थी। यह सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा रहा है इसमें कोई अनुचित कुछ नहीं रहा। तो इस आधार पर वह अधिकार आपको प्राप्त है उस पर कोई कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, आप लोग भी यह सब करते रहे हैं सदन के वेल में आते रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

ऐसी परिस्थितियां न पैदा न हों मैं तो यही चाहूंगा।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, 8-8 दिन तक वेल में रहकर शोरगुल होता रहा है निष्कासित हुए हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मैं तो कह रहा हूं कि मैं इसको अनुचित नहीं मानता हूं। हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और उसमें निष्कासित भी किये गये हैं। उसको एक हिस्सा मानता हूं। वह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है हम उसको अतिरिक्त नहीं मान रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कुछ सदस्य बैठे बिठाये, कभी मन में आया है और दूसरों को सुनकर अपशब्दों का प्रयोग करते हैं वह ठीक नहीं है। कभी-कभी यहां वरिष्ठ सदस्य इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करते हैं वह बहुत ही निन्दनीय है। हम सब लोगों को इसकी निन्दा करनी चाहिए। बैठे-बैठे अपशब्द बोल देते हैं। यह उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कहां अधिकार मिला है हम जो कर रहे हैं। वह सही है दूसरे जो कर रहे हैं वह गलत है ? हम सभी लोगों को जनता ने चुनकर भेजा है। हम सब एक समान हैं यहां कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। क्षेत्र की जनता ने अपने मतों का प्रयोग करके इस सदन में हमको अपनी वकालत करने का काम करने के लिये भेजा है। अपना प्रतिनिधित्व करने के लिये भेजा है इसलिए हर क्षेत्र की जनता को, उसके प्रतिनिधि को यहां पर समान अवसर मिलना चाहिए। कोई बहुत बार से चुनकर इस सदन में आ रहा है उसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि उनके अधिकार सबसे बड़े हैं और वह अपशब्दों का प्रयोग करें। ऐसी घटनाओं की हम सब लोगों को मिलकर निन्दा करनी चाहिए। मैं माननीय ओम प्रकाश सिंह जी के इस सुझाव से सहमत हूं कि आपके माध्यम से इस सम्बन्ध में एक बैठक बुलायी जाय। लेकिन मान्यवर, कभी-कभी मैंने यह देखा है, पहले तो विधान सभा अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी नेता आते थे। लेकिन पहली बार ऐसा मैंने अवसर पाया कि विधान सभा के मुख्य मंत्री के द्वारा बुलाई गई बैठक में तमाम ऐसी स्थितियां आई हैं कि अपोजीशन लीडर नहीं गये हैं या दूसरे नेता नहीं गये हैं विभिन्न पार्टियों की लेकिन विधान सभा अध्यक्ष के द्वारा बुलाई गई बैठकों का बहिष्कार होते हमने नहीं देखा। लेकिन आज उस लोकतांत्रिक मर्यादाओं का भी उल्लंघन हो रहा है कि विधान सभा अध्यक्ष की बैठक में भी आने का कार्य नहीं करते और कह देते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं आयेंगे इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं। निश्चित रूप से यह लोकतंत्रीय परम्पराओं का, मैं समझता हूं यह उल्लंघन एक बार नहीं अनेकों बार मैंने देखा, आपने अनेकों बार बैठकें बुलाई और उन बैठकों में मैंने इस बात को महसूस किया। इसलिए माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने जो बात कही है मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अध्यक्ष जी बैठक बुलाते हैं उसमें नेतागण नहीं आते हैं तो फिर कहां से चर्चा हो सकती है। अगर आप लोग आते तो

उसमें काफी स्थिति को हम निराकरण कर सकते थे और जब उन स्थितियों का निराकरण हो जाता तो सदन में हमें उस बात को उठाने की आवश्यकता भी न पड़ती अपने आप उसका समाधान हो जाता। जहां तक इस प्रश्न का है यह औचित्य के प्रश्न के रूप में ग्राह्य योग्य नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपनी बात रखी लेकिन मैं समझता हूं कि यह कहना शायद इस समय ठीक नहीं होगा कि आपकी बैठक का कोई जानबूझकर बहिष्कार करता है या नहीं आता है। अनुपस्थित रहना एक बात है, बहिष्कार करना या घोषित करके कि हम अध्यक्ष की बैठक में कभी नहीं जायेंगे, यह किसी ने कहा हो, यह औपचारिक रूप में किसी ने नहीं कहा है। इसलिए इसको न मानें। अभी यही हम मानते हैं और यहां भी जो रिस्पांस आ रहा है कि सभी आप द्वारा बैठक, अब यह औचित्य के माध्यम से विशेष परिस्थिति का उल्लेख हुआ है। पीछे क्या हम क्या नहीं हुआ है, हम लोग पीछे किये हैं, हमने भी किया है, हमारे लोग भी मैंने देखा कि टेबुल पर गये हैं लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि नियंत्रित होना चाहिए। इधर से भी गये हैं लेकिन इनसे पूछिये तो यह भी कहेंगे नियंत्रित हो आप लोग भी गये हो लेकिन पहले गये हो अब सत्ता में आये हो तो नहीं गये। लेकिन जो गल्तियां हो गयीं, हम कहीं परम्पराओं का उल्लंघन अगर कर लिये और आत्मचिन्तन कर रहे हैं कि यह गलत है इस सदन की मर्यादा के लिये और अपने स्वयं की छवि के लिये, विधायक की छवि के लिये तो उस पर रोक लगाने की बात हो। बुद्धिमान वही है जो गल्तियां करने के बाद उसको सुधारने के लिये सचेत हो जाय। आपने कहा जब बुद्धिमान थे तो मैं समझता हूं कि आज भी सदन में सब बुद्धिमान हैं। यह जो चिन्तन और चिन्ता हो रही है वह बुद्धिमत्ता का कारण है कि हमने गल्तियां की हैं उसका आत्मचिन्तन करके सुधार करना चाहते हैं इसलिये सुधार की प्रक्रिया आप अपनायें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि मुख्य मंत्री की बैठक का बहिष्कार करना तो होता रहता है, यह परम्पराएं जहां से भी शुरू हुई हों कहां से शुरू हुई हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मुझसे बेहतर जानते हैं। मुख्य मंत्री की बैठकों में सभी दलीय नेताओं के आने की परम्परा रही है और कब से यह परम्परा कहां से टूटी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को मुझसे बेहतर ज्ञान है इसलिये मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी द्वारा बुलाई गयी बैठक में जहां तक शामिल होने की या नहीं शामिल होने की और उसका बायकाट करने की, 3 बातें हैं मान्यवर, इन्होंने इस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है। प्रतिवाद करने का तो प्रश्न ही नहीं है, प्रतिवाद तो बहुत साधारण सा शब्द है यह अकल्पनीय है। मैं यह कह सकता हूं अभी माननीय ओम प्रकाश जी नेता भाजपा ने यह बात कही है, प्रमोद तिवारी जी की तरफ से यह अपेक्षा नहीं हो सकती बाकी लोगों से, समाजवादी पार्टी की ओर से मैं यह बात जोर देकर के कहना चाहता हूं कि जब भी मान्यवर, आपकी ओर से बुलाया गया है हमारी पार्टी की ओर से लोग हमेशा आपकी बैठकों में आये हैं। कल एक बैठक

थी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने मुझे अधिकृत किया था, मैं जिन कारणों से भी नहीं आ सका, तत्काल मैंने आपके कक्ष में आकर उन परिस्थितियों का उल्लेख किया कि जिन कारणों से मैं आपकी इस बैठक में नहीं आ सका। न सिर्फ यह कि अनुपस्थिति हो गयी बल्कि अगर किन्हीं कारणों से अनुपस्थिति हो गयी तो आपके कक्ष में माननीय मंत्रि-परिषद् के कुछ वरिष्ठ सदस्य भी थे, उनकी उपस्थिति में मैं मात्र इस कारण से व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति हुआ कि आपको बता दूं कि अध्यक्ष जी हम इन कारणों से उपस्थिति नहीं हो सके।

इसलिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को ऐसी टिप्पणियों को करने से पहले परहेज करना चाहिए। श्रीमन्, और इस तरीके की टिप्पणी उनको नहीं करनी चाहिए यह राजनैतिक आक्षेप का मामला नहीं है जब अध्यक्ष पीठ को लेकर कोई टिप्पणी की जाय। दूसरी बात, अध्यक्ष पीठ पर आप चाहे आज विराजमान हों, या तीन साल पहले कोई विराजमान रहा हो, या 5 साल पहले कोई विराजमान रहा हो, अध्यक्ष पीठ के किसी कार्यकाल के, किसी खण्ड के बारे में टिप्पणी करते समय थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है। ऐसा निवेदन मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से करना चाहता हूं। मान्यवर, अध्यक्ष पीठ पर कोई टिप्पणी करके हम अपनी मर्यादा का नाश उसी क्षण तत्काल कर लेते हैं, किसी भी तौर पर। क्योंकि हम व्यक्ति की आलोचना नहीं करते, क्योंकि हम यहां से कभी-कभी अनुरोध करते हैं, कोई बात पसंद नहीं आती, कई बार परम्पराओं में चीखने चिल्लाने लगते हैं, यह अनुचित है। उसके बावजूद भी अध्यक्ष पीठ पर कोई टिप्पणी किसी जिम्मेदार स्थान से, किसी हालत में नहीं होनी चाहिए और माननीय अध्यक्ष द्वारा बुलाई गयी प्रत्येक बैठक, माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये पूर्ण निर्देश, सम्पूर्ण सदन पालन करेगा और समाजवादी पार्टी तो निश्चित रूप से करेगी। हम मर्यादाओं को मानने वाले लोग हैं, पूरी तरह से जब भी आपका आदेश होगा, हम हर बैठक में उपस्थिति होंगे।

*** श्री लालजी टण्डन-**

मान्यवर, ज्यादा विरोध प्रदर्शन सीमा के बाहर होगा तो उसका लाभ हमेशा सत्ता पक्ष को हुआ है और अगर इस तरह का वातावरण रहा तो यह सदन को जल्दी सत्रावसान करने के लिये विवश होंगे और यह उसका लाभ भी उठायेंगे। मुझे यह कहना है कि अगर सदन को चलाने की जिम्मेदारी हमारी है तो सदन को चलायें और सरकार को इसका फायदा उठाने न दें। क्योंकि यह जो नियम हैं और जो परम्परायें हैं, उससे ऊपर सरकार नहीं है। सरकार के लिये कोई-कोई विशेष नियम है और विपक्ष के लिये कोई दूसरे नियम हैं, ऐसा नहीं है। आपको भी उन परम्पराओं और मर्यादाओं का पालन करना होगा कि सदन चले और उसमें लोग अपनी बात रख सकें, ऐसा वातावरण बने, सबकी राय यह है और पूरे सदन की राय यह है कि सदन को चलना चाहिए और उसमें अपनी बात रखने का मौका हर एक सदस्य को मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस परम्परा का पालन होना चाहिए। यह परम्परा अगर एक के ऊपर छोड़ दी जायेगी तो ठीक नहीं होगा। मैंने तो इस सदन में आलोचना सह के भी सीमा के बाहर जाने से, जब मैं नेता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतिपक्ष था तो मैंने वातावरण बनाया था और यहां सत्ता पक्ष को यह कहने के लिये मजबूर होना पड़ा, कि सदन में बहुत दिन बाद ऐसी व्यवस्था हो रही है कि जिसमें कुछ चर्चा करने का वातावरण बन रहा है। मैं चाहता हूं कि हमसे पहले जो चौधरी चरण सिंह जी, श्री नारायण दत्त तिवारी और बहुत बड़े-बड़े लोग जो उस पद पर बैठे थे, उनके आचरण का पालन करने की कोशिश जैसे मैंने की थी, मैं अपेक्षा करता हूं कि वैसे ही कोशिश अब भी होनी चाहिए। इसमें किसी को दोष देने की बात नहीं है कि किसी ने गलत किया। यह अधिकार है कभी-कभी वेल में जाने का या अपना विरोध प्रदर्शन करने का, लेकिन एक सीमा तक और उसका दूसरा पक्ष भी आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि आप सदन के संरक्षक हैं कि यह इस बात का लाभ सत्ता पक्ष न उठाये, इस बात का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय प्रमोद तिवारी जी को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। औचित्य का यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और हम सबका यह प्रयास होना चाहिए कि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से शांत वातावरण में चले और माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेने का अवसर मिले इसके साथ ही साथ मैं इस प्रश्न को निस्तारित करता हूं। शेष जो सूचनाएं नियम-300 में खतौनी में नाम दर्ज कराने के बारे में है, अग्रवाल साहब, क्या है आपका बताइये।

* डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, आप पढ़ लें, मैं बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने पढ़ लिया है, आपने एक चिन्ता व्यक्त किया है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आप सुन लें, उसके बाद इसका औचित्य समझ में आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

औचित्य के विषय में इसीलिये इतना समय दिया, सभी वरिष्ठ नेताओं को सुना, एक व्यवस्था थी कि सदन सुरक्षित ढंग से चले इस पर सबके विचार आये, वह अच्छा था मैंने उसका स्वागत किया है सभी माननीय सदस्यों का और उनके प्रति आभार भी प्रकट किया है उनका स्वागत पुनः कर रहा हूं कि इस तरह के विचारों का अनुपालन भी हो, इस अपेक्षा के साथ मैंने सबका सम्मान किया है।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं भी आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आपने बहुत ही विद्वतापूर्ण रूलिंग दी है और जिस तरह से उसे निस्तारित किया है उसके लिये मैं व्यक्तिगत रूप से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मैंने भी सभी सम्मानित नेताओं का स्वागत किया, सम्मान किया है और सभी को धन्यवाद दिया है। इस प्रकार के विचार आने के बाद निश्चित रूप से अच्छे रास्ते और अच्छे नतीजे आयेंगे, इसलिए मैंने सभी दलों के नेताओं का स्वागत किया है।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात कह लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

पहले माननीय नरेश जी की सूचना है, इन्हें सुन लें।

शासन द्वारा शासनादेश जारी किये जाने के बावजूद भी प्रदेश में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा वाहनों पर लाल/नीली बत्ती का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैंने जो चीज उठायी है, वह श्रीमन् मंत्रियों से जुड़ी हुई है और एक चिन्ता विषयक माननीय उच्च न्यायालय का बड़ा स्पष्ट आदेश है। मैंने इसलिये चिन्ता उठायी है क्योंकि यह जो व्यवस्था बनी है, मैं जो कहना चाहता हूं कि सरकार ने वी0आई0पी0 लोगों की एक श्रेणी निर्धारित की है और उस श्रेणी के आधार पर परिवहन विभाग ने एक जी0ओ0 जारी किया है कि कौन लोग लालबत्तीं लगा सकते हैं और कौन लोग नीली बत्ती लगा सकते हैं। उनमें भी मान्यवर, वर्गीकृत किया गया, सबसे ऊपर महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, उनके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी हैं, अध्यक्ष, विधान सभा हैं, अध्यक्ष विधान परिषद् हैं, मंत्रीगण हैं, इस प्रकार से एक सूची वर्गीकृत की है। यह सही है कि पिछले दो वर्षों से यह देखा गया था कि तमाम लोगों ने अवैध रूप से बत्तियां लगायीं, जिसके खिलाफ अभियान चला, यहां तक कि माननीय उच्च न्यायालय ने जिले-जिले में सी0जे0एम0 के नेतृत्व में कमेटी बुलायी कि वह अवैध बत्तियों को उतारें। इसका मतलब गम्भीरता थी और लालबत्ती का प्रयोजन मात्र इतना होता है कि जो वी0आई0पी0 व्यक्ति हैं, उनको दूर से चिन्हित किया जा सके, उसके प्रोटोकॉल का पालन हो सके, उसको जो कर्तव्य दिये गये हैं जो अधिकार हैं, उन अधिकारों का पालन हो सके। यह एक सिम्बोलिक चीज है, जिसकी हमने व्यवस्था की, जिससे माननीय मंत्रीगणों के प्रति जो सम्मान है वह सम्मान बना रहे।

श्रीमन्, वैसे तो निगमों में उपाध्यक्षों को नियुक्त करने का कोई प्राविजन नहीं था, लेकिन बोर्ड को अधिकार होता है, बोर्ड चाहे तो प्रस्ताव करके पास कर ले। सरकार ने तमाम निगमों में उपाध्यक्ष नामित किये, जी0ओ0 में कहीं नहीं लिखा है कि उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, जी0ओ0 में लिखा है, कि इनको बोर्ड का डायरेक्टर बनाया जाता है, उपाध्यक्ष नामित किया जाता है और फिर बोर्ड तय करेगा कि उनको क्या-क्या सुविधाएं दी जायेंगी। लेकिन प्रदेश में तमाम जो लोग इस तरह से नामित हुए, अखबारों में निकलवा दिया कि हम राज्य मंत्री नामित हो गये। वैसे भी श्रीमन्, प्रोटोकॉल के हिसाब से इस सरकार ने निर्णय लिया है कि निगम का अध्यक्ष विभाग का प्रमुख सचिव या सचिव होगा और अब सचिव के अंडर में उपाध्यक्ष अगर राज्य मंत्री

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनेगा तो प्रोटोकॉल कहां से रह जाएगा ? राज्य मंत्री उनके अंडर में तो काम नहीं कर सकता, बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता तो निगम का अध्यक्ष ही करेगा और उसके अंडर में राज्य मंत्री रहेगा। और परिवहन विभाग का जो जी0ओ0 है उसमें भी निगमों के अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है उपाध्यक्षों को नहीं। इस प्रकार से एक स्थिति फिर पैदा हो गई है, जो स्थिति पहले थी कि तमाम लालबत्ती और नीलीबत्ती ऐसे लोग जो अवांछनीय हैं वह लगाने लगेंगे। फिर कानून-व्यवस्था की बात आयेगी जैसा कि सरकार कहती है कि वह ठीक रहे उसमें भी दिक्कत आयेगी कि उसे कैसे ठीक किया जा सके। एक चीज को मैं औचित्य के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह व्यवस्था हो नहीं सकती और ऐसा हो रहा है और आप चाहते हैं कि सारी चीजें व्यवस्थित रहें तो इस पर स्थिति स्पष्ट हो जाए कि उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है या नहीं दिया गया है, यदि नहीं दिया गया है तो उस शब्द का वह इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिलों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि मंत्री और राज्य मंत्री, जिन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय से शपथ ली जो आज यहां बैठे हुए हैं, उनसे भी वह लोग सुपर हो जाएं तो यह ठीक नहीं रहेगा। मैं तो इस व्यवस्था को ठीक करने के लिये कि जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, जो नीतिगत रूप से इसके लिये मान्य हैं, वही इसको इस्तेमाल कर सकें, नाजायज रूप से इसके इस्तेमाल को रोका जा सके, इस पर मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, चाहे परिवहन विभाग हो चाहे शासन का कोई निर्देश हो जिसमें चिन्हित हो कि नीली और लाल-बत्तियों का प्रयोग फलां-फलां लोग ही कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं दुरुपयोग हो रहा हो तो इसको जरूर दिखवा लें। नार्म के आधार पर ही नीली व लाल-बत्तियों का प्रयोग हो।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जो नार्म्स हैं उसका पालन कराया जायेगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

निगमों में जो उपाध्यक्ष बनाये हैं उनका क्या राज्य मंत्री स्तर है, यह हम आपसे जानना चाहते हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जितने भी अधिनियम बने और जिसमें उपाध्यक्ष के पद बनाये गये हैं वह सदन में आया है, बहुत सी जगहों पर दिये गये हैं, बहुत सी जगहों पर नहीं दिये गये हैं और जिनको राज्य मंत्री या उप मंत्री का दर्जा दिया गया है उनको वह अधिकार दिया गया है और जिनको नहीं दिया गया है इस तरह के जितने भी मामले मुझे जहां पर वह अनधिकृत रूप से लगाने की कार्यवाही होगी, उसे रोका जायेगा। इसमें कहीं औचित्य का प्रश्न नहीं इसलिए इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री नरेश अग्रवाल जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह विषय नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आता है अतः इसको निरस्त करता हूं।

जनपद जौनपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 छोटई यादव के आश्रितों का नाम तहसील केराकत के राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर अभिलेख उनके आश्रितों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

उस्मानी साहब एक चीज बताइये खतौनी में दर्ज करने के लिये नाम छूट गया है उसको भी नियम-300 में लायेंगे ?

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से जुड़ा मामला है जिन्होंने एक मुल्क के लिए अपना खून और पसीना बहाया है और जिनकी मृत्यु हो गयी, उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसों का वरासत दर्ज नहीं किया गया है। मा0 अध्यक्ष जी, छोटई यादव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जौनपुर जिले के हैं, 15-10-2004 को एक्सपायर हो गये, आज लगभग 3 साल हो गये।

श्री अध्यक्ष-

आपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का संकेत दिया है, मैं आदर करता हूं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का। शासन को निर्देश देता हूं कि इसको जरूर करवा दें।

मैंने डा0 आर0 ए0 उस्मानी को सुना। संसदीय कार्य मंत्री जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को लाभ मिलना चाहिए।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, उसकी नियमावली है और यह न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें कुछ इस तरह का निर्देश नहीं दिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष-

इसको दिखवा लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, न्यायिक प्रक्रिया है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने डा0 उस्मानी जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है अतः इसको अग्राह्य करता हूं।

दिनांक 10-7-2007 को नियम 51 के अन्तर्गत सदन में नगर विकास मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में उल्लिखित प्रतिबन्धित दवाई का प्रयोग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का उल्लेख न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अब डा0 अग्रवाल साहब बताइये आपकी सूचना नियम-300 में कैसे आ रही है ?

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं आभारी हूं कि आपने नियम-300 के अन्तर्गत इस महत्वपूर्ण विषय को उठाने की अनुमति दी। हम सभी सदस्य चुनकर आते हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिये। हमारा उद्देश्य होता है शासन से बहुत सी जानकारियां प्राप्त करने का और प्रशासन जिन गतिविधियों को हमारे क्षेत्र में कर रहा है अगर उनमें से कुछ गतिविधियां नियम विरुद्ध हैं, कानून विरुद्ध हैं या जानबूझ करके देरी हो रही है या भ्रष्टाचार हो रहा है तो यहां उपस्थित हो करके शासन को भी इन जानकारियों को उपलब्ध कराते हैं। गोरखपुर में गैस्ट्रो का प्रकोप हुआ, सरकार ने स्वयं माना, 04 तारीख को मैंने नियम-51 में इस विषय को उठाने का काम किया। मेरा यह कहना था कि गोरखपुर में नगर निगम द्वारा संचालित संक्रामक रोग चिकित्सालय के चिकित्सकों ने गोरखपुर के नागरिकों को एक ऐसी दवा दी जो प्रतिबन्धित और जानलेवा थी, जो नियमतः अगर कोई प्राइवेट डाक्टर प्रयोग करे तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और अगर सही तरीके से पैरवी हो तो उसकी डिग्री तक जायेगी। अब सरकार के चिकित्सालय नगर निगम ने एक ऐसी दवा दी जिसका नाम लोमोफेन है, हम सब जानते हैं कि वह प्रतिबन्धित है। लोमोफेन दवा बांटी गयी और उसके बाद पर्ची पर लिखकर कर दिया कि बाजार से खरीदो भी, यानि सरकार ने बांटा भी और नागरिकों को खरीदने के लिये बाध्य भी किया और नागरिकों ने खरीदा भी। अब प्रश्न यह है कि सरकार ने अगर इस बात को अस्वीकार किया होता तो समझ में आता, सरकार ने स्वीकार भी कर लिया कि गलती हुई। मैं सरकार का जवाब आपको पढ़ दे रहा हूं सारी सूचना बड़ी क्लीयर हो जायेगी। लोमोफेन दवा के बारे में मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि यह दवा प्रतिबन्धित श्रेणी की है यानि सरकार ने स्वीकार कर दिया कि गलत दवा दी। तत्कालीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा0 डी0ए0 खान ने अवगत कराया कि उक्त दवा गत वर्ष पूर्व चिकित्साधिकारी डा0 एच0पी0 खरे द्वारा क्रय की गयी। यानि सरकार ने यह भी मान लिया कि डा0 एच0पी0 खरे ने यह दवा खरीदी। अगर वह सेवा में हैं तो सरकार को सूचना मिलने के बाद श्री एच0पी0 खरे के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए थी और इस सदन को बताना चाहिए था। औषधि के प्रतिबन्धित होने की सूचना चिकित्सालय को न होने के सम्बन्ध में सरकार से अपेक्षित होता है कि जो औषधियां प्रतिबन्धित होंगी सरकार अपनी व्यवस्था के तहत चिकित्साधिकारियों को उसकी सूचना देगी। सरकार ने कह दिया कि सूचना नहीं थी। इसका उपयोग किया गया और बच्चों के लिये नहीं किया गया। सरकार ने यह तो मान लिया कि डा0 एच0 पी0 खरे ने उसको खरीदा, डा0 डी0ए0 खान ने स्टोर किया और निरंजन ने उसको बांटा लेकिन खतरा नहीं हुआ है इसलिये कार्यवाही नहीं की गयी यह कौन सा औचित्य है। अगर प्रतिबन्धित दवा बांटी गई तो सरकार यह तय कर दे कि प्रतिबन्धित दवा अगर बांटी जायेगी तो कोई मरीज मर जायेगा तभी कार्यवाही की जायेगी अन्यथा नहीं। कल यह होगा कि हमने यह दवा चला दी कोई मरा नहीं इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं होगा जबकि इस दवा का क्रय, भण्डारण व वितरण तीनों अपराध हैं उससे नुकसान हुआ हो या न हुआ हो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आप ग्राह्यता पर बोलें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

सरकार ने कहा कि प्रतिबन्धित दवाओं के प्रयोग में विशेष सावधानी बरती जायेगी तो प्रतिबन्धित दवाओं को सरकार क्यों रखें ?

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब यह नियम 300 में कहां आता है ?

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें प्रशासनिक लापरवाही तो है ही। जैसे कि यह भी स्वीकार किया जा रहा है कि दवा प्रतिबन्धित है, यह भी स्वीकार किया जा रहा है कि प्रतिबन्धित होते हुए भी दवा खरीदी गई और यह भी स्वीकार किया जा रहा है कि प्रतिबन्धित होते हुए भी दवा वितरित की गई बड़ी बेशरमी से। मैं जानबूझकर यह कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। यह कहा जा रहा है कि कोई प्रभाव नहीं हुआ इसलिये कार्यवाही नहीं हुई लेकिन अगर कोई मर जाए तो कैसे उसकी जान वापस करते। अगर प्रतिकूल प्रभाव हो गया होता तो क्या उसकी प्रतिपूर्ति विभाग कर देता। इसलिए अध्यक्ष महोदय, चाहे आप इसे औचित्य का प्रश्न मानें या इसे निस्तारित कर दें लेकिन मेरा आग्रह है कि शासन को निर्देशित करना चाहिए कि यह जो अनियमितता हुई है उसमें दो दिन के अन्दर कार्यवाही करके सदन को अवगत करायें। इस केस में क्या कार्यवाही हुई है ? यह निर्देश अगर आप नहीं देंगे।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, एक निवेदन मेरा है अगर हर समस्या का निदान नियम 300 की नोटिस से लिया जायेगा तो न तो यह हमारे द्वारा सम्भव हो पायेगा न ही सरकार द्वारा सम्भव हो पायेगा इस तरह की समस्याओं के निदान के लिये और बहुत से नियम बने हैं कहीं वरासत दर्ज नहीं हो रही कहीं जवाब गलत आ गया तो यह नियम 300 में कहां से आ जायेगा। नियम 300 की एक सीमा है अगर उस सीमा में नहीं आता है तो जवाब कहां से दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत कहीं से नहीं आ रही है।

श्री लालजी वर्मा-

नियम 300 की सूचना संवैधानिक बिन्दु से सम्बन्धित हो, सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित हो उसके लिये तैयारी होती है। अब हर सूचना को नियम 300 के अन्तर्गत लाकर सदस्य यह चाहेंगे कि इसका सही जवाब आये यह किसी भी तरह सम्भव नहीं है। आप इसे अन्य नियम में लायें उसका उत्तर देंगे और जो अधिकारी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब सूचना की ग्रेविटी पर जाइये यह सूचना किसी भी तरह से नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है।

* श्री हुकुम सिंह-

नियम-51 में जब सूचना आई बार-बार प्रयास किया गया संज्ञान में लाया गया और जब वहां पर समाधान नहीं हुआ तो विवश होकर नियम-300 में लाया गया। अब 300 में आप उसका बिल्कुल टैक्नीकल मुआयना लेकर कि क्या औचित्य का विषय बना नहीं बना। मान्यवर, यह जन साधारण से सम्बन्धित प्रश्न है, स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रश्न है, लोगों के मरने जीने से सम्बन्धित प्रश्न है। मान्यवर, हम औचित्य के प्रश्न के रूप में इसलिये लाये हैं कि नियम-51 में लाये थे और जो आपका उत्तर आया था वह नहीं होना चाहिए था। अगर आज आप लायेंगे और माननीय अध्यक्ष जी का भी आग्रह है, आपने देखा होगा वो भी आपसे अपेक्षा करते थे इसको आप बिल्कुल तकनीकी आधार पर निरस्त करने का प्रयास न करें बल्कि कहें कि इसका समाधान होगा। दो दिन में नहीं होगा चार दिन में हो जायेगा। केवल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी नियम पढ़कर और नियमों के शब्दों पर जाकर सीमित कर दें यह उचित नहीं होगा। उसकी भावनाओं को समझें जिस सदस्य ने सारे क्षेत्र की समस्या को देख करके, वहां के जन जीवन को देख करके आपके सामने प्रश्न उपस्थित किया। आप भी संवेदनशील बनें और संवेदनशीलता दिखा कर के इसका उत्तर दें कि हम इसका समाधान कर देंगे दो दिन में करें चार दिन में करें एक हफ्ते में कर दें कुछ तो आपको समय चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं असहमत नहीं हूं। हर समस्या का समाधान होना चाहिए। लेकिन मान्यवर, उसी के तहत नियम बने हैं विधान सभा में।

श्री हुकुम सिंह-

नियमावली है, आप बतायें। हम नियमों के तहत लाये हैं। (व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

मैं बता रहा हूं हुकुम सिंह जी, आप सुनना चाहेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

आप बता दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अगर किसी मंत्री के द्वारा उत्तर गलत दिया जाता है तो उसके लिये नियम हैं, अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देश भी हैं। उस निर्देश के तहत विधान सभा में मान्यवर, आपके यहां वह सूचना दी जाती है फिर उस सूचना का परीक्षण होता है और उस परीक्षण के आधार पर विभाग को भेजा जाता है विभाग फिर संशोधित उत्तर देता है और फिर दण्ड भी अगर सदस्य ने गलत सूचना दी है तो उसके लिये दण्ड देने का प्राविधान भी किया जाता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह-

ऐसे समाधान नहीं होता। समाधान होता है आपके निर्देश से।

(श्री हुकुम सिंह व संसदीय कार्य मंत्री के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

अगर हर चीज जैसे आपने कहा खतौनी में नाम नहीं दर्ज हो रहा है तो नियम-300 में आ गया, मंत्री ने गलत उत्तर दिया तो 300 में आ गया, मंत्री ने विधान सभा में घोषणा किया तो नियम-300 में आ गया तो मान्यवर, सारे नियमों को खत्म करके केवल 300 का नियम रख दीजिए उससे समाधान हो जाय। उसी की अकेले तैयारी हो मान्यवर।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मैं आपसे आग्रह यह कर रहा हूं कि यह कोई नियम का आक्षेप नहीं है। दो महीने के अन्दर सारी प्रक्रिया नहीं हुई है। किसी मंत्री के निर्देश पर यह नहीं किया गया मैं अधिक देख रहा हूं कि जो काम अधिकारी गलत कर रहे हैं उसको भी मंत्री अपना समझकर के उसको पोतें। अगर कहीं किसी रूप में प्रशासन की गलतियों को उजागर किया गया है नियम-51 में विभाग ने ही सूचना दिया है कि हां यह उल्लंघन हुआ है यह गलतियां हुई हैं। अब आप उसकी संदिग्धता दो भाग में कर लें। एक तो प्रश्न उठाया गया है औचित्य में स्वीकार किया जाय कि न किया जाय लेकिन जो विषय उठाया गया है वह जनहित का है कि नहीं, संवेदनशील है कि नहीं है। अब एक ही लपेट में कि खतौनी और जीवन प्रतिबन्धित दवाओं का खरीदना एक ही कैटेगिरी में रख देंगे तो मान्यवर, यह निश्चित रूप से संवेदनहीनता मानी जायेगी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हम तो आपके सहयोग के लिये कर रहे हैं। हम भी बैठे हैं जनता के लिये और आप भी बैठे हैं जनता के लिये। यह जनहित का प्रश्न है मान्यवर, यहां हम नियम पर आक्षेप नहीं कर रहे हैं इन्होंने नियम-51 में उठाया था इसलिये मैंने कहा कि दो दिन में बतायें कि क्या किया। अब आप कह रहे हैं कि एक तथ्य गलत आ गया और आप कार्यवाही भी नहीं करेंगे। या तो यही कह दें कि नहीं यह कार्यवाही योग्य नहीं है। तथ्य आने के बाद। औचित्य का बनता है कि नहीं यह निर्णय आपके ऊपर है लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी एक तरफ यह आश्वस्त करें कि हम इसका दो दिन में चार दिन में हफ्ते दस दिन में समाधान करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

नियमों का एक उल्लेख कर रहे थे संसदीय कार्य मंत्री। इसके लिये व्यवस्था है, उसका इन्होंने उल्लेख किया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह अग्राह्य नहीं है अगर यह प्रतिबन्धित दवा का संज्ञान सदन में आ गया माननीय सदस्यों ने किसी माध्यम से सदन में ला दिया यह प्रतिबन्धित दवा है लेकिन उन्होंने उसका कहीं कोई स्पेसिफिक प्लेस बताया कि वहां पर इसकी बिक्री हो रही है, या वितरित हो रही है तो इसको दिखवा भी लेना चाहिए। इसके साथ ही इसे निस्तारित किया जाता है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, निश्चित रूप से आपने जो निर्देश दिया है उसका पालन होगा।

दिनांक 10 जुलाई, 2007 को बैंक मैनेजर श्री मुकुल गुप्ता की हत्या के सम्बन्ध में उठाये गये बिन्दुओं पर पुलिस द्वारा घटना की रिपोर्ट न लिखने एवं गलत सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहता हूं। दो मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। एक सूचना मान्यवर, आपके माध्यम से 311 में 10 तारीख को दी थी। आपने कृपा पूर्वक सुना था। एक नौजवान लड़के को मारा गया।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

यह मामला एक बार उठ चुका है निश्चित रूप से इसको अवसर न दें। एक बार यह सूचना आ चुकी है आज फिर उसको लगा रहे हैं। कितने नियमों में उसको उठायेंगे। यह उचित नहीं है एक दिन नियम 311 में दिया, नियम-56 में दिया चर्चा हुई उसका उत्तर दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी बैठें मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। इसको अग्राह्य कर चुका हूं। एक बार नियम-56 में चर्चा हो गई, उस पर निर्देश हो गया सूचना अग्राह्य हो गयी।

जनपद सिद्धार्थनगर में उस्का सौहास मार्ग पर पक्का पुल बनवाने हेतु स्वीकृत धनराशि अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला-

दो मिनट मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना ईश्वर चन्द्र शुक्ला जी की धन अवमुक्त करने के सम्बन्ध में है दोनों सूचनाएं नियम-300 में नहीं आती हैं दोनों सूचनाओं को अग्राह्य करता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 05 जुलाई, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा अपनी दिनांक 10 जुलाई, 2007 की बैठक में पारित किया गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 जुलाई, 2007 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150 (2) के अन्तर्गत किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मई, 2007 को पारित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन सहित दिनांक 16 जुलाई, 2007 को इस सचिवालय में प्राप्त हुआ है, को विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित, सदन के पटल पर रखता हूं।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना एवं श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

शुक्ला जी, बैठ जाएं, मैं दोनों सूचनाओं को अग्राह्य कर चुका हूं। डा0 राधा मोहन दास जी की भी सूचना अग्राह्य कर चुका हूं। यह नियम-300 में नहीं आती है आप और नियमों में लाएं मैं सुन लूंगा।

मद संख्या-3, 4 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 जुलाई, 2007 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 17 जुलाई, 2007 से 27 जुलाई, 2007 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 17 जुलाई, 2007 को लिये जाने वाले विधायी कार्य को आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों के उपरान्त रखा जाय।

इस प्रकार 17 जुलाई, 2007 का सदन का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

1-वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-(I) निम्नलिखित विधेयकों का पुनः पारण :-

(क) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007, जो इस सदन द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2007 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिसके पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 10 जुलाई, 2007 की बैठक में अस्वीकार हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007, जो इस सदन द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2007 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिसके पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 10 जुलाई, 2007 की बैठक में अस्वीकार हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

(ग) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007, जो इस सदन द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2007 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिसके पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 10 जुलाई, 2007 की बैठक में अस्वीकार हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

(II) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 (आधा घण्टा)

(ख) उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2007 (आधा घण्टा)

शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

बैंक मैनेजर, मुकुल गुप्ता की हत्या विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना को पुनः उठाने का प्रयास

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, जब इस सदन में पानी की समस्या के ऊपर नियम-300 में उसकी ग्राह्यता पर सुना गया, यह तो विधान सभा की कार्यवाही से सम्बन्धित है। संसदीय कार्य मंत्री ने एक पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पढ़ी है, वह रिपोर्ट [×××] है, सत्य से परे है।

श्री अध्यक्ष-

इतना जोर मत लगाइये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, उसको अपराधी साबित करने की कोशिश की जा रही है, उसको मारा गया है, वह निर्दोष है, निरपराध है।

श्री अध्यक्ष-

आप नियमों में ला दीजिए, आप नियमों के तहत इसे लाइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पुलिस अधीक्षक को यहां बुलाया जाए, यह कार्यवाही से सम्बन्धित है। यह सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष-

नियमों में बनता है तो उसको लायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी नें बयान दिया, उस बयान में पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है, वह रिपोर्ट गलत है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 के अन्तर्गत आप जिस विषय को लाये हैं, मैं उसे अग्राह्य कर चुका हूं। मैंने मद संख्या-5 ले लिया है।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, आप व्यक्तिगत रूप से इस पर विचार कर लें। चाहे आपके चैम्बर में आकर बात कर लेंगे। संसदीय कार्य मंत्री जी भी सहमत हैं। जो भी अन्याय हुआ है, न्याय हो जाए। इसके लिये जो भी आग्रह है, सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† दिनांक 20-8-2007 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 17 जुलाई, 2007 को नियम-311 में प्राप्त एक सूचना को नियम-56 में परिवर्तित किया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री अजय कपूर, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्री विनोद चतुर्वेदी और श्री अजय पाल सिंह की-प्रदेश की जीवन रेखा गंगा एवं यमुना नदियों के जल में निरन्तर बढ़ रहे प्रदूषण से जन जीवन के समक्ष उत्पन्न भयावह संकट के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री मदन चौहान की (नियम-311 में प्राप्त)-जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम उपैडा में दो लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म व ग्राम होशियारपुरगढ़ी में दलित युवती को जिंदा जलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री धर्मपाल यादव, डी0पी0 यादव की-जनपद गौतम बुद्ध नगर की तहसील दादरी के ग्राम महीउद्दीन पुर में ग्राम प्रधान व राजस्व विभाग के कर्मियों की मिलीभगत से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित पट्टों को निरस्त कर ग्राम समाज की भूमि को प्राइवेट कम्पनी को बेचे जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री कौकब हमीद, डा0 अजय तोमर और डा0 अनिल चौधरी की-जनपद बागपत के गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान न होने की स्थिति में सरकारी देयों की वसूली रोकने के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की-प्रदेश में दैनिक प्रयोग की खाद्य वस्तुओं में मिलावट के गम्भीर संकट के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं की गयी, अतः अस्वीकृत हुईं :--

1-श्री माता प्रसाद पाण्डेय, 2-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, 3-श्री आर0 ए0 उस्मानी, 4-श्री जोखू लाल यादव, 5-श्री हुकुम सिंह, 6-श्री दुर्गा प्रसाद यादव और 7-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अभी तक समाज के सामने चिन्ता का विषय यह था कि नदियों में जल प्रदूषण बढ़ रहा है लेकिन अब चिन्ता का विषय दूसरा है, वह यह है कि नदियों का जल प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि वह पानी पीने योग्य तो छोड़िये अब नहाने योग्य भी नहीं रह गया है। मैंने जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्न उठाया है उसमें मैंने भूमिगत जल के दूषित होने के बारे में चिन्ता व्यक्त की हैं मान्यवर, गंगा और यमुना में रसायनिक कचरा इतना ज्यादा डाला जा रहा है कि उसका पानी तो विषाक्त हो गया है लेकिन जब वह पानी छनकर भूमिगत हो जाता है तो अगल-बगल के गांव में बाद में कुएं बनाकर हैण्डपम्प या ट्यूबवेल लगाकर वह पानी निकाला जाता है और उस दूषित पानी का उपयोग किया जाता है। मैं समझता हूं कि इस सम्पूर्ण मानवता के लिये यह बहुत चिन्ता का विषय है कि अभी तक नदियां ही प्रदूषित थीं लेकिन अब भूमिगत जल भी प्रदूषित हो गया है। इस सम्बन्ध में गंगा-यमुना नदी के किनारे के लगभग 14 जनपदों में की गई जांच के कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। मान्यवर, इन 14 जनपदों में भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा सामान्य से नौ गुना तक अधिक पाई गई है। कारखानों के प्रदूषित पानी और शहरों की गंदगी बहकर गंगा और यमुना नदी में मिलने के कारण ही भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है। मिट्टी में यह जहर आसपास के कई किलोमीटर इलाके में फैल रहा है। मान्यवर, 14 जनपदों में 690 जगहों पर जल सेम्पलों में आर्सेनिक की मात्रा 50 जगहों पर बिलियन से ज्यादा पाई गई है। सबसे अधिक मात्रा मेरठ के हस्तिनापुर ब्लाक के गांव हस्तानुपर नौरंग में मिली है। मुरादाबाद के मूढापांडे और छजलैट ब्लाकों के चार-चार सैम्पल जहरीले थे। बिजनौर में पुरदेवल के दो और बूढ़नपुर के एक सैंपल में भी आर्सेनिक था। यह वह शहर है जहां पर ठीक पहले फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और जहां पर कचरा डाला जा रहा है। मान्यवर, 18 सैम्पल में यह 40-50 पीपीबी था। इसी तरह 360 सैंपल में 10-40 पीपीबी से ज्यादा आर्सेनिक था। 300 नमूनों में इसकी मात्रा 10 पीपीबी से कम थी। मैं समझता हूं कि इस पर चिन्ता करने की जरूरत है। मान्यवर, बलिया में तो पानी में मानक से सौ गुना आर्सेनिक निकला। यहां आर्सेनिक 50 से 450 पीपीबी तक है। मुरलीछपरा, बेलहरी, दुबहर, बैरिया एवं रेवती विकास खण्ड में मानक से नौ गुना अधिक आर्सेनिक है। हनुमानगंज, सोहांव एवं मनियर ब्लाक में भी आर्सेनिक मात्रा खतरनाक स्तर पर है। मान्यवर, इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि पथरी और पीलिया यह दो बीमारियां इन दो नदियों के किनारे बसे हुए गांव में ज्यादा हो रही है। मान्यवर, इसमें देखा जाए तो दोष कहीं न कहीं उनका है जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, इन फैक्ट्रियों का है। या इन नियमों का पालन करने की जिनकी जिम्मेदारी है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं उनकी, और कीमत चुका रहा है साधारण नागरिक। उसका क्या दोष है जो प्रकृति से दोहन कर रहा है, हैण्डपम्प लग रहा है, कुआं खोद रहा है पानी पीने के लिए, स्वच्छ पानी मिले, और इसलिए लगा रहा है कि इसका पानी तो भगवान की देन है, गंगा को मोक्षदायनी भी कहा जाता है, तो यह गंगा तो मोक्षदायनी नहीं रही है, लेकिन जो इसके अगल बगल के गांव हैं वहां पर जहरीला पानी आ रहा है और लोग इसे पी रहे हैं। यह खतरनाक स्थिति है। यह जो गंगा और यमुना में प्रदूषण हो रहा है, यह चिन्ता का विषय हो सकता है। हो सकता है कि इसकी जानकारी आस-पास के लोगों को न हो लेकिन सरकार की जानकारी में लाते हुए यह आग्रह करूंगा कि युद्ध स्तर पर जिन रसायनिक फैक्ट्रियों से आर्सेनिक जा रहा है, उनको रोका जायें वरना वह दिन दूर नहीं जब तीस चालीस साल बाद वह दिन आयेगा जब गंगा, यमुना या अन्य नदी के किनारे में जहां रासायनिक कचरा गिरता है, उसका जो पानी है वह पीने योग्य नहीं होगा, वह जहरीला होगा। मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहूंगा कि युद्धस्तर पर

कार्यवाही हो। मान्यवर, इसमें सभी गुण हैं, यह लोक महत्व का इसलिये है कि करोड़ों लोगों से प्रभावित है, निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है इसलिए तात्कालिक है और जो तात्कालिक हो, अविलम्बनीय हो तो इससे बेहतर विषय नहीं हो सकता है, इस पर चर्चा करायी जाय। इससे सरकार का पक्ष भी आयेगा और कुछ जानकारियां हम लोग भी देंगे और दोनों का उद्देश्य यही होगा कि हम इससे मुक्ति दिला सकें।

* श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं क्योंकि मैंने पिछले शुक्रवार को भी इसे दिया था और कल भी दिया था लेकिन दोनों दिन सदन अव्यवस्थित होने के कारण, जबकि आपकी इच्छा थी यह प्रस्तुत हो लेकिन प्रस्तुत नहीं करा पाये थे, आज आपने समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। जो मा0 तिवारी जी ने बात उठायी है उसमें और जोड़ते हुए मेरठ से लेकर बलिया तक जितने भी शहर हैं और इसी तरह से आगरा और मथुरा, जो यमुना के किनारे हैं, उसी तरह से गोमती के, गोरखपुर में आमी नदी है, यह इतने प्रदूषित हो गये हैं कि इतना सतही जल तो दिखता है लेकिन इन नदियों के प्रदूषित होने पर और रासायनिक पदार्थों के मिलने से जो अदृश्य स्वरूप है वह बहुत ही गम्भीर रूप धारण कर रहा है। मान्यवर, आर्सेनिक ऐसा रासायनिक है जिसकी मात्रा अगर पानी में बढ़ गयी, तो वह मनुष्य के अन्दर जो धमनियां हैं, उसमें आक्सीजन प्रवाहित होने की क्षमता है वह बहुत कम होती जा रही है। बाकी जितनी बीमारियां हैं जैसे कैंसर, पथरी, किडनी की बीमारी, पीलिया, जितनी बीमारियां होती हैं वह इसी के फलस्वरूप होती हैं। जो भूगर्भ जल है यदि एक बार प्रदूषित हो जायेगा, ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से गंगा साफ की जा सकती है, यमुना साफ की जा सकती है, कोई नदी तो साफ की जा सकती है लेकिन एक बार यदि यह प्रदूषित हो गया है तो वह साफ नहीं हो सकता और दिखायी भी नहीं पड़ेगा इतना अदृश्य जहरीला रूप भूगर्भ जल ले रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरठ, बुलन्दशहर, कानपुर, उन्नाव, मिर्जापुर, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर और इधर आगरा मथुरा के 85 ब्लाक सर्वेक्षण में आये हैं जो प्रदूषित हैं। एक तो पक्ष यह है और दूसरा पक्ष यह है कि जिसकी तरफ सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कराना चाहता हूं। जो गलत तरीके से उद्योग चलाने वाले लोग हैं ये जो गलत तरीके से उद्योग चलाने वाले लोग हैं इन लोगों ने भी एक नया तरीका निकाला है, अपने इस कचड़े को निस्तारित करने का। ये बोर कर देते हैं मान्यवर, अपनी फैक्ट्री के अन्दर जैसे पानी निकालने के लिये लोग ट्यूबवेल बोर करते हैं, ऐसे ही यह बोर कर देते हैं और उसमें कचड़ा डालते हैं जो भूगर्भ जल में जाकर के मिश्रित हो जाता है। तो यह जो औद्योगिक इकाइयां हैं यह भी अपने कचड़े को भूगर्भ के अन्दर डाल रही हैं जो किसी को नहीं दिखलाई पड़ रहा है न अधिकारियों को न किसी और को, क्योंकि वह उनके कम्पाउण्ड के अन्दर लगा हुआ है उसी में, जैसे विशेष रूप से तमाम जो बूचड़खाने हैं, जो तमाम गलत रासायनिक फैक्ट्रियां चल रही हैं, यह अपने कचड़े को उसी भूगर्भ में डाल देते हैं, बोर करा के। तो उससे भी बहुत प्रदूषित हो रहा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है औद्योगिक क्षेत्रों का जल। कहीं-कहीं तो हैण्ड पम्प से पानी निकालिये तो पानी बहुत लाल निकलता है, जैसे लगता है कि खून मिश्रित होकर निकल रहा है। तो भूगर्भ जल इस भयानक स्थिति में प्रदूषित हो रहा है और सबसे चिन्तनीय बात है मान्यवर कि इन सबके लिये कोई कानून नहीं है। प्रदूषण विभाग, पर्यावरण विभाग इसको नियंत्रित करने के लिये कोई कानूनी हथियार नहीं रखता। इसलिये इस चर्चा के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा, यह प्रदेश के जन-जीवन के लिये अदृश्य जहर उनके शरीर में जा रहा है और घोला जा रहा है भू-गर्भ जल में, इसलिए सबसे पहले तो इस पर कानून बनाने की बात सोचे सरकार। इस चर्चा के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगा, इसलिए इसको नियमों में न लेकर के एक विषय संज्ञान में ला रहा हूं यह अत्यन्त गम्भीर महत्वपूर्ण विषय है मान्यवर, लोक महत्व का है, तात्कालिक है, इसलिए यह पूर्णरूप से चर्चा कराने लायक है और यह आम जनजीवन को इस रूप में प्रदूषित किये दे रहा है कि भविष्य में इसका इलाज भी नहीं होगा। नदियां भी प्रदूषित होंगी। हरिद्वार का पानी भी पीने लायक नहीं है मान्यवर, पर्यावरण विभाग के सर्वेक्षण में, हरिद्वार से लेकर कहीं तक और भू-गर्भ जल भी इस तरह से प्रदूषित हो जायेगा, हम तो अपने आप, प्रदेश की जनता को मारने के प्रति अनभिज्ञ आज हो जायेंगे अगर इस पर कार्यवाही नहीं होगी मान्यवर, इसलिये मेरा आग्रह है कि इस पर चर्चा करा ली जाय।

* श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, एक मिनट मुझे अपनी बात कह लेने दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय गौरी शंकर जी, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जिन माननीय सदस्यों का नाम पहले से था, उनको सुन लिया गया। चर्चा हो रही होती तो आप भी अपनी बात कह लेते।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने गंगा-यमुना का उल्लेख किया और उसी उल्लेख में गोमती नदी का भी प्रसंग आया और गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हैं यदि आप कृपा करके इसका सर्वेक्षण करायें नगर विकास के माध्यम से और जहां से यह प्रदूषित पानी आता है और पानी नलों में दिया जाता है, मैं अपनी बात कहते हुए माननीय अध्यक्ष जी निवेदन करना चाहूंगा कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, यह तीन प्रकार के प्रदूषण महत्वपूर्ण बताये गये हैं और जिनमें जल प्रदूषण एक ऐसा विषय है कि "शुद्ध जल, साफ हवा, सौ मर्जों की एक दवा", इसलिए अगर जल शुद्ध है तो आदमी का जीवन भी सुरक्षित रह सकता है और जल सुरक्षित नहीं है और इस तरह आर्सेनिक जैसे केमिकल उसमें जा रहे हैं।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, ध्वनि प्रदूषण भी बहुत महत्वपूर्ण है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, जल प्रदूषण भी महत्वपूर्ण विषय है और इस समय जल प्रदूषण हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

किसी माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया गया, लेकिन माननीय चौधरी साहब तगड़ा इशारा कर रहे हैं इसलिए हम इसको माने ले रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, चूंकि बलिया की बात आई है इसलिए मैं भी एक बात कहना चाहता हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं गौरी शंकर जी, बात अब बलिया चली गई, इसलिए अब आप बैठ जाइये।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के सब लोग राजधानी में आकर रहते हैं और काफी समय यहां पर देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य बैठ जायें, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

इसलिए मान्यवर, मैंने यह निवेदन किया है कि जो जल की आपूर्ति की जा रही है वह प्रदूषित है और हैण्ड पम्पों से भी जो पानी आ रहा है वह भी प्रदूषित है और तीसरे स्टेटा पर या उस से ऊपर जो हैण्डपम्प लगाये जाते हैं उसमें अधिकतर प्रदूषित पानी ही निकलता है क्योंकि गोमती नदी या अन्य जो भी नदियां हैं जिनका जल प्रदूषित हो गया है वह प्रदूषित जल भूमि के अन्दर जाता है और वह प्रदूषित जल ही वहां से निकाला जाता है। इस प्रदूषित जल से बहुत भारी बीमारियां फैलती हैं।

(माननीय सदस्य और श्री अध्यक्ष के एक साथ अपनी-अपनी बात कहने की वजह से व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आप बैठ जायें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गम्भीर विषय है, इसका भी आप संज्ञान लें और इस पर चर्चा कराई जाये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मुझे एक वाक्य की सूचना देनी है, बलिया से सम्बन्धित है, सिर्फ यह बात कहनी है, मैं इसकी ग्राह्यता पर नहीं बोल रहा हूं यह मेरी नोटिस नहीं है। मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यह बात कह लेने दिया। मान्यवर, जनपद बलिया में गंगा

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के किनारे जो चार ब्लाक बसे हैं मुरलीछपरा, बेरिया, बेलहरी, दूभर-यह बिल्कुल सटे हुए हैं। इसमें आपका जो किंग जार्ज मेडिकल कालेज है उसका नाम अब बदल दिया है, तो मेडिसिन डिपार्टमेंट है उसमें रिपोर्ट मौजूद है स्वास्थ्य विभाग का बजट है आप इसलिए सभी अधिकारीगण मौजूद है यहां पर इसलिये बलिया के बारे में खासकर कह रहा हूं। मान्यवर, जो हैण्डपम्प की स्थापना है उसका विभाग अलग है आपकी सरकार की कार्यप्रणाली विभागवार है यह कह दिया जाता है कि यह हमारे विभाग से सम्बन्धित नहीं है। वह विभाग इसे जाने। मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग ने इसके सम्बन्ध में जो आंकड़े इकट्ठे किये हैं उस आर्सेनिक के चलते फेफड़े के कैंसर की बीमारी सर्वाधिक प्रभावित है। जो स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट है उसका आप परीक्षण करा लें और जो यह डीप बोरिंग के हैण्ड पम्प लगते हैं जल निगम लगाता है या अन्य संस्थायें लगाती हैं उनके बीच समुचित तरीके से आप तालमेल करा दें ताकि इस समस्या का निवारण हो। पिछले दिनों इसकी पूरी स्टडी हो चुकी है इस पर आप कार्यवाही करायें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रदूषण आज एक बहुत गम्भीर समस्या है उसके निदान के लिये समय-समय पर प्रयास किये जाते हैं। मान्यवर, जहां तक नदियों के पानी में प्रदूषण की बात है मान्यवर, बड़े-बड़े नगरों से या बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों के माध्यम से जो प्रदूषित जल निकलता है उससे स्थिति गम्भीर होती है। उसके प्रदूषण से निपटने के लिये शासन ने प्रदूषण विभाग ने काफी प्रयास किये हैं और सभी औद्योगिक इकाइयों को यह निर्देश दिये जा चुके हैं कि किसी भी दशा में प्रदूषित जल का प्रवाह नदियों में न होने पाये।

इसी विषय पर मान्यवर, जो गम्भीर चिन्तायें व्यक्त की गयी हैं माननीय प्रमोद तिवारी जी ने, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने, हमारे विद्वान सदस्य माननीय गौरी शंकर जी ने और माननीय चौधरी साहब ने जो कहा है इस मुद्दे पर भी परीक्षण कराके जो समुचित कार्यवाही हो सकेगी उसको किया जायेगा। कृपया इसे नियम 56 में अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर मैंने माननीय प्रमोद जी, माननीय ओम प्रकाश जी, माननीय गौरीशंकर एडवोकेट, माननीय अम्बिका चौधरी जी को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

* श्री मदन चौहान-

मान्यवर, यह जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत बाबूगढ़ थाना के दो गांवों में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं जो बहुत गम्भीर है। मान्यवर, 15 जुलाई की घटना है थाना बाबूगढ़ जनपद गाजियाबाद की घटना है जिसमें दो लड़कियां गांव से चारा लेने गयी थी जंगल में वह गंगा शरण व धर्मवीर की बेटियां हैं। सरकार दावा करती है कि उसके शासनकाल में रात बारह बजे भी महिलायें सुरक्षित घूम सकती हैं जबकि यह घटना दिन की है। दोनों के साथ वहां पर सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया। यह मेरे क्षेत्र का मामला है इससे लोगों में असंतोष है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और अभी पूरी तरह से कार्यवाही भी नहीं हुई है। इसी तरह से एक अन्य घटना 16 जुलाई की है। होशियारपुर गढ़ी में यह बाबूगढ़ थानान्तर्गत है, एक लड़के और लड़की के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था चिट्ठी का आदान-प्रदान था उनमें। वह चिट्ठी शायद लड़के की मां को मिल गयी है और उसको लेकर घर में बवाल हुआ। उस लड़के की मां उस लड़की के घर गयी। अब न जाने यह तो विवेचना से पता चलेगा कि वह जिन्दी जलाई गयी थी वह किस परिस्थिति में जली या जलाई गयी यह भी एक बहुत गम्भीर मामला है जो आज वह लड़की जिन्दगी और मौत के बीच में है यह दोनों घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण जनहित की हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि जहां एक तरफ यह सरकार कानून व्यवस्था का इतना दम भरती है चोरी दर्ज नहीं होती है थाना बहादुरगढ़ का मामला है 50 मीटर की दूरी पर चेतन की दुकान है और वहां पर कई दुकानों में चोरी हो जाती है और वह अपनी अप्लीकेशन लेकर घूमते हैं, चोरी दर्ज नहीं हुई है। कानून व्यवस्था चरमरा रही है, हाहाकार मचा हुआ है, बालिकाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद से प्राप्त आख्यानुसार दिनांक 14-7-07 को वादी श्री धर्मवीर पुत्र चन्दन सिंह निवासी ग्राम उपेड़ा, थाना बाबूगढ़, जिला गाजियाबाद द्वारा थाना बाबूगढ़ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनकी पुत्री कु0 शशि उम्र लगभग 15 वर्ष व कु0 श्रद्धा पुत्री स्व0 श्री गंगा शरण जाटव उम्र लगभग 16 वर्ष गांव के जंगल में चारा काटने गयी थी कि अचानक मोटरसाइकिल पर सवार फैमुद्दीन पुत्र सत्ते खां निवासी ग्राम ढकनगला थाना अहमदगढ़ बुलन्दशहर, निजामुद्दीन पुत्र अहमद हसन निवासी अब्दुल्लापुर, मूड़ी थाना हाफिजपुर, गाजियाबाद, जहीर निवासी उपरोक्त, इकरामुद्दीन निवासी उपरोक्त द्वारा बलात्कार करना अंकित कराते हुए नामजद कराया गया। इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 227/07 अन्तर्गत धारा 376/216/506 भा0दं0वि0 व 3/1/12 एससी एसटी एक्ट अन्तर्गत पंजीकृत की गयी। जिला मैजिस्ट्रेट व प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा स्वयं घटनास्थल का दौरा किया गया। नामजद 4 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। शेष 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अलग-अलग टीमों को रवाना किया गया है। समाज कल्याण विभाग की ओर से दोनों बालिकाओं को रु0 25-25 हजार की आर्थिक सहायता चेक द्वारा मौके पर उपलब्ध करा दी गयी है। शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस बल की तैनाती कर दी गयी है। जनपद गाजियाबाद के ग्राम होशियारपुर गढ़ी में एक युवती को जिन्दा जलाये जाने के प्रयास के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी है। मान्यवर, इसके आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं उस कार्यवाही के लिये। यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, एक बात कहना चाहूंगा कि पुलिस आनन फानन में जो कार्यवाही करती है जो आस-पास के लोग हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता उनको बन्द करके बैठाये रखती है 3-3, 4-4 दिन और उनसे पैसा लेकर छोड़ती रहती है। उसमें भी मैं आपका निर्देश चाहूंगा कि उनको

ऐसे निर्देश हों कि गुनाह आदमी को छोड़ा न जाय और बेगुनाह आदमी को परेशान न किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

टीक है मुजरिम पकड़े गये हैं।

मैंने श्री मदन चौहान को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है मैं इसको निरस्त करता हूं।

माननीय डी0पी0 यादव जी की यह सूचना भी नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है, निरस्त करता हूं। माननीय कौकब हमीद साहब, डा0 अजय तोमर जी, डा0 अनिल चौधरी जी, बताइये आप क्या कहना चाहते हैं ?

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, आपने मुझे नियम 56 के तहत बोलने का अवसर दिया मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। मान्यवर, यह हरदोई जनपद के गांव समूखा की स्थिति बिजली व्यवस्था के विषय में है।

श्री अध्यक्ष-

आप किस सूचना पर बोल रहे हैं।

डा0 अजय तोमर-

हां, मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसमें स्थिति यह है कि एसबीसी शुगर मिल मलकपुर में लगभग 75 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बाकी है अभी 3 दिन पहले बिजली विभाग के माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से विद्युत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं बिजली विभाग के अधिकारी बागपत मुख्यालय पर जाते हैं। और जनपद बागपत का 15 दिन का बिजली का वसूली का लक्ष्य 4 करोड़ रुपये निश्चित कर आते हैं। सभी अखबारों में यह प्रमुखता से छपता है। स्थिति यह है कि 15 दिन के अन्दर 31 जुलाई तक वह टारगेट निश्चित कर दिया जाता है कि विद्युत बिलों के रूप में, जो किसानों पर निजी नलकूपों का बाकी है, वह उनसे भुगतान करना सुनिश्चित कराया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उसकी छाया प्रति भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। जिन परिस्थितियों में किसान भुखमरी के कगार पर हैं और सूदखोरों से पैसा लेकर अपना काम चला रहा है और शुगर मिल का 75 करोड़ रुपया बकाया है, वह अपनी आर्थिक स्थिति वैसे ही नहीं संभाल पा रहा है और मान्यवर, अगर इस तरह उगाही के लिये सरकार की तरफ से सख्ती की गयी तो और विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जायेगी। मान्यवर, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें आप अस्थाई रूप से व्यवस्था करा दें कि किसानों के साथ क्षेत्रीय स्तर पर कोई अव्यवस्था ... स्थिति न उत्पन्न हों कि एक तरफ उनके पास पैसा नहीं है और दूसरी तरफ उनको 15-15 दिन तक लाकअप में मजबूरी में बंद रहना पड़े। उनको अपना पैसा न देने की स्थिति में तहसीलदार और रिकवरी के रूप में न पीड़ित किया जाय। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इसकी कोई व्यवस्था की जाय और वसूली के कार्यक्रम को तत्काल रूप से रोकने के लिये जिला स्तर के अधिकारियों को आदेशित किया जाय और इसके लिये माननीय गन्ना

मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है मैं उसमें अपने को सम्बद्ध करते हुए जोड़ता हूं कि वह 31 अगस्त तक के लिये आदेश हो कि कोई भी उगाही तब तक न की जाय।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, जो हमारे सदस्य ने कहा है वह बात सही है कि चार करोड़ का लक्ष्य बिजली डिपार्टमेंट ने दिया है वसूलयाबी करने के लिये, और सदन भी अवगत है और माननीय मंत्री जी ने कहा भी है कि अगर किसान को उसका पैसा नहीं मिलेगा तो वह भुगतान कहां से करेगा ? तो इसमें मैं यह चाहता हूं कि 31 अगस्त तक वसूली बाकायदा रोक दी जाय और जब पैसा मिल मालिक किसान को दे दें तभी उनसे वसूलयाबी की जाय।

* आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो सूचना दी है उस पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु राजस्व विभाग को प्रेषित कर दिया गया है अब हमने अनुरोध किया है उनसे। फैसला जैसे ही होता है हमें अवगत करा देंगे और हमारा भी यही प्रयास होगा जो माननीय सदस्य चाह रहे हैं।

*श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, इसमें दिक्कत यह है कि माननीय मंत्री जी ने रेवन्यू डिपार्टमेंट से कहा है और बिजली वाले खुद पुलिस लेकर पहुंच जाते हैं । तो वह कार्यवाही खुद कर बैठेंगे और रेवन्यू वालों को पता भी नहीं चलेगा, इसलिये बिजली वालों से भी बात करनी पड़ेगी।

*श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, उनसे भी बात कर लेंगे।

(लोकदल के कुछ सदस्यों के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय कौकब साहब, माननीय वरिष्ठ मंत्री जी ने कहा है कि हम उनसे भी बात कर लेंगे। मैं माननीय कौकब साहब को सुना, माननीय अजय तोमर जी को सुना, माननीय गन्ना विकास मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती इसलिये इसको मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री राम विशुन आजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं प्रदेश की सबसे गम्भीर समस्या पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, मिलावट पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे खाद में मिलावट हो, चाहे खाद्य तेल में मिलावट हो, और चाहे तेलों में मिलावट का मामला हो, की जा रही है। मान्यवर, उसी तरीके से पूरे प्रदेश में खाद्य सामग्रियों में भी भारी पैमाने पर मिलावट का काम हो रहा है। अगर देखा जाय मान्यवर, तो इससे उपभोक्ताओं के अन्दर गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है जैसे आटा, दाल, बेसन, मसाला, साबूदाना, चीनी, चाय, काफी, नमक आदि पदार्थों में भारी पैमाने पर मिलावट किया जा रहा है कोई भी खाद्य सामग्री उपभोक्ताओं तक तीन स्तर पार करने

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के बाद ही पहुंचती है। पहले होता है उत्पादन या पैकिंग स्तर, दूसरा होता है थोक विक्रेता, तीसरा होता है फुटकर विक्रेता। यह तो विक्रेता होते हैं, भारी पैमाने पर मिलावट का काम करते हैं। उपभोक्ता जो अपनी खाद्य सामग्री खरीदता है, जब यह दुकानदार के पास जाता है तो दुकानदार कहता है कि इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि जिस तरह से खाद्य पदार्थों में मिलावट करायी जा रही है, सरकार उसे रोक पाने में असफल है और इससे भारी पैमाने पर उपभोक्ताओं के अन्दर जो बीमारियां फैल रही हैं, उसकी जिम्मेदार मौजूदा सरकार है। पिछले सप्ताह इसी सदन के अन्दर तेल की मिलावट के सम्बन्ध में समस्या उठायी गयी थी। जो भी अधिकारी सैम्पलिंग के लिये जाते हैं तो दुकानदार अधिकारी को तेल अच्छा वाला देता है, जो दुकानदार होता है वह अच्छा तेल अलग रखे रहता है और जैसे अधिकारी वहां पर पहुंचता है वैसे ही वह सीसी पकड़ा देता है कि यह लीजिए, इस तरीके से सैम्पलिंग हो रही है। देखा जाए तो धनिया, धनिया में सूखा गोबर मिलाया जा रहा है जो कि टोटल जहर है, कालीमिर्च में अगर देखा जाए तो पपीते का बीज मिलाया जा रहा है, चाय की पत्ती में देखा जाए तो चमड़े का चूरा और लकड़ी का बुरादा, नमक में देखा जाए तो पत्थर का चूर्ण और सफेद बालू मिलाया जा रहा है, आटा में देखा जाए तो चावल, भूसी, चोकर और चाक पाउडर, और साबुनदाना में देखा जाए तो बालू और अगर काफी में देखा जाए तो घुना खजूर और इमली के बीज का पाउडर मिलाया जा रहा है। मान्यवर, घी की जो बात हो रही है उसमें चर्बी की मिलावट हो रही है तो मान्यवर, इस तरीके से खाद्य पदार्थों में मिश्रण किया जा रहा है। जो अच्छी-अच्छी कम्पनियां हैं, जिनका मोनोग्राम है वह केवल नाम का मोनोग्राम है, जो पैकेटों में उनका निशान रहता है, उनमें भी भारी पैमाने पर मिलावट की जा रही है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है, मिलावट के इस विषय के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इस पर एक घण्टे की चर्चा करायी जाए, यह बहुत ही गम्भीर विषय है, इससे आने वाली पीढ़ी प्रभावित होगी और आज जो हम लोग खा रहे हैं दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सभी चीजों में मिलावट है। अगर मिलावट को दूर नहीं किया गया तो आने वाला भविष्य खतरे में पड़ जायेगा। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील हो, आप भी इस पर संवेदनशील हैं इसीलिये आपने इस प्रश्न को स्वीकार किया है, अगर यह संवेदनशील न होता तो आप इस समस्या को स्वीकार कतई न करते। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार जब जवाब दे तो संवेदनशील होकर जवाब दे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, खाद्य पदार्थों में मिलावट का प्रश्न बहुत ही गम्भीर प्रश्न है और मान्यवर, इस मिलावट के विषय पर माननीय राम विशुन आजाद जी काफी लम्बे समय से अपने विचार रखते आ रहे हैं लेकिन जब वह इधर रहे थे तो इन्होंने समझौता कर लिया था, उन लोगों से जो मिलावट करते हैं उस समय इनका इस सम्बन्ध में बोलना बन्द हो गया था। प्रदेश में खाद अपमिश्रण निवारण अधिनियम-1954 तथा नियमावली-1955 के अन्तर्गत अपमिश्रित/मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री को रोकने हेतु शासन द्वारा जनपद स्तर पर छापामार अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, जबसे यह सरकार बनी है इस मामले में बड़े पैमाने पर

कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है और प्रत्येक जिले में छापामार अभियान चलाया जा रहा है। शासनादेश दिनांक 6-06-2007 द्वारा प्रदेश में दूषित/मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री पर रोकथाम हेतु निर्देश समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को दिये गये हैं, इसके अन्तर्गत मुख्य खाद्य निरीक्षक और खाद्य निरीक्षक की संयुक्त टीम गठित कर संदिग्ध प्रतिष्ठानों, उत्पादनकर्ताओं की खाद्य सामग्रियों का नमूना संग्रह करने और नमूना अपमिश्रित पाये जाने पर अभियोजन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। इस तरह से बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है और उस अभियान के द्वारा ही इसको रोकने का काम किया जायेगा। जहां तक नियम-56 के अन्तर्गत है, आज ही इस विभाग से सम्बन्धित बजट भी है इसलिए चर्चा का अवसर मिलेगा ही, इसमें अलग से चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री राम विशुन आजाद-

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हर जनपद में टीम गठित की गयी है, मैं अपने जिले, जनपद गोण्डा की बात करता हूं। गोण्डा में छापा मारने की टीम बनायी गयी है उसका कार्यक्रम तय कर दिया गया है कि फलां हफ्ते में, फलां तहसील में जायेंगे। तो मिलावट करने वालों को पहले ही जानकारी हो जाती है और अधिकारी के वहां पहुंचने से पहले अपना काम दुरुस्त कर लेते हैं। मान्यवर, सरकार मिलावट के मामले में गम्भीर नहीं है। मैं आपसे चाहूंगा कि बजट तो आज है ही, उस पर चर्चा तो होगी ही लेकिन पूर्ण रूप से चर्चा नहीं हो पायेगी। इसलिए चाहूंगा कि यह गम्भीर समस्या है और इस पर एक घण्टे की चर्चा होनी चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

यही लोग संरक्षण दे रहे हैं, कार्यवाही हो रही है तो फिर चिन्ता क्यों कर रहे हैं ?

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मानव जीवन व लोगों की जिंदगी से जुड़ा प्रश्न है, यह सरकार संवेदनशील नहीं है। मैं आपसे एक घण्टे की चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इसको सरकार ने गम्भीरता से लिया है। मैंने श्री राम विशुन आजाद और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आता है इसलिये इसको अग्राह्य करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए दिनांक 17-7-2007 से लेकर दिनांक 24-7-2007 तक की अनुदान मांगों को आज ही लिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं यह चाहूंगा कि आज से 24-7-2007 तक की अनुदान मांगें ले ली जाएं। इसके लिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज दिनांक 17-7-2007 से लेकर दिनांक 24-7-2007 तक की जो अनुदान मांगें हैं उनको उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए, आज ही ले लिया जाए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज सुबह ही इस बात की चर्चा हुई है कि सदन में बहुत सारे विभागों का अनुदान बिना चर्चा के ही पास हो रहा है। इस सरकार ने स्वयं कहा कि वह यह नहीं चाहते हैं और अचानक यह निर्णय ले लिया कि सारी कार्यवाही आज ही कर ली जाए।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, ऐसी कौन सी आकस्मिकता आ गयी कि सारा बजट आज ही पास कराया जा रहा है ?

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि सभी अनुदान मांगों पर चर्चा होनी चाहिए दूसरी तरफ बिना चर्चा ही पास कराया जा रहा है, यह विरोधाभासी स्थिति है।

(श्री अम्बिका चौधरी, श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 वकार अहमद शाह के साथ भारतीय जनता पार्टी व समाजवादी पार्टी के अनेक मा0 सदस्य प्रस्ताव का विरोध करते हुए सदन की वेल में आ गये)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्री जी जो यह प्रस्ताव लाये हैं कि आज 17 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक जिन अनुदान मांगों को पास होना है उनको उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए, आज ही उन सभी अनुदान मांगों का पारण करा लिया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(वेल से)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सरकार के इस कृत्य से अनर्थ हो जाएगा गम्भीर कलंक लग जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या-04, 09, 14 लगायत 19, 22 लगायत 26, 28, 30 लगायत 36, 38 लगायत 42, 47 लगायत 48, 67 लगायत 68, 71 लगायत 73, 75, 78 लगायत 79, 82, 84 लगायत 87, 91 तथा 95 लगायत 96

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अनुमति है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04, 09, 14 लगायत 19, 22 लगायत 26, 28, 30 लगायत 36, 38 लगायत 42, 47 लगायत 48, 67 लगायत 68, 71

लगायत 73, 75, 78 लगायत 79, 82, 84 लगायत 87, 91 तथा 95 लगायत 96 के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये बीस हजार आठ सौ इक्यावन करोड़ इक्कीस लाख सत्तावन हजार (रुपये 20,851,21,57,000) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, अग्रवाल साहब संसदीय कार्य मंत्री जी ने हमारे सामने एक प्रस्ताव रखा और मैंने उस प्रस्ताव पर मतदान करा दिया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह संविधान का अपमान है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने प्रश्न प्रस्तुत कर दिया है और उस पर सदन की राय भी आ गई है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

यह प्रस्ताव कार्य-मंत्रणा समिति में नहीं आया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष महोदय, सरकार का कलंक अपने सर पर न लें। सरकार के इस कृत्य से अनर्थ हो जाएगा।

(वेल में उपस्थित सदस्य नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(विपक्ष के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर बोलने लगे-मान्यवर, यह गलत हो रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कार्य-मंत्रणा समिति का उपहास हो रहा है।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री आप ने सब अनुदानों के प्रस्ताव रख दिये ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सभी अनुदानों की मांगों से सम्बन्धित प्रस्ताव रख दिये हैं उसका पारण करा लें उसके बाद मान्यवर, इनकी सुन लें। जो हमने सारी अनुदान मांगें रख दी हैं मान्यवर, उसका पारण करा लें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब बैठिये। माननीय चौधरी साहब सरकार ने एक प्रस्ताव रखा फिर मैंने उस प्रस्ताव पर मतदान करा दिया हां की संख्या अधिक हो गई इसलिये वह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने अनुदान मांगों को संकलित करके रख दिया है। तो मैंने तो एक प्रस्ताव आया था सरकार की तरफ से कि दिनांक 17-07-2007 से लेकर दिनांक 24-7-2007 तक जितनी विभागीय अनुदान की मांगें हैं उन सभी अनुदानों की मांगों का पारण करा लिया जाय।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

एक प्रस्ताव आ गया। संसदीय कार्य मंत्री जी ने रख दिया। माननीय चौधरी साहब संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव रख दिया। नहीं नहीं इस बात पर आप सहमत नहीं हो रहे हैं। उसके अनुरूप मैंने मतदान कराया उस प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिये। हां की संख्या अधिक हो गई इसलिये प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

श्री अम्बिका चौधरी-

चलिये, कराइये पास। हम कटौती रखेंगे। चलिये सब लोग चलिये।

(माननीय सदस्य अम्बिका चौधरी व अन्य माननीय सदस्य अपने स्थान पर चले गये)

श्री लालजी टण्डन-

3 बजे आपने बैठक बुलाई है तो फिर प्रस्ताव सीधे क्यों ला रहे हैं ?

* श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। कि बजट के अनुदान मांगों पर चर्चा के लिये माननीय नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों की सहमति से तिथियों का निर्णय होता है। वो जिसको अधिकृत करें मान्यवर, यह औपचारिकता करनी होती है और उनकी सहमति के बाद इन तिथियों का निर्धारण और उन तिथियों के निर्धारण के बाद कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें और उन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों को सदन में सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। सह सभी कार्य हुए हैं इसके अतिरिक्त मान्यवर, एक दूसरा प्रश्न है कि सभी विभागों के बजट रखने के 72 घंटे पूर्व उसका पूर्ण सम्पूर्ण साहित्य उपलब्ध कराया जाता है। अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ऐसा एक प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो सारे प्रदेश की जानकारी में यह बात होनी चाहिए कि सदन सुव्यवस्थित और शांत है। हम बजट के प्रत्येक मद पर भाग लेने को तैयार, सुझाव देने को तैयार, आलोचना करने को तैयार जो हमारा मान्यवर, संवैधानिक अधिकार है और उस अधिकार के हनन के लिये यह सरकार ऐसा प्रस्ताव लेकर आये अचानक कि हम प्रस्ताव करते हैं कि आज ही सभी विभागों का बजट पारित करा लिया जाय। मान्यवर, आप मदों की गिनती करवा लें समय का आवंटन कर लें कि किस-किस विभाग के बजट पर कितना समय देंगे श्रीमन्, हम उस हिसाब से समय तय कर लेते हैं। आपकी घड़ी ढाई बजा रही है और जितने विभागों के लिये जो समय आप निश्चित करें ताकि प्रदेश यह जाने माननीय अध्यक्ष जी कि संसदीय कार्य मंत्री जी की सरकार क्या चाहती है और माननीय पीठ ने इस सम्बन्ध में अपनी क्या व्यवस्था दी। मान्यवर, इस सवाल का उत्तर निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा कि आप किस विभाग के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बजट पर कितने सेकेन्ड का समय देना चाहते हैं। कितने सेकेन्ड में आप उस विभाग को सुधारने के लिये सारे सुझाव आप सम्पूर्ण विपक्ष के लेना चाहते हैं। दूसरी एक बात और उल्लेखनीय है मान्यवर, आज के ही दिन संयोग से प्रमोद तिवारी जी के द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर सदन के तमाम वरिष्ठ सदस्यों ने और श्रीमन्, आपने स्वयं पीठ से आज ऐसी उपदेशात्मक, ऐसी आदर्श वाक्यों में पढ़ी हुई बातें आयी हैं मान्यवर, और आज ही के दिन एक ऐसा कलंक होगा एक ऐसा अनर्थ होगा जिसकी कल्पना नहीं हो सकती। मैं यह नहीं कहता कि ऐसा इसके पूर्व नहीं हुआ। लेकिन वह दिन और था। जब मा0 सदस्य सदन के वेल में आ गये। सदन अव्यवस्थित था। गलत परम्परा डाली गयी तो इस स्थिति में मान्यवर, उसको आज चलाने की आवश्यकता नहीं है। यह अत्यन्त अनर्थपूर्ण बात होगी। सम्पूर्ण विपक्ष शांतिपूर्वक सुन रहा है जो तीन विभाग तय थे चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, पिछड़ा वर्ग विकलांग कल्याण, इनके अलावा और कोई बात तय नहीं थी आज ही रखना चाहते हैं तो उन सभी विभागों के बजट की मांगें क्रम वार रखवाइये और हम प्रयास करेंगे जो सुझाव हम देना चाहें वह सुझाव सभी विभागों को दे सके। मंत्री जी के सारे विभागों के बजट रखवाइए।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के कुछ बोलने पर)

खन्ना जी आज शान्तिपूर्वक सुन लो।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हम भी चाहते थे कि विभिन्न बजट मांगों पर व्यवस्थित ढंग से चर्चा हो और इसीलिये कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। मान्यवर, आपने देखा कि अभी तक कुल पांच दिन अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। उन पांच दिन में तीन दिन किसी तरह की चर्चा नहीं हुई। केवल शोर शराबे में उन अनुदान मांगों को पास करने का काम किया गया। मान्यवर, प्रदेश की जनता का प्रदेश के खजाने का पैसा इस विधान सभा के कार्य-संचालन में भी और हम सबके ऊपर लगता है। हमने इस बात को महसूस किया कि जो चर्चा हम चाहते थे तो अगर पांच दिन में तीन दिन केवल शोर-शराबे में महत्वपूर्ण विभागों की मांगों को हमने बिना चर्चा के पास किया। उस पर केवल शोर-शराबा होता रहा इसलिए हमने इस बात को महसूस किया कि जब मा0 सदस्यों की चाहत इस दिशा में कम है कि चर्चा हो, तो हम अनावश्यक रूप से, समय अगर लोगों के पास नहीं है तो यहां पर ज्यादा समय बैठें इस बात के लिये हमने महसूस किया कि सभी अनुदान मांगें ले ली जाएं और उस पर एक साथ पास कराने की कार्यवाही हो जाए। क्योंकि पांच दिन में दो दिन चर्चा हुई लेकिन तीन दिन चर्चा नहीं हुई। इस तरह की स्थिति रहती है निश्चित तौर पर यह लाभकारी नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव लाने का हमने काम किया है और मान्यवर, यह कहना कि इस तरह के बजट पहले पास नहीं हुए हैं इसमें मा0 चौधरी साहब और सदन के हर सदस्य जानते हैं कभी-कभी असामान्य स्थिति बिना किसी शोर-शराबे के, 1990 में मुझे जहां तक याद है किसी तरह का शोर-शराबा नहीं था। एक साथ

पूरी अनुदान की मांगें एक दिन में लाई गईं। हम तो कई दिन चर्चा करा चुके हैं अब कम समय बचा है। चार-पांच दिन का और समय बचा था तो उसको लाने का आज काम कर रहे हैं। इसके पहले बिना शोर-शराबे के एक दिन में यहीं खड़े होकर प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं एक दिन में पास हुआ है तो इसलिये मान्यवर, हमारी रुचि कम हो गई है चर्चा में, और उस दृष्टि से हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को लाने का काम किया है। मान्यवर, सदन स्वयं अपने नियमों का मास्टर है इसलिये सदन द्वारा अगर कोई प्रस्ताव आता है और वह पास हो जाता है तो उसमें अन्य किसी जगह पर प्रस्ताव ले जाने की जरूरत नहीं है। कार्य-मंत्रणा या अन्य किसी जगह पर प्रस्ताव ले जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सदन अपने कार्यों के लिए स्वयं मास्टर है और उसके द्वारा कोई प्रस्ताव पास होता है तो उसको उसके द्वारा बनाई हुई समिति में उसको ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें कोई गलत असंवैधानिक कार्य नहीं हैं हमने भी संविधान की इन किताबों को देखा है मान्यवर, इसमें जो अनुदान की मांगें रखने की व्यवस्था है उसको 203 के अन्तर्गत देखा है इसमें कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि इसको एक दिन में पास नहीं किया जा सकता। और उसी के आधार पर हमने इस बात को रखने का काम किया है, चूंकि अनुदान मांगों का सम्पूर्ण, जितनी अनुदान मांगें अवशेष थीं, मदवाइज, मैंने एक-एक मद का, जितना होता है और उसका पूरा संकलित, जिनती मांग थीं, मान्यवर, उस मांग को हमने रखने का काम किया है, इसलिए मान्यवर, अब आपसे निवदेन है और आपने चूंकि ले लिया और रखने की अनुमति आपने दी थी और मेरे द्वारा प्रस्ताव रखा जा चुका है तो उस पर अब मतदान के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता।

* श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मैंने प्रदेश की जनता के हित में मंगलवार का व्रत रखा है। मान्यवर, मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए। मान्यवर, मैं 19-09-96 से लगातार मंगलवार का मौन रखता हूं, मंगलवार के दिन मैं बोलता नहीं हूं, यह सदन के भी कई मा0 सदस्य जानते हैं। लेकिन मान्यवर, इस सरकार ने इतने महत्वपूर्ण बजट पर चर्चा न कराने की जो पेशकश की है इसका मैं विरोध करता हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04, 09, 14 लगायत 19, 22 लगायत 26, 28, 30 लगायत 36, 38 लगायत 42, 47 लगायत 48, 67 लगायत 68, 71 लगायत 73, 75, 76 लगायत 79, 82, 84 लगायत 87, 91 तथा 95 लगायत 96 के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये बीस हजार आठ सौ इक्यावन करोड़ इक्कीस लाख सत्तावन हजार (रुपये 20,851,21,57,000) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान के मध्य)

सदन को एक घण्टा स्थगित करने के लिये अनुरोध

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप एक घण्टा के लिये सदन स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

मैं एक घण्टे के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूं।

(संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध पर श्री अध्यक्ष ने 2 बजकर 35 मिनट पर सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिये स्थगित कर दी। 3 बजकर 35 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 15 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है। 4 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(विपक्ष के अनेक मा0 सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो गये और बोलने का प्रयास करने लगे)

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, जिस तरह से हमने बात की और आपके सामने प्रस्ताव था लेकिन सरकार का यह जो पक्ष है, यह अलोकतांत्रिक है, असंसदीय है। किसी की आवश्यकता नहीं थी इस तरह के व्यवहार की, किसी को विश्वास में नहीं लिया गया। पूरे विपक्ष ने जिम्मेदारी मानकर सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिए भावना व्यक्त की, उसका सत्ता पक्ष ने पूरी तरह से अनादर करते हुए, बिना विश्वास में लिये, कोई आवश्यकता नहीं थी एकाएक बजट को पास कराने की, लेकिन इसको पास किया। हम इसका विरोध करते हैं और इसको अलोकतांत्रिक मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में आज से कार्य-मंत्रणा समिति से इस्तीफा देती है और यह भी निर्णय लेती है कि वर्ष 2007-2008 के लिये जो भी संसदीय समितियां गठित होंगी उसमें न तो सदस्य होंगे और न इसमें भाग लेंगे और हम इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री ओम प्रकाश सिंह भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों सहित सदन का त्याग कर चले गये।)

(मा0 अध्यक्ष द्वारा खड़े होकर बोलने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आप खड़े हो जायेंगे तो कठिनाई हो जायेगी मान्यवर, अनर्थ की भी कोई सीमा होती है, लेकिन उसका भी अतिक्रमण हो गया है। आज सदन जितने व्यवस्थित ढंग से चल रहा था और आज जो सरकार ने प्रतिबद्धता व्यक्त की थी, मान्यवर, टिप्पणी करने के मामले में.....

श्री अध्यक्ष-

आप पहले भी कह चुके हैं, बैठ जायें, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आप भी हमें अनुमति नहीं देंगे। हम लोग बजट चर्चा में भाग लेना चाहते थे। सरकार यह चाहती है कि कोई बात न सुनी जाय और आप भी यही चाहते हैं। जिस तरह से सदन व्यवस्थित था और बजट पर प्रत्येक विभाग पर चर्चा के लिये बात आयी थी।

श्री अध्यक्ष-

आप कह चुके हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह बात आयी थी, बजट में प्रत्येक विभाग पर चर्चा के लिये बात आयी थी और पहले दिन सदन अव्यवस्थित था उसी दिन से हम प्रयास कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं यह बात आप कह चुके हैं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार अपने उत्पीड़न को बेशर्मी से लागू करने के लिये.....

श्री अध्यक्ष-

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

अब मैं कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों को ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 जुलाई, 2007 की बैठक में यह सिफारिश की है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उसके पारण सम्बन्धी मदें आज ही ले जी जायं --

जुलाई, 2007

---

17 मंगलवार (1) किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ।

(2) उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007

(3) उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2007 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(समाजवादी पार्टी के सदस्यगण शासन द्वारा अनुदानों के समेकित प्रस्ताव लाने के विरोध में नारे लगाते हुए सदन का त्याग कर चले गये)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2007 †

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मद संख्या-10(ग) को ले लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति यह प्रस्ताव करता हूं कि से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नोट :- † दिनांक 24-8-07 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

खण्ड-2 से खण्ड 3 तक अनुसूची खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2007

31 मार्च, 2008 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2007 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 41 सन् 2006) तथा [उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2007) प्रत्येक की अनुसूची के स्तम्भ-3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] 1105 15,67,76,000 रुपये (एक लाख दस हजार पांच सौ पन्द्रह करोड़ सड़सठ लाख छिहत्तर हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो। — उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2007-2008 के लिए 110515,67,76,000 रुपये का निकाला जाना

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं। — विनियोग

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/सेवायें और प्रयोजन			निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम-संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	491340	1000	492340
		पूंजी :	3500	--	3500

1	2		3		
02	आवास विभाग	राजस्व :	3451252	106800	3558052
		पूंजी :	1338301	155337	1493638
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	734468	400	734868
		पूंजी :	42500	--	42500
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	264844	1	264845
		पूंजी :	1	---	1
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	427100	--	427100
		पूंजी :	--	--	0
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	282168	--	282168
		पूंजी :	--	--	0
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	3351400	--	3351400
		पूंजी :	1187005	--	1187005
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	राजस्व :	745743	--	745743
		पूंजी :	94845	--	94845
09	उर्जा विभाग	राजस्व :	25336987	172994	25509981
		पूंजी :	62808252	--	62808252
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	1569246	5275	1574521
		पूंजी :	28500	--	28500
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	14704906	1210	14706116
		पूंजी :	1759420	--	1759420
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	1313148	--	1313148
		पूंजी :	--	--	0
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम विकास)	राजस्व :	14057223	1000	14058223
		पूंजी :	7294840	--	7294840
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	13431474	--	13431474
		पूंजी :	4550930	--	4550930
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	2607147	1379	2608526
		पूंजी :	1001240	--	1001240

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3	
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध शाला विकास)	राजस्व :	1149272	20	1149292
		पूंजी :	20000	--	20000
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	551843	--	551843
		पंजी :	--	--	0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	1312845	61379	1374224
		पूंजी :	438526	111095	549621
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	40446	--	40446
		पूंजी :	--	--	0
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	26667	152153	178820
		पूंजी :	--	3253	3253
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	1470953	1780085	3251038
		पूंजी :	68284147	15000050	83284197
22	खेल विभाग	राजस्व :	204819	100	204919
		पूंजी :	499964	--	499964
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	768446	150	768596
		पूंजी :	160000	--	160000
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	2660631	--	2660631
		पूंजी :	915002	--	915002
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	1584885	800	1585685
		पूंजी :	429291	--	429291
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	33405908	6610	33412518
		पूंजी :	1675545	334	1675879
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	1557784	--	1557784
		पूंजी :	66700	--	66700
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	825952	--	825952
		पूंजी :	--	--	0
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	--	44678	44678
		पूंजी :	--	--	0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	20135	--	20135
		पूंजी :	--	--	0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	8563310	--	8563310
		पूंजी :	1377230	--	1377230
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	14551899	1000	14552899
		पूंजी :	6942359	--	6942359
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	2324769	--	2324769
		पूंजी :	146084	--	146084
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	1173246	25	1173271
		पूंजी :	127812	--	127812
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	5321688	1500	5323188
		पूंजी :	750000	--	750000
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	2323911	700	2324611
		पूंजी :	--	--	0
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	22010559	--	22010559
		पूंजी :	2572250	--	2572250
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	187370	--	187370
		पूंजी :	612679	--	612679
39	भाषा विभाग	राजस्व :	59563	--	59563
		पूंजी :	--	--	0
40	नियोजन विभाग	राजस्व	997569	--	997569
		पूंजी	2056670	--	2056670
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	560406	--	560406
		पूंजी	--	--	0
42	न्याय विभाग	राजस्व	4808563	815298	5623861
		पूंजी	552446	--	552446

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3	
43	परिवहन विभाग	राजस्व	447831	--	447831
		पूंजी	48001	--	48001
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	104942	--	104942
		पूंजी	688071	--	688071
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व	932641	--	932641
		पूंजी	820000	--	820000
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	40809	--	40809
		पूंजी	--	--	0
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	1648758	102	1648860
		पूंजी	181196	--	181196
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	2712161	205	2712366
		पूंजी	105421	--	105421
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	18891512	1000	18892512
		पूंजी	250901	--	250901
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	2492448	1604	2494052
		पूंजी	1319312	--	1319312
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व	3340301	3134500	6474801
		पूंजी	--	--	0
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	8412843	8677	8421520
		पूंजी	208751	1051	209803
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	15511	--	15511
		पूंजी	100	--	100
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	6672202	400	6672602
		पूंजी		--	0
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व	270600	22540	293140
		पूंजी	455503	106496	561999
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	राजस्व	250000	--	250000
		पूंजी	2300000	--	2300000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3	
57	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	100000	--	100000
	(संचार साधन-सेतु)	पूंजी	2657000	--	2657000
58	लोक निर्माण विभाग	राजस्व :	12826974	500	12827474
	(संचार साधन-सड़के)	पूंजी :	25502927	55000	25557927
59	लोक निर्माण विभाग	राजस्व :	682022	--	682022
	(राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	पूंजी :	979587	--	979587
60	वन विभाग	राजस्व :	2267045	1370	2268415
		पूंजी :	1917813	--	1917813
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा	राजस्व :	37351077	139489876	176840953
	तथा अन्य व्यय)	पूंजी :	2830050	140657155	143487205
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते	राजस्व :	38830126	12269	38842395
	तथा पेंशनें)	पूंजी :	500000	--	500000
63	वित्त विभाग (कोषागार	राजस्व :	946958	400	947358
	तथा लेखा प्रशासन)	पूंजी :	128232		128232
64	वित्त विभाग (राज्य	राजस्व :	7713	--	7713
	लाटरी)	पूंजी :	--	--	0
65	वित्त विभाग (लेखा	राजस्व :	829156	--	829156
	परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	पूंजी :	930	--	930
66	वित्त विभाग (सामूहिक	राजस्व :	13518	1155480	1168998
	बीमा)	पूंजी :	406	--	406
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	187994	4445	192439
		पूंजी :	3000	--	3000
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	575827	6201	582028
		पूंजी :	7637	--	7637
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	राजस्व :	477818	--	477818
	विभाग	पूंजी :	--	--	0
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक	राजस्व :	88534446	--	88534446
	शिक्षा)	पूंजी :	7000	--	7000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3	
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	28152898	270	28153168
		पूंजी :	214793	--	214793
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	7866902	1	7866903
		पूंजी :	375000	--	375000
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्राशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	667643	--	667643
		पूंजी :	107050	--	107050
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	1005750	--	1005750
		पूंजी :	5	--	5
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	1643281	--	1643281
		पूंजी :	235867	--	235867
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	2230110	--	2230110
		पूंजी :	--	--	0
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	10789101	--	10789101
		पूंजी :	111439	--	111439
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	18471312	--	18471312
		पूंजी :	--	--	0
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	290085	10	290095
		पूंजी :	93728	--	93728
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	169592	11902	181494
		पूंजी :	25000	--	25000
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	24783336	--	24783336
		पूंजी :	25075586	--	25075586
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	5694	--	5694
		पूंजी :	--	--	0
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	24153	--	24153
		पूंजी :	--	--	0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3	
86	सूचना विभाग	राजस्व :	519048	--	519048
		पूंजी :	23000	--	23000
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	266247	10	266257
		पूंजी :	4400	--	4400
88	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	27611	--	27611
	(निदेशालय)	पूंजी :	--	--	0
89	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	2365243	194706	2559949
	(व्यापारकर)	पूंजी :	137344	--	137344
90	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	578512	--	578512
	(मनोरंजन तथा बाजीकर)	पूंजी :	--	--	0
91	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	817420	4	817424
	(स्टाम्प एवं पंजीकरण)	पूंजी :	10000	--	10000
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	218717	5	218722
		पूंजी :	681901	--	681901
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	9551528	5000	9556528
		पूंजी :	1645993	--	1645993
96	सिंचाई विभाग (निर्माण	राजस्व :	12204864	--	12204864
	कार्य)	पूंजी :	20687822	40000	20727822
	योग	राजस्व :	543744165	147206034	690950199
		पूंजी :	258076806	156129771	414206577
	महायोग		**801820971**	**303335805**	**1105156776**

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (संरक्षण और अनुरक्षण) विधेयक, 2007†

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (संरक्षण और अनुरक्षण) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (संरक्षण और अनुरक्षण) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (संरक्षण और अनुरक्षण) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

प्रक्रिया नियमावली के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए उ0 प्र0 डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (संरक्षण और अनुरक्षण) विधेयक, 2007 के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही लिये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (संरक्षण और अनुरक्षण) विधेयक, 2007 के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही ले ली जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

---

† दिनांक 24-7-2007 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ, विधान परिषद् द्वारा जोड़ा गया अंश अधोरेखांकित है।)

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह 2 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2002 का सामान्य संशोधन

2-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, शब्द "किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय" जहां-जहां आये हों, जिसके अन्तर्गत शीर्षक और दीर्घ शीर्षक भी है, के स्थान पर शब्द "छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

3-(1) किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के प्रावधान सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिह जी हैं नहीं, प्रवर समिति का प्रस्ताव था। मान्यवर, इस मद में संशोधन प्रस्तुत करने वाले हैं नहीं, इसलिए मद संख्या-10(ञ) को ले लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वह नहीं है।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा विभाग, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसमें संशोधन दिया था डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने, वह नहीं हैं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 2 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2-उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 23 में,- — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2003 की धारा 23 का संशोधन

(क) उपधारा (2) में शब्द "कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार की पूर्व अनुमति/अनुमोदन से" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (8) और (9) में शब्द "कुलाधिपति" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार"' रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद	3-(1) उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।	उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1 सन् 2007
	(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।	

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (संरक्षण और अनुरक्षण) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (संरक्षण और अनुरक्षण) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (संरक्षण और अनुरक्षण) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-15 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (संरक्षण और अनुरक्षण) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश जिसमें डा0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक, डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक

परिवर्तन संग्रहालय, समतामूलक समाज व्यवस्था स्थल और इनसे सम्बन्धित अन्य संरचनायें सम्मिलित हैं, के संरक्षण और अनुरक्षण की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (संरक्षण और अनुरक्षण) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, जिसमें डा0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक, डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, समतामूलक समाज व्यवस्था स्थल और इनसे सम्बन्धित अन्य संरचनायें सम्मिलित हैं, पर होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषायें

2-इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन गठित परामर्शदात्री परिषद से है;

(ख) "अनुरक्षण" में वैयाकरणिक विभेद और समान अभिव्यंजना के साथ स्थल की चहारदीवारी बनाना, आच्छादन करना, मरम्मत करना, पुनरुद्धार करना और स्वच्छता रखना और स्थल को संरक्षित करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक कोई भी अन्य कार्य करना सम्मिलित हैं;

(ग) "संरक्षण" का तात्पर्य स्थल और कलाकृतियों को भावी पतन, विरूपता, उपेक्षा या हानि से रक्षा करने से हैं;

(घ) "स्थल" का तात्पर्य डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल से है, जिसमें डा0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक, डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, समतामूलक समाज व्यवस्था स्थल और इनसे सम्बन्धित अन्य संरचनायें सम्मिलित हैं।

स्थल के उद्देश्य

3-"स्थल" के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

(क) समाज के शोषित, दलित, निर्बल वर्ग, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के जनमानस में शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक जागरूकता पैदा करने और समतामूलक-आधारित समाज व्यवस्था के प्रतीक के रूप में सहायक होना;

(ख) भारत में गैरबराबरी-आधारित समाज व्यवस्था में आवश्यक सामाजिक परिवर्तन करके समतामूलक-समाज व्यवस्था स्थापित करने के लिये अपना जीवन समर्पण करने वाले महानायकों-महात्मा गौतम बुद्ध, संत कबीरदास, संत रविदास, गुरू घासीदास, महात्मा बिरसा मुण्डा, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, पैरियार रामास्वामी, नारायण गुरू, डा0 भीमराव अम्बेडकर, मा0 कांशीराम जी इत्यादि के कार्यों, उनके उपयोग की सामग्री, उनकी चेतना, क्रियाकलाप व जीवन संघर्ष से सम्बन्धित सामग्री, शोध पत्र इत्यादि का संकलन एवं संग्रह करना;

(ग) सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं असमानताओं के निवारण पर उपयोगी संवाद के लिये मंच के रूप में कार्य करना और समतामूलक-आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को उन्नत करना।

परामर्शदात्री परिषद्

4-(1) "स्थल" के अनुरक्षण और उसके प्रशासन के विषय में धारा 5 के अधीन गठित कार्यकारिणी समिति को परामर्श देने के लिये एक परामर्शदात्री परिषद् होगी, जिसका गठन निम्नवत् होगा :-

(एक) उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, पदेन	अध्यक्ष
(दो) मंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 सरकार, पदेन	उपाध्यक्ष
(तीन) मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, पदेन	सदस्य सचिव
(चार) प्रमुख सचिव, न्याय, उ0प्र0 शासन, पदेन	सदस्य
(पांच) प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन-पदेन,	सदस्य
(छः) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन,पदेन	सदस्य
(सात) प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, पदेन	सदस्य
(आठ) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, पदेन	सदस्य
(नौ) प्रमुख सचिव, पर्यटन विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, पदेन	सदस्य
(दस) प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, पदेन	सदस्य

(2) कोई नाम-निर्दिष्ट सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिये, इस रूप में अपना पद धारण करेगा जब तक कि उसकी पदावधि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही प्रतिसंहृत न कर दी जाय।

र्यकारिणी समिति

5-(1) राज्य सरकार 'कार्यकारिणी समिति' के नाम से एक समिति नियुक्त करेगी जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन उपबन्धित शक्ति का प्रयोग और कृत्यों का निष्पादन करेगी।

(2) कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(एक) मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, पदेन	अध्यक्ष
(दो) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन, पदेन	सदस्य
(तीन) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, पदेन	सदस्य

(चार) निदेशक, स्थानीय निकाय, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, पदेन — सदस्य

(पांच) प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम, पदेन — सदस्य

(छः) प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, पदेन — सदस्य

(सात) महानिदेशक, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 या उनका नाम निदेशिती, पदेन — सदस्य

(आठ) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, पदेन — सदस्य

(नौ) उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, पदेन — सदस्य

(दस) नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम, पदेन — सदस्य

(ग्यारह) निदेशक, फलोद्यान, उ0प्र0, पदेन — सदस्य

(बारह) निदेशक, संस्कृति विभाग, उ0प्र0, पदेन — सदस्य

(तेरह) प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग, उ0प्र0, पदेन — सदस्य

(चौदह) प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, पदेन — सदस्य सचिव

कार्यकारिणी समिति के कृत्य

6-(1) कार्यकारिणी समिति-

(क) निर्वहनीय आधार पर स्थल का संरक्षण और अनुरक्षण करेगी।

(ख) बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर और सामाजिक परिवर्तन से सहबद्ध अन्य संतों महापुरुषों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के महान कार्यों से सम्बन्धित संग्रहालय और कला वीथिका का विकास और अनुरक्षण करेगी।

(2) कार्यकारिणी समिति के अन्य कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किये जायें।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

7-राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किसी शक्ति का प्रयोग इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित द्वारा किया जायेगा-

(क) राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी प्रभारी अधिकारी; या

(ख) राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे प्राधिकारी जिसे नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाये।

स्थल की निधि

8-(1) अनुरक्षण निधि-

स्थल की एक अनुरक्षण निधि होगी। राज्य सरकार, विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात् अनुदान के रूप में 'अनुरक्षण निधि' में ऐसी धनराशि प्रदान करेगी जैसी राज्य सरकार उचित समझे।

ऐसी धनराशि अनुरक्षण निधि होगी और उसे किसी अनुसूचित बैंक में जमा किया जायेगा। 'अनुरक्षण निधि' का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा और उससे प्रोद्भूत ब्याज मात्र का ही उपयोग स्थल के अनुरक्षण और रख-रखाव के लिए किया जायेगा।

(2) विकास निधि-

स्थल एक 'विकास निधि' की स्थापना करेगी जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी :-

(क) भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किये गये अनुदान;

(ख) स्थल द्वारा प्राप्त किये गये स्वैच्छिक अंशदान;

(ग) स्थल द्वारा किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किये गये समस्त दान, उपहार और अन्य धनराशि :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन प्राप्त किसी अंशदान का उपयोग उस प्रयोजन, जिसके लिए धनराशि का अंशदान किया गया था, से भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(3) स्थल द्वारा प्राप्त और व्यय की गयी धनराशि और स्थल के उधार और दायित्वों का लेखा समुचित रूप से रखा जायेगा। स्थल के लेखा की परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा की जायेगी जिसे विहित किया जाय।

कतिपय भवनों के निर्माण पर प्रतिबन्ध

9-ऐसे किसी भवन का निर्माण स्थल की सीमा से 50 मीटर की दूरी के भीतर नहीं किया जायेगा जिसकी ऊँचाई डा0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक के गुम्बद की ऊँचाई के आधी से अधिक हो।

शास्ति

10-(क) जो भी व्यक्ति स्थल को नष्ट करे, उसे हटाये, क्षतिग्रस्त करे, परिवर्तित करे, विरूपित करे, जोखिम में डाले, प्रदूषित करे या दुरुपयोग करे; या

(ख) स्थल से किसी शिल्प, नक्काशी, मूर्ति, उच्चित्र, शिलालेख, पाण्डुलिपि या समनुरूप चीजों को हटाये; या

(ग) धारा 9 के उल्लंघन में कोई कार्य करे, वह कारावास जो छः मास तक हो सकता है, या ऐसे अर्थदण्ड जो दस हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

अनधिकृत व्यक्तियों को हटाया जाना

11-यदि कोई प्रवेश करने वाला इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उल्लंघन में स्थल में ही रह जाता है, तो उसे स्मारक से हटाया जा सकेगा और इस प्रयोजन के लिए यदि अपेक्षित हो, स्थल के कार्यालय प्रभारी द्वारा पुलिस बल को बुलाया जा सकेगा।

12-(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित उपबन्ध हो सकते हैं :-

(क) स्थल की संरक्षा, अनुरक्षण और प्रबन्ध;

(ख) स्थल के कार्यालय प्रभारी और उसके अधीनस्थ सहायक कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति की रीति और कर्तव्य एवं शक्तियाँ;

(ग) स्थल के परिसर में व्यक्तियों के प्रवेश का विनियमन;

(घ) स्थल में जनता के पहुँच का अधिकार और तद्निमित्त प्रभारित किया जाने वाला शुल्क, यदि कोई हो;

(ङ) विकास निधि और अनुरक्षण प्रोद्भूत धनराशि के उपयोग का विनियमन;

(च) परामर्शदात्री समिति की बैठकों का समय और स्थान, परामर्शदात्री समिति की बैठकों के कारोबार के संचालन की रीति और बैठक की गणपूर्ति;

(छ) कार्यकारिणी समिति की अन्य शक्तियाँ एवं कृत्य;

(ज) ऐसे अन्य मामले, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असम्बद्ध न हों तथा जो विहित किये जाने हेतु आवश्यक समझे जायें।

13-परामर्शदात्री समिति के पूर्व अनुमोदन के सिवाय स्थल का प्रयोग ऐसे प्रयोजन जिसके लिए उसका निर्माण किया गया था, से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। स्थल के प्रयोग का निषेध

14-(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्धों का अध्यारोही प्रभाव होगा। इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

(2) उपधारा (1) में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय यह अधिनियम तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त और उसके अल्पीकरण में नहीं होगा।

15-(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनार्थ निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध, यथाविहित अवधि के दौरान उपान्तरण, परिवर्तन या लोप, जैसा कि आवश्यक या समीचीन हो, द्वारा ऐसे अंगीकरण के अध्यधीन प्रभावी होंगे परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं किया जाएगा। कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किये गये किसी आदेश पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जाएगी कि उस उपधारा में यथानिर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसके निराकरण की आवश्यकता नहीं थी।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-15 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (संरक्षण और अनुरक्षण) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (संरक्षण और अनुरक्षण) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 †

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007, जो इस सदन द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2007 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिसके पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 10 जुलाई, 2007 की बैठक में अस्वीकार हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007, जो इस सदन द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2007 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिसके पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 10 जुलाई, 2007 की बैठक में अस्वीकार हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नोट :- † विधेयक के लिये देखिये 5 जुलाई, 2007 की कार्यवाही।

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 †

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007, जो इस सदन द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2007 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिसके पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 10 जुलाई, 2007 की बैठक में अस्वीकार हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007, जो इस सदन द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2007 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिसके पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 10 जुलाई, 2007 की बैठक में अस्वीकार हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (ठाकुर जयवीर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007, जो इस सदन द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2007 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिसके पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 10 जुलाई, 2007 की बैठक में अस्वीकार हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007, जो इस सदन द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2007 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिसके पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 10 जुलाई, 2007 की बैठक में अस्वीकार हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007

कृषि विपणन मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

नोट :- † विधेयक के लिये देखिये 5 जुलाई, 2007 की कार्यवाही।

श्री अध्यक्ष-

श्री उदयभान करवरिया तथा डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल उपस्थित नहीं हैं, मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 26-ख का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की जिसे आगे मूल अधिनियम में कहा गया है, धारा 26-ख में (1) उपधारा (1) में-

(क) शब्द "राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग उत्तर प्रदेश सरकार पदेन अध्यक्ष के रूप में और तीन उपाध्यक्ष जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त गैर-सरकारी सदस्य होंगे" एवं रख दिये जाएंगे।

(ख) खण्ड (क) में शब्द "यदि वह अध्यक्ष न हो" के स्थान पर शब्द "या सचिव की श्रेणी से अन्यून उसका नाम निदेशिती" रख दिए जायेंगे।

(ग) खण्ड (ख) में शब्द "सचिव" के स्थान पर शब्द "प्रमुख सचिव/सचिव" रख दिए जायेंगे।

(घ) खण्ड (ग) में शब्द "सचिव" के स्थान पर शब्द "प्रमुख सचिव/सचिव" रख दिए जायेंगे।

(ङ) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्-

"(घ) कृषि विभाग में राज्य सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव।"

(2) उपधारा (2) में शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष" रख दिये जायेंगे।

3-मूल अधिनियम की धारा 26-ग, 26-घ और 26-ङ में शब्द "अध्यक्ष" जहां-जहां आए हों, के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष" रख दिए जायेंगे। धारा 26-ग, 26-घ और 26-ङ का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 26-ञ में शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष" रख दिए जायेंगे। धारा 26-ञ का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 26-त में उपधारा (2) में, खण्ड (2) में शब्द "सदस्यों" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष" और सदस्यों रख दिए जायेंगे। धारा 26-त का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 26-थ में शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष" रख दिए जायेंगे। धारा 26-थ का संशोधन

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2007

* वन, जन्तु उद्यान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री फतेह बहादुर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

श्री उदयभान करवरिया तथा डा0 राम मोहन दास अग्रवाल उपस्थित नहीं हैं, इसलिये मैं सीधे प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

* अनुवाद ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठानवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

त्तर प्रदेश धिनियम संख्या सन् 1975 की 4 का शोधन

2-उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 की धारा 4 में उपधारा (1) में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(ख) तीन से अनधिक अशासकीय सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा एसे व्यक्तियों में से जिन्हें उसकी राय में वनों के परिरक्षण तथा विकास से सम्बन्धित विषयों का अनुभव हो, नियुक्त किये जायेंगे। राज्य सरकार ऐसे एक या एक से अधिक अशासकीय सदस्यों को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकती है।"

अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने यं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

फतेह बहादुर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) धेयक, 2007 पारित किया जाय।

अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

अध्यक्ष-

आज दिनांक 17 जुलाई, 2007 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 33 सूचनाएं प्राप्त हुईं, ाकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है। पहली सूचना श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह की नपद कुशीनगर के कप्तानगंज हाटा मार्ग पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर केवल खुदाई कर छोड़ ये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री प्रमोद ारी की जनपद प्रतापगढ़ के थाना संग्रामगढ़ अन्तर्गत सहकारी बैंक शाखा, संग्रामगढ़ के कस्बे दूर निर्जन क्षेत्र में संचालित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

तीसरी सूचना श्री राम किशुन की जनपद चन्दौली में गंगा नदी के कटान को रोकने के लिये तत्काल कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जनपद बांदा की तहसील बांदा के ग्राम दुरेड़ी में सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कथित रूप से अवैध कब्जेदारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवी सूचना श्री विनोद चतुर्वेदी की जनपद हमीरपुर व बांदा में बेतवा नदी के घाटों पर मशीनों द्वारा बालू मौरंग खनन कर सरकारी नीतियों की अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठी सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल तथा श्री संजय कपूर की उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा पी0सी0एस0 संवर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के शीघ्र समायोजन के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री राम बिशुन आजाद की प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रही कछुओं की तस्करी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना डा0 अजय तोमर तथा डा0 अनिल चौधरी की जनपद हरदोई के ग्राम समुखा में समुचित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर राजकीय ट्यूबवेल समुखा के समुचित संचालन के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की सीतापुर शहर निवासी श्री सत्य प्रकाश सक्सेना को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री मिथिलेश कुमार की जनपद शाहजहांपुर के पुवायां कस्बे के राजा मार्केट में लगे ट्रांसफार्मर के स्थान पर 400 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

श्री अध्यक्ष-

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, 2-श्री सुन्दर सिंह, 3-श्री हुकुम सिंह, 4-श्री आलोक कुमार शाक्य, 5-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, 6-श्री जगन प्रसाद गर्ग, 7-श्री इमरान मसूद, 8-डा0 कौशल किशोर, 9-श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, 10-श्री मदन चौहान, 11-श्री संजय कपूर, 12-श्री महेश चन्द्र गुप्ता, 13-श्री सुरेश कुमार खन्ना, 14-डॉ0 धर्मपाल सिंह, 15-श्री राधेलाल, 16-श्रीमती कृष्णाराज, 17-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, 18-श्री लल्लू सिंह, 19-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, 20-श्री जोखू लाल यादव, 21-डा0 आर0ए0 उस्मानी, 22-श्री बिरजू राम, 23-श्री उदयभान करवरिया।

जनपद बलिया के सहतवार नगर पंचायत के समीप गौरा में करोड़ों रुपये की लागत से वर्षों पूर्व निर्मित महिला अस्पताल में स्टाफ की नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शिवशंकर चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य, विधान सभा श्री शिव शंकर चौहान द्वारा दिनांक 05-07-2007 .....

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

[के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजकीय महिला चिकित्सालय सहतवार, जनपद बलिया की स्थापना शासनादेश संख्या-920/पांच-7-102/93 दिनांक 23-03-1984 द्वारा की गई। शासनादेश संख्या-5011/ पांच-7-10/83, दिनांक 09 जनवरी, 1983 द्वारा प्रश्नगत चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु रु0 9.27 लाख की धनराशि स्वीकृत करते हुए लोक निर्माण विभाग को निर्माण इकाई नामित किया गया। कालान्तर में प्रश्नगत कार्य की पुनरीक्षित लागत रु0 21.79 लाख स्वीकृत की गयी। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत चिकित्सालय का भवन निर्माण 29 नवम्बर, 1984 को पूर्ण कराकर विभाग को हस्तगत किया गया। चिकित्सालय के संचालन हेतु स्वीकृत किये गये पदों के सापेक्ष वर्तमान में निम्नवत् तैनाती है :-

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत
1	चिकित्सा अधिकारी (महिला)	01	01
2	फार्मासिस्ट	02	रिक्त
3	वार्ड आया	01	01
4	स्वीपर कम चौकीदार	01	01

इस प्रकार चिकित्सालय में स्वीकृत पदों के सापेक्ष सम्प्रति 01 महिला चिकित्साधिकारी, 01 वार्ड आया तथा 01 स्वीपर/चौकीदार कार्यरत हैं जिनका वेतन आहरण भी किया जा रहा है। शासन की नीति के अनुसार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं, जो प्रक्रियाधीन है।]

आगरा जनपद में आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग की जर्जर स्थिति होने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण, गन्ना विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, प्रश्नगत सूचना के माध्यम से....

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आगरा-ग्वालियर मार्ग संख्या-3 के कि0मी0 3 से 8 तक का भाग आगरा शहर में पड़ता है। जिस पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का स्वामित्व है। वर्तमान में मार्ग का यह भाग जर्जर हालत में है, जिससे यातायात के आवागमन में असुविधा हो रही है। एन0एच0ए0आई0 द्वारा वर्ष 2006-07 में मार्ग की मरम्मत हेतु रु0 3.00 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी, जिससे कि0मी0 3, 4 व 5 में गड्ढा मुक्ति का कार्य करा दिया गया था। कि0मी0 6, 7 व 8 की जर्जर हालत के सुधार हेतु रु0 269.45 लाख का आगणन मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा दिनांक 29-01-07 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को स्वीकृति हेतु भेजा गया था, किन्तु एन0एच0ए0आई0 द्वारा कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः मार्ग के कि0मी0 3 से 8 तक के भाग के अप्रैल, 2007 में पुनः एन0एच0ए0आई0 को वापस कर दिया गया।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने पत्र दिनांक 06-07-07 द्वारा मार्ग के इस भाग को तत्काल मरम्मत हेतु रु0 38.82 लाख व सतह सुधार हेतु रु0 21.72 लाख की धनराशि देने का आश्वासन दिया है तथा यह अपेक्षा की कि उक्त मार्ग के सुधार हेतु निविदा आमंत्रित कर ली जाय। एन0एच0ए0आई0 द्वारा दिये गये आश्वासन के क्रम में निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है। एन0एच0ए0आई0 द्वारा आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने के पश्चात् ही मार्ग की मरम्मत व सतह सुधार की कार्यवाही सम्भव हो पायेगी।]

जनपद उन्नाव के ग्राम पनसरिया में बन रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य रोकने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुन्दर लाल लोधी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य, विधान सभा श्री सुन्दर लाल लोधी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत .....

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा-

[यह सूचना दी गई है कि जनपद उन्नाव के ग्राम पंसरिया में वर्ष 2006 व 2007 में प्रा0स्वा0 केन्द्र बनवाने हेतु शासन से धन उपलब्ध हुआ। मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव ने दिनांक 27-4-2006 को ग्राम प्रधान पंसरिया से डेढ़ एकड़ भूमि का प्रस्ताव भवन हेतु उपलब्ध कराने को कहा। प्रधान ने भूमि संख्या-3154 ग्राम पंसारी जिसका रकबा चार बीघा उपलब्ध करायी जिस पर मुख्य चिकित्साधिकारी ने निर्माण प्रारम्भ कराया।

ग्राम में ही पूर्व में ही चिकित्सालय हेतु भूमि संख्या-1128 रकबा 9 बिस्वा कागज में अस्पताल के नाम दर्ज है परन्तु तत्कालीन एम0एल0सी0 मा0 अजीत सिंह ने उक्त भूमि की बाउण्ड्री वाल व गेट लगभग तीन लाख रुपये लगाकर स्टेडियम बनाकर खेल मैदान बनाया था जो अब भी रिक्त नहीं है। निजी स्वार्थ से ग्राम के निवासी अवधेश कुमार ने इसी आरक्षित नौ बिस्वा भूमि का बहाना लेकर मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में रिट संख्या-38/एम0बी0/07 दायर किया जिसमें जिलाधिकारी को पार्टी बनाया गया और मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव से कोई सम्पर्क न रहा। जिलाधिकारी, उन्नाव की तरफ से सम्पूर्ण जानकारी देने हेतु सदर तहसील उन्नाव के नायब तहसीलदार, श्री मदन श्रीवास्तव उच्च न्यायालय भेजे गये। श्री मदन ने न्यायालय में सही तथ्य न देकर भूमि रकबा-1128 जिस पर स्टेडियम बना है उसको रिक्त बताया और यह भी तथ्य नहीं बताया कि चिकित्सालय हेतु कम से कम तीन बीघा भूमि की आवश्यकता होती है। इस तरह नायब तहसीलदार ने ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तावित भूमि संख्या-3154 रकबा तीन बीघा का कोई जिक्र नहीं किया। मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 12-01-07 में स्थगन आदेश देते हुए दो सप्ताह में प्रति उत्तर मांगा। प्रति उत्तर जिला प्रशासन द्वारा न भेजने से स्थिति स्पष्ट न हो सकी। ऐसी दशा में भूमि संख्या-1128 पर इसका रकबा केवल नये नौ बिस्वा है मानक से बहुत कम है पर निर्माण सम्भव नहीं है और भूमि संख्या-3154 जो ग्राम प्रधान ने प्रस्तावित किया है और उसी पर निर्माण हो रहा है परन्तु जिला प्रशासन के सही दिशा निर्देश न होने से मात्र स्टे का सहारा लेकर निर्माण रुका हुआ है। जन आक्रोश है और जनता की मांग है कि मानक के विपरीत भवन का निर्माण न हो ऐसी दशा में जिला प्रशासन ठोस कदम उठाये। मा0 सदस्य द्वारा लोक महत्व के प्रश्नगत विषय पर वक्तव्य की मांग की गई है।

इस सम्बन्ध में महानिदेशालय द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जनपद उन्नाव के प्रा0स्वा0केन्द्र पंसरिया के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2176/पांच-6-2006-एस0एन0डी0-19/06 दिनांक 25-04-2006 के द्वारा रु0 39.11 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को नामित किया गया। इस चिकित्सालय के निर्माण हेतु ग्राम प्रधान पंसरिया द्वारा ग्राम पंसारी परगना हड्डा तहसील व जिला उन्नाव की भूमि संख्या-3154 रकबा 0.481 हे0 उपलब्ध कराया गया। भूमि संख्या-3154 पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये इस स्थल पर कार्यदायी संस्था द्वारा बोरिंग एवं मुख्य भवन की नींव का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। आगे के कार्यों हेतु स्थल पर निर्माण सामग्री भी एकत्र कर लिया गया। वस्तुतः श्री अवधेश कुमार पुत्र श्री बेनी माधव ग्राम पंसारी परगना हड़हा, तहसील व जिला उन्नाव द्वारा

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा0 उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या-38 (एम0बी0)/07 के द्वारा भूमि संख्या-3154 पर प्रा0स्वा0 केन्द्र पंसरिया के निर्माण को न कराये जाने के सम्बन्ध में योजित की गई। प्रस्तुत याचिका में याची का यह भी कथन था कि ग्राम पंसारी, परगना हड़हा तहसील व जिला उन्नाव की भूमि संख्या-1128 रकबा 0.126 हे0 भूमि प्रा0 स्वा0 केन्द्र के निर्माण हेतु 15 वर्ष पूर्व आरक्षित की गई थी और इसी आरक्षित बिन्दु पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण का अनुरोध मा0 उच्च न्यायालय में किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 06-01-2007 द्वारा यह आदेश दिया गया कि मा0 उच्च न्यायालय को अग्रिम आदेशों तक भूमि संख्या-1128 के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्रा0स्वा0 केन्द्र का निर्माण न कराया जाय।

मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारी से कराये गये जांच में यह पाया गया कि ग्राम पंसारी, परगना हड़हा, जनपद उन्नाव की भूमि संख्या-1128 रकबा 0.126 हे0 अस्पताल के नाम से अंकित है जो मौके पर रिक्त है तथ उप जिलाधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि अंकित भूखण्ड पर चिकित्सालय बनाये जाने में कोई विवाद नहीं है। तदोपरान्त जिलाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 20-06-2007 द्वारा भूमि संख्या-1128 पर भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पंसरिया का निर्माण कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई जिसके अनुपालन में कार्यदायी संस्था को तत्काल कार्य प्रारम्भ कराने का आदेश दिया गया है और शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।]

जनपद सिद्धार्थनगर में लुबनी-दुद्धी मार्ग के 11वें किलोमीटर से 24वें किलोमीटर तक की जर्जर स्थिति तथा स्वीकृत धनराशि के बावजूद मरम्मत कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण, सिंचाई, गन्ना विकास एवं आवास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, विधान सभा को .....

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[दिनांक 11-07-07 को दी गई सूचना में अवगत कराया गया है कि जनपद सिद्धार्थनगर में लुम्बनी-दुद्धी मार्ग बौद्ध पर्यटन स्थल कपिलवस्तु तक पहुंचने का सबसे उत्तम मार्ग है। हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुगण हर समय आते जाते रहते हैं। इस मार्ग के कि0मी0 11वें से 24वें कि0मी0 तक की दूरी तक सड़क इतनी ऊबड़-खाबड़ है कि सवारियों का पैदल चलना

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दूभर है। रात के अंधेरे में रास्ता और भी दुरूह हो जाता है। रास्ते में कहीं ढंग से ठहरने का स्थान नहीं है, जहां बोद्धगण रुक कर विश्राम कर सकें। पुरानी सड़क को उखाड़ दिया गया है, जिस पर सवारियों का चलना दुष्कर हो गया है। इस मार्ग के लिये 02 साल पूर्व ही धनराशि स्वीकृत हो चुकी है, उस धनराशि का क्या हुआ, इसका जानकारी नहीं है। 12-13 कि0मी0 का रास्ता तय करने में जनता को लाले पड़ जाते हैं। इस मार्ग की समुचित तरीके से मरम्मत नहीं करवायी गयी जिसके कारण ही यह सड़क चलने योग्य नहीं रह गयी है। यदि सड़क की मरम्मत भली-भांति नहीं की गयी तो कपिलवस्तु वाया ककरहवा तक जाने के लिये कोई भी यात्री तैयार नहीं हो सकेगा। उपरोक्त समस्याओं के दृष्टिगत मा0 सदस्य द्वारा वक्तव्य की मांग की जा रही है।

2-मा0 सदस्य द्वारा प्रश्नगत मार्ग के सम्बन्ध में उठाये गये बिन्दुओं के संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद सिद्धार्थनगर में लुम्बनी-दुद्धी राज्य मार्ग सं0-5 के कि0मी0 11 से 76 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य की स्वीकृति राज्य सेक्टर अन्तर्गत शासनादेश संख्या-4799ई/23-11-04, दिनांक 05-01-2005 द्वारा वर्ष 2004-05 में रु0 3163.30 लाख की लागत पर प्रदान की गयी थी। कार्य के आगणन में मार्ग को 3.70 मीटर से बढ़ाकर 7.00 मीटर चौड़ा करने एवं आवश्यकतानुसार 2 या 3 कोट डब्लू0 बी0 एम0 द्वारा 7.00 मीटर चौड़ाई में सुदृढ़ीकरण तथा प्रथम सतह लेपन एवं बी0एम0 50 एम0एम0 व एस0डी0बी0सी0 25 एम0एम0 का कार्य हाटमिक्स प्लांट से कराये जाने की स्वीकृति प्राविधानित थी। कि0मी0 24 में केवल बी0एम0 50 एम0एम0 व एस0डी0 बी0 सी0 25 एम0एम0 का प्राविधान था। इस मार्ग के कि0मी0 11 से 24 तक के भाग का विवरण निम्न प्रकार है :--

1-कि0मी0 11 में चौड़ीकरण का कार्य हुआ है।

2-कि0मी0 12 में प्रथम सतह डब्लू0बी0एम0 स्तर तक का कार्य।

3-कि0मी0 13 में प्रथम सतह लेपन का कार्य।

4-कि0मी0 14 से 19 डब्लू0बी0एम0 स्टेज चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण।

5-कि0मी0 20-600 मीटर डब्लू0बी0एम0 स्तर एवं 400 मीटर प्रथम सतह लेपन का कार्य।

6-कि0मी0 21-400 मीटर डब्लू0बी0एम0 स्तर एवं 600 मीटर प्रथम सतह लेपन का कार्य।

7-कि0मी0 22-23 में डब्लू0बी0एम0 स्टेज चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण।

8-कि0मी0 24 में बी0एम0एस0डी0बी0सी0 स्तर तक कार्य पूर्ण।

कि0मी0 11 से 13 में कार्य अधूरा छोड़ देने के कारण अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बस्ती वृत्त, बस्ती के पत्रांक-4675/147यात-16एस0ई0बस्ती, वृत्त, दिनांक 13-09-06 द्वारा अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया है और वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है। कि0मी0 14 से 23 में उपरोक्त वर्णित कार्य डब्लू0बी0एम0 स्तर तक अधूरा छोड़ देने के कारण मे0 वी0के0 इन्टरप्राइजेज, हरपुर, बलिया का अनुबन्ध अधीक्षण अभियन्ता, बस्ती वृत्त, लो0 नि0

वि0, बस्ती के पत्रांक-3591/147यात-15एस0ई0 बस्ती वृत्त, दिनांक 17-07-06, पत्रांक-3593/147यात-14एस0ई0बस्ती वृत्त, दिनांक 17-07-06 व पत्रांक-3594/147 या-14एस0ई0बस्ती वृत्त, दिनांक 17-07-06 द्वारा निरस्त कर दिया गया तथा फाइनल बिल ऋणात्मक समायोजित किया गया। ठेकेदार को जो अधिक भुगतान किया गया उसके सम्बन्ध में दिनांक 07-01-07 को तेतरी बाजार सिद्धार्थनगर कोतवाली में एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी जिसके अनुसार लगभग रु0 17.00 लाख की वसूली शेष रह गयी है। कि0मी0 24 में एस0डी0बी0सी0 तक कार्य पूर्ण हो चुका है।

कि0मी0 11 से 23 तक के कार्य के लिये दिनांक 31-05-07 के लिये निविदा आमंत्रित की गयी थी लेकिन कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। उपरोक्त कि0मी0 11 से 23 के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय ने रिट याचिका सं0-28197/2007, में दिनांक 25-06-07 को टेन्डर को अन्तिम रूप देने पर रोक लगा दिया है। रिट प्राप्त हो गयी है और प्रतिशपथ-पत्र दायर कराने की कार्यवाही की जा रही है। मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश प्राप्त होने के बाद कि0मी011 से 23 तक का कार्य कराया जा सकेगा। कि0मी0 11 से 23 में अधिकांश भाग में डब्लू0 बी0 एम स्तर पर कार्य ठेकेदार द्वारा छोड़ देने के कारण क्षतिग्रस्त है। स्थायी गैंग द्वारा यथासम्भव अनुरक्षण किया जा रहा है। जनपद सिद्धार्थनगर के प्रश्नगत भाग का कार्य प्रान्तीय खण्ड लो निर्माण विभाग, सिद्धार्थनगर के पास है। जिन्हें वर्षवार दी गयी धनराशि व उनके व्यय का विवर निम्नवत है :--

(धनराशि रु0 लाख में)

वित्तीय वर्ष	आवंटित धनराशि	व्यय की गयी धनराशि
2004-05	100.00	100.00
2005-06	661.85	661.85
2006-07	210.00	[illegible]
2007-08	315.00	24.50

उपरोक्तानुसार ठेकेदार द्वारा की गयी अनियमितता एवं विवाद के कारण तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के फलस्वरूप मार्ग का निर्माण/मरम्मत कराने मे असुविधा हो रही है, जिसके त्वरित समाधान की कार्यवाही की जा रही है।]

जनपद गोरखपुर के थाना व ग्राम केलाघाट के एक बच्चे के अपहरण की घटना की प्राथमिकी गुमशुदी में दर्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, प्रश्नगत नोटिस में दी गयी सूचना के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा.....

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[अवगत कराया गया कि वादी श्री साकिर अली पुत्र असगर अली निवासी व थाना बेलघाट, जनपद गोरखपुर के प्रार्थना-पत्र दिनांक 19-06-2007 पर नसीम जीलानी पुत्र साकिर अली की गुमशुदगी बहवाले रपट नम्बर-21 समय 12-15 दिनांक 19-06-2007 को थाना बेलघाट पर दर्ज कर जांच की जा रही है। प्रार्थना-पत्र के आधार पर दिनांक 18-06-2007 को वादी का लड़का नसीम जीलानी घर से नमकीन लेने हेतु बेलघाट कस्बे में दुकान पर गया जो वापस नहीं आया। दिनांक 21-06-2007 को डी0सी0आर0 के माध्यम से गस्ती आदेश जारी कर पता लगाने हेतु जनपद के सभी थानों व अन्य जनपदों को प्रेषित किया गया। दिनांक 22-06-2007 एवं 16-07-2007 को दैनिक जागरण समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया व पम्पलेट्स अलग से छपवा कर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराया गया, लाउडस्पीकर के माध्यम से घोषणा भी करायी गयी परन्तु बच्चे का कहीं पता नहीं चला। आकाशवाणी गोरखपुर केन्द्र से दिनांक 03 व 04 जुलाई, 2007 एवं 16 जुलाई, 2007 को गुमशुदा की तलाश हेतु प्रसारण कराया गया। इसके साथ ही चाइल्ड लाइन फोन नम्बर 0551-2203527 पर टीम मेम्बर (चाइल्ड लाइन) श्री विकास श्रीवास्तव को गुमशुदा बच्चे के हुलिया व पते की जानकारी उपलब्ध कराते हुए बच्चे के मिलने पर तत्काल सूचित करने हेतु अनुरोध किया गया। पतारसी सुरागसी के मध्य ग्राम घुसवा कनैला, थाना धनघटा, जनपद संतकबीरनगर, ग्राम गायघाट व ग्राम छितौना में पहुंच कर पूछताछ की गयी परन्तु बच्चे का कुछ पता नहीं चला। विवेचना के मध्य श्री अब्दुल काजी ग्राम छितौना, इश्तखार अहमद पुत्र जहूर, पीर मुहम्मद पुत्र मुसई, सन्तलाल अग्रहरि, खलील पुत्र खब्बू लाल, पारस जायसवाल पुत्र स्व0 केदार एवं केदारनाथ से गहन पूछताछ की गयी। जांच के मध्य ग्राम छपवा थाना नौतनवा, जनपद महराजगंज निवासी पंकज पुत्र सतीश मिश्र के बेसिक फोन नम्बर 05522-334163 जिससे वादी के मोबाइल नम्बर 9451476383 पर चैटिंग की गयी थी के बारे में थाना बेलघाट की पुलिस द्वारा छानबीन की गयी तो ज्ञात हुआ कि सतीश मिश्र के पुत्र पंकज द्वारा दैनिक जागरण समाचार-पत्र में छपे मोबाइल नम्बर 9451476383 पर बच्चों द्वारा शरारतन फोन करना पाया गया।

गुमशुदा नसीम जीलानी की बरामदगी हेतु हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। अब तक की विवेचना से अपहरण किये जाने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। विवेचना प्रचलित है।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा अनूप शहर शाखा नहर की पटरी पर सड़क निर्माण में अधोमानक के विरुद्ध कार्य की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में अनूपशहर.....

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ के अन्तर्गत अनूपशहर शाखा के कि0मी0 0.00 से किमी0 90.109 तक की लम्बाई में क्षतिग्रस्त सेवा मार्ग को पक्का करने के लिये रु0 1350.40 लाख की परियोजना स्वीकृत की गई। अधीक्षण अभियन्ता प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ द्वारा अनुबन्ध संख्या-3/एस0ई0प्रथम/2006-07, धनराशि रु0 12.72 करोड़ मेसर्स आकाश इंजीनियर्स, बी0-37, एकता नगर, बरेली के साथ गठित किया गया। इस अनुबन्ध में कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 03-02-07 और कार्य समाप्त करने की तिथि 02-08-07 हैं अनूपशहर शाखा की बांयी पटरी पर 0.00 से 90.109 कि0मी0 तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में पड़ने वाली अनूपशहर शाखा नहर की रीच कि0मी0 65.570 से कि0मी0 87.290 (कुल कि0मी0 21.720) का कार्य अभी प्रगति में है। कार्य अनुबन्ध की शर्तों एवं विशिष्टियों के अनुसार कराया जा रहा है। सड़क निर्माण हेतु प्रयुक्त की जा रही सामग्री मात्रा/गुणवत्ता अनुबन्ध में निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार ही कराना सुनिश्चित किया गया है। सड़क निर्माण में प्रयुक्त की जा रही सामग्री को तकनीकी विशिष्टियों के लिये विभागीय गुण नियंत्रण की प्रयोगशाला में नमूने भी भेजे गये हैं। अनुबन्ध में प्रस्तावित 3 मीटर चौड़ी पक्की सड़क के निर्माण कार्य को विशिष्टियों एवं गुणवत्ता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही कार्य को स्वीकार कर अन्तिम रूप दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2006-07 में इस कार्य पर रु0 10.00 करोड़ का धनावंटन प्राप्त हुआ था जिसका उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में किया गया। वित्तीय वर्ष 2007-08 में अभी कोई भुगतान नहीं किया गया।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मुख्य सेविका के पद पर नियमित किये जाने हेतु सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण होने के बावजूद आशायित आदेश निर्गत न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सनातन द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, उ0 प्र0 बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1992 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार.....

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[भर्ती वर्ष 2005 में कट आफ डेट दिनांक 01-07-2005 मानकर विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 19-05-2006 में आंगनबाड़ी कार्यकत्री से मुख्य सेविका के पद पर चयन की कार्यवाही की गयी थी। इस चयन के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिनांक 25 जनवरी, 2007 को विभागीय चयन समिति की बैठक में 43 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मूल अभिलेखों का परीक्षण निदेशालय स्तर पर करने के पश्चात् अभिलेख सही पाये जाने वाली कार्यकत्रियों की नियुक्ति मुख्य सेविका के पद पर किये जाने की संस्तुति की गयी थी। दिनांक 20 फरवरी, 2007 को उपर्युक्त कार्यकत्रियों को मूल अभिलेखों के साथ निदेशालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये और उक्त तिथि में उपस्थित कार्यकत्रियों के अभिलेखों का मिलान मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा किया गया। दिनांक 22 फरवरी, 2007 से विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2007 की आचार संहिता लागू होने के कारण सत्यापन सही पाये जाने वाली कार्यकत्रियों को मुख्य सेविका के पद पर नियुक्त किये जाने हेतु नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किये जा सके। सत्यापन उपरान्त तैयार सूची का परीक्षण कराया जा रहा है और परीक्षणोपरान्त अभिलेख सही पाये जाने वाली कार्यकत्रियों के नियुक्ति पत्र निर्गत करने की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।]

कारागार में निरुद्ध सदस्यों को सत्रावसान तक रोके जाने हेतु श्री प्रमोद तिवारी का मा0 अध्यक्ष से अनुरोध

*श्री प्रमोद तिवारी-

अध्यक्ष जी, एक तकनीकी फाल्ट हुआ है। कुछ सदस्य यहां पर सत्र चलने की अनुमति लेकर आये थे विभिन्न कारणों से जो सदन में नहीं उपस्थित हो सके अगर उन्हें अध्यक्ष जी

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परमिट कर दें कि सत्रावसान नहीं हुआ है, टेक्निकली सत्रावसन उस दिन होगा, जिस दिन राज्यपाल जी नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो वह 19 तक रह सकते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं, इस पर सरकार विचार कर ले और अध्यक्ष महोदय भी विचार कर लें।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, किस तरह की अनुमति की बात कर रहे हैं ?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जो लोग किन्हीं कारणों से कहीं निरुद्ध है वह सत्र चलने तक के लिये यहां थे और सत्र अगर आज समाप्त करेंगे तो सत्रावसान तो आज होगा नहीं, इसलिये मैं कह रहा हूं कि वह 19 तक रह सकते हैं, राष्ट्रपति जी के चुनाव में मतदान कर सकते हैं, इस पर आप विचार कर लें। मान्यवर, इसे देख लें, परीक्षण करके जो भी उचित आप समझें निर्देश दे दें।

सदन संचालन में सहयोग हेतु सभी सदस्यों आदि को श्री अध्यक्ष का धन्यवाद

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आपकी कुशल अध्यक्षता में 27 जून से इस सदन की कार्यवाही चल रही है, जिसमें कुल 15 उपवेशन हुए हैं और लगभग 70 घण्टे से अधिक कार्यवाही चली है और मान्यवर, पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि आज लम्बे अन्तराल के बाद सभी पक्ष, चाहे वह पक्ष के हों चाहे विपक्ष के, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी कुशल अध्यक्षता में सबको विश्वास है और सभी आपकी अध्यक्षता की तारीफ कर रहे हैं। मान्यवर, सदन की इस कार्यवाही संचालन में सभी दलों के सदस्यों ने काफी हद तक सहयोग करने का काम किया है , मैं इसके लिये सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। तमाम ऐसे भी क्षण आये जब कुछ उत्तेजना के भी क्षण थे, ऐसी स्थितियों में सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा जिस धैर्य का प्रदर्शन किया गया, उसके लिये भी मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। हम चाहते थे कि सदन की कार्यवाही के लिये जो समय निर्धारित किया गया था, उस समय तक चले लेकिन विगत दो-तीन दिनों से जो स्थिति बनी हुई थी, जिस तरह की उत्तेजनात्मक बातें कुछ लोगों द्वारा कही गईं कुछ लोगों द्वारा बैठे बिठाये ऐसे अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया उसके कारण कोई अप्रिय घटना घटित होने पाये, इस बात को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ राष्ट्रपति का चुनाव भी 19 तारीख को होना था, उसमें भी हमारे इस सदन के जो प्रमुख सचिव हैं काफी हद तक उनकी जिम्मेदारी थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लेना पड़ा कि सदन का जो 24 तक का कार्य है, उन सभी अनुदान की मदों को आज ले करके आज से ही अनिश्चितकाल के लिये हम उठें। इस दिशा में यह निर्णय लेना पड़ा। मान्यवर, मुझे इस बात की खुशी है कि आज इस सदन के विपक्ष के लगभग तीन चौथाई से ज्यादा सदस्य सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिये पूरी तरह से सचेत रहे। अगर कुछ चिन्हित लोगों द्वारा कभी-कभी ऐसा माहौल न पैदा किया जाता तो मैं समझता हूं कि इस बार एक रिकार्ड बनता एक मिनट के लिये सदन स्थगित न होने का। लेकिन मान्यवर, इस बात की खुशी है कि जो नये सदस्य चुनकर आये हैं उन्होंने जिस तरह से संसदीय प्रणाली में हिस्सेदारी निभाने का काम किया, उसके लिये हम उनका आभार व्यक्त करते हैं।

मान्यवर, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय नेता सदन का जिन्होंने इस प्रदेश की खुशहाली के लिये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बजट प्रस्तुत करने का काम किया, जिसमें उन्होंने आम जन के हितों को ध्यान में रखने का काम किया, समाज के हर वर्गों को जाति-विहीन समाज की स्थापना, समतामूलक समाज की स्थापना के लिये एक बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बजट को प्रस्तुत करने का काम किया है, इसके लिये मैं सदन के नेता के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इसके साथ-साथ मैं विभिन्न दल के नेतओं के साथ-साथ कांग्रेस के नेता और सभी सदस्यों का, लोकदल के नेता मा0 कौकब हमीद साहब का, इसके साथ ही जो दल हमारे बीच में इस मौके पर उपस्थित नहीं हैं भारतीय जनता पार्टी व समाजवादी पार्टी, उनके लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि तमाम अवरोधों के बाद भी लोकतांत्रिक प्रणाली को किसी प्रकार से नुकसान करने वाली स्थिति नहीं आने पायी। सभी लोगों ने अगर विरोध भी प्रदर्शित किया तो निश्चित रूप से सभी लोगों ने मिलकर जो सामाजिक और संसदीय मर्यादायें हैं उनका भी पालन करने का काम किया। लेकिन इस बात की समय-समय पर प्रदेश में चर्चा थी कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मिले हुए हैं। आज दोनों ने जो व्यवहार किया उससे भी स्पष्ट हो गया कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक गठजोड़ बना हुआ है।

लेकिन प्रदेश की जनता ने इस गठजोड़ को, इस प्रदेश से खदेड़ने का काम किया, जिसके कारण प्रदेश की जनता ने बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत प्रदर्शित करने का काम किया, इसके लिये प्रदेश की जनता का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं मान्यवर, इसके साथ-साथ सभी सम्मानित सदस्यों का जिन्होंने इस सदन की कार्यवाही में अपने बहुमूल्य सुझाव देकर के सरकार को भी एक अच्छे अपनी राय से अवसर देने का काम किया कि विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने में उनकी उस राय का सहयोग लिया जा सके, इसके लिये उन सभी सदस्यों का जिन्होंने सहयोग किया, जिन्होंने सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने का काम किया, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ-साथ सभी विधान सभा के कर्मचारियों का, सभी पत्रकार बन्धुओं का और विधान सभा की कार्यवाही का संचालन करने में जो समय-समय पर सहयोग देने में अधिकारीगण ने अपना समय देने का काम किया, उसके लिये मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा के कर्मचारियों को जो बजट के सत्र में लगातार मेहनत करनी पड़ी, ज्यादा समय दे करके सवेरे 5.00 बजे से लेकर रात को 12.00 बजे तक, 1.00 बजे तक उनको व्यक्तिगत समय देना पड़ा है एक बजे तक उन्होंने समय नहीं देखा। इस हिम्मत के कारण बहन मायावती जी ने, जो नेता सदन हैं उनको इस बजट सत्र के लिये 2500 रुपये मानदेय देने की घोषणा की है। मान्यवर, इसी के साथ-साथ मैं पुनः सभी माननीय सम्मानित नेताओं को, सभी सम्मानित सदस्यों को कर्मचारियों को और सबसे ज्यादा मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए, पत्रकार बन्धुओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने समय पर सदन की कार्यवाही को जनता के सामने ले जाने का काम किया उसके लिये उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट सत्र विधान सभा में सबसे लम्बा सत्र होता है, आज वह समापन की बेला में है। जिस रूप में यह हो रहा है इस रूप में अगर यह न होता तो ज्यादा अच्छा था। जिस तरह से यह हो रहा है मान्यवर, वह दुखद है। इसे टाला नहीं जा सकता था। हम यहां औपचारिकताओं और परम्पराओं का निर्वाह कर रहे हैं। वहीं आज अच्छा होता कि सभी दलों के नेतागण यहां मौजूद होते सभी दल यहां उपस्थित होते और तब हम यहां से विदा ले रहे होते। यह एक दिन का सत्र नहीं था बल्कि 27 जून से लगातार आज तक के सत्र पर नजर डालकर अपने विचार प्रकट करके जाते। इसलिये मैं और मेरा दल यहां उपस्थित है। उन महान परम्पराओं का हम पालन करें जो हमारे पूर्वजों ने सदन में छोड़ी थी मुझे इस बात की बहुत पीड़ा है कि राष्ट्रगान से बड़ा कुछ नहीं होता है। राष्ट्रगान के लिये प्राण अर्पित किये जा सकते हैं। आज कुछ हमारे साथी उस राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिये भी यहां नहीं हैं। इससे ज्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। काश हम अपने गिले और शिकवे को भूलकर यहां रहते अपनी बात कहते और राष्ट्रगान के साथ ही इस सदन से आज विदा होते तो अच्छा होता। इस परम्परा के टूटने पर मुझे बेइन्तहा तकलीफ है। हम सभी यहां पर जब निर्वाचित होकर आते हैं तो हमारे वैचारिक भिन्नताएं होती हैं हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़कर आते हैं चुनाव की कड़वाहट भरी यादें होती हैं। लोकतंत्र का यही तकाजा है जब निर्वाचित होकर आने के बाद हम यहां पर बैठते हैं तो हम तलाश करते हैं कि कौन हमारा सबसे करीब है, कौन हमारा करीबी हो सकता है या किसके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं तो एक पक्ष यहां ऐसा भी होता है वह सदन में नहीं बैठता है वह है प्रदेश की 18 करोड़ जनता उसकी भलाई के लिये हम सबको एक होना चाहिये। मुझे दुख है कि कुछ लोग उस फर्ज को भूल जाते हैं मैं समझता हूं वह 18 करोड़ लोगों के साथ न्याय नहीं करते हैं। आज सुबह मैंने औचित्य का प्रश्न लगाया था उस पर कृपापूर्वक आपने मुझे सुना था। कुछ बातें मेरे मन में थीं विगत 3-4 दिनों से जिस तरह से सीमाओं का उल्लंघन किया जा रहा था मुझे डर लग रहा था कि कहीं इसकी परिणिति इसी रूप में न हो मेरा डर सही साबित हुआ। मेरा कहना है कि सदन में विरोध करने का एक समय निश्चित कर लें 12 बजे तक, एक घण्टा, दो घण्टा उसके बाद जो कार्यवाही हो वह तो कम से कम होनी चाहिये। लेकिन हमने उस परम्परा का पालन नहीं किया इसका मुझे दुख है। जो हो गया वो टाला जा सकता था यदि थोड़ा सा संयम बरता गया होता थोड़ा सा इसे देखा गया होता लेकिन हम उतने संयमित नहीं रह पाए जितना हमको रहना चाहिये था। मान्यवर, और वह संयमित नहीं होना राजनीति में बहुत अच्छी बात नहीं है। आज हम एक सबक सीखकर भविष्य में ज्यादा संयम दिखाने की आवश्यकता है। मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं नेता सदन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सामान्यतया उन्हें आज यहां रहना चाहिये था। आज यह पहला दिन है जबकि यहां न नेता सदन हैं और न नेता विरोधी दल हैं। मान्यवर, एक परम्परा है उस परम्परा का निर्वहन करते हुए सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मान्यवर, यह आपका पहला सत्र है अध्यक्ष के रूप में। संसदीय

कार्य मंत्री के रूप में मैंने आपको काम करते हुए देखा था लेकिन जिस आत्मीयता के साथ, दिल के खुलेपन के साथ आपने हर मुमकिन कोशिश की सबको न्याय देने की इसके लिये मैं आपकी प्रशंसा करता हूं अभिवादन करता हूं। और आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि एक अर्से बाद एक लम्बे दौर के बाद हमें एक ऐसा अध्यक्ष मिला है जिसके साथ हम सहज महसूस करते हैं। कुर्सी और नीचे बैठे लोगों के बीच में यह दूरी खत्म हो जाय। यह आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज आप इजाजत दें तो जो थोड़ी बहुत छूट मिलती है उस छूट का लाभ उठाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आप संसदीय ज्ञान के जादूगर हैं और जादूगर मान्यवर, कुछ कलाएं ऐसी दिखा जाता है कि कभी-कभी समझ में नहीं आता। वह कलाएं आप दिखाते हैं और हम देखते हैं और उसके बाद ताली भी बजाते हैं यह भूल जाते हैं कि इसकी कीमत भी हम ही चुकाते हैं। मान्यवर, आपका जो संसदीय जादूगर का स्वरूप उभरा है। मान्यवर, यह कला आपने कहां से सीखी, यह भगवान जाने लेकिन इस कला में थोड़ी कमी आ जायेगी तो हम लोगों के लिये अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी आप एक संसदीय जादूगर हैं इसलिये मैं आपकी खुले मन से और पूरे सदन की ओर से (हंसी) मान्यवर, जादूगर, जादूगर को हंसा सकता है। मान्यवर, आप जादूगर हैं जादू दिखाते हैं और कुछ लोगों के समझ में यह जादू नहीं आता जिस तरह से इनके सिर के ऊपर से बाल चले गये वैसे ही यह बात भी चली गई। यह बात उनके समझ में नहीं आयेगी। लेकिन मान्यवर, बहुत सी बातें होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं बहुत से ऐसे बैट्समैन होते हैं जैसे राकेशधर त्रिपाठी जी, बल्ला लिये खड़े रह जाते हैं बाल आती है और स्टम्प लेकर उड़ जाती है बाद में पूछते हैं क्या हुआ ? आज आप वही कर रहे हैं। अरे जादूगर की बाजी है बात खत्म हुई । मान्यवर, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं कि आपने सबका दिल जीता इसके लिये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जब आप घर लौट कर जायं तो इसी तरह से घर में भी सबका दिल जीत लें इसलिये जीत लें कि इतने दिन यहां रह कर आप दूर रहे होंगे इसलिये भगवान करें कि आप जल्दी जाकर मिलें मेरी यही प्रभु से प्रार्थना है और जैसे यहां सफल रहे हैं उसी तरह से घर में भी सफल रहें। (हंसी) मान्यवर, आज माननीय नेता सदन यहां नहीं हैं।

मान्यवर, मैं नेता सदन को भी बधाई देना चहता हूं। मुझे पूरी आशा है कि संसदीय कार्य मंत्री मेरी बधाई और मेरे दल की तरफ से बधाई और मेरे दल की तरफ से बधाई माननीय नेता सदन को तीन बातों के लिये दे देंगे। एक तो उन्होंने विधायकों को विधान सभा क्षेत्र के कार्यों के लिये राशि को एक करोड़ से बढ़ाकर एक करोड़ 25 लाख किया दूसरी मान्यवर, मजबूरी गरीब को मिली हो लेकिन मिली तो यहां रहने वालों को। इसको बढ़ाकर 100 रुपये किया गया इसके लिये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और यह केन्द्र की मंशा थी। आपने केन्द्र की मंशा के अनुरूप किया है जिससे हमारी रोजगार गारन्टी योजना सफल हुई है इसके लिये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और केन्द्र की मंशा थी। तीसरा मान्यवर, जो बजट आया उसमें उन्होंने भरपूर प्रयास किया निराश्रित लोगों की पेंशन के लिये मैं बधाई देना चाहूंगा जहां तक वो उपस्थित नहीं है बस मान्यवर, मुझे कष्ट और पीड़ा बस एक ही बात की है कि अगर समय से पहले यह न हो

[illegible] बाकी रह गया है। वह होना चाहिये। जिस पर खास तौर से हैण्डपम्प और [illegible] किमी0 सड़क और हैण्डपम्प। अगर यह सामान्य वातावरण में हुआ होता तो शायद उसकी [illegible] यहां पर घोषणा हो गई होती तो सबसे ज्यादा नुकसान हमें लोगों का हुआ है। लेकिन कोई [illegible] नहीं कि इनकी घोषणा सदन में ही हो। मैं संसदीय कार्य मंत्री से और खास तौर से नसीमुद्दीन साहब से कहना चाहता हूं कि भगवान की दया से जैसी उनकी काया है वैसा ही उनका दिल भी है। (हंसी) मैं चाहूंगा कि जैसी काया और दिल है वैसा ही उसको साबित भी करें। मान्यवर, अपना बड़ा दिल करके कोई जरूरी नहीं कि यहां घोषणा करें अखबारों में भी आप घोषणा अगर आप कर देंगे तो हम अखबारों में भी पढ़ लेंगे। सदन 24 तारीख की जगह अगर पहले स्थगित हो रहा है और आप यहां सदन में 7 किमी0 की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं तो आप 7 किमी0 सड़क की घोषणा तुरन्त कर दें। इससे प्रदेश का भला होगा सिर्फ हमारा भला नहीं होगा और आप जो सर्वांगीण विकास की बात करते हैं अलग-अलग टुकड़ों में जब होगा तो सर्वांगीण कभी नहीं होगा। समग्र विकास कभी नहीं होगा। जब हर विधान सभा क्षेत्र का विकास होगा तब ही उत्तर प्रदेश का विकास संभव है। यह बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि सड़कों का विकास होना चाहये। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी से हमारी तरफ से अनुरोध कर लें कि हैण्डपम्प देर से देने से फायदा नहीं है क्योंकि अबके बिछड़े अब जाड़े में मिलेंगे या जाड़े के बाद मिलेंगे तो हैण्डपम्प की घोषणा भी हो जाये और एक पत्र लिखकर यदि सभी विधायकों को सूचना चली जायेगी तो उसको पढ़कर हर विधायक को प्रसन्नता भी होगी। एक बात के लिये मान्यवर मैं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं यह परम्परा है उस परम्परा को मैं अपनी ओर से नहीं तोड़ना चाहता हूं। मा0 नेता प्रतिपक्ष यहां पर नहीं हैं लेकिन मैं नेता प्रतिपक्ष को भी बधाई देना चाहता हूं कि यथासमय वह समय निकालकर यहां बैठे रहे और उन्होंने कार्यवाही में हिस्सा लिया, वरिष्ठतम थे मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के नेता मा0 ओम प्रकाश सिंह जी ने भी समय-समय पर जितना उनसे बन सका सदन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया और उनके अनुभव का हमने लाभ उठाया। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक बात मान्यवर, जरूर कहना चाहता हूं कि सचिवालय कर्मी अगर अपने कर्तव्य का पालन न करें तो हम सब शायद कुछ न कर पायें। उन्होंने किया आपने 2500 रुपये की घोषणा की कुछ हम लोगों की तरफ से बढ़ाकर कर देंगे तो अच्छा रहेगा नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। वैसे लालजी वर्मा जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूं पहली बार कहने पर वह अपने बच्चों को भी कुछ नहीं देते हैं इनके यहां से शिकायत यह है, अभी चार-पांच दिन पहले इनकी पत्नी का फोन आया था मेरे पास वह कह रही थी मुझसे मान्यवर, कि वर्मा जी को सिखाइये कि इन[illegible] सदन में आदत ना-ना करने की पड़ गई है अब घर में भी हम इनसे कोई कायदे की [illegible] कहते हैं तो भी यह ना-ना करने लगते हैं। तो इनकी ना-ना कहने की आदत छूटनी चाहिये हर बात पर ना-ना कहना अच्छा नहीं होता है। कभी-कभी ऐसे मौके हाथ से निकल जायेंगे कि जिन्दगी भर पछताइएगा।

(श्री रंगनाथ मिश्र जी के कुछ कहने पर)

मान्यवर, मैं इनका दर्द समझ सकता हूं। इनके पास एक फोन आया था उसके बाद लौटकर इनको फोन नहीं मिला। तो रंगनाथ जी तो है ही रंगनाथ। कोई बात नहीं, मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा वातावरण रहा मुझे यह पीड़ा जरूर है कि यह सदन भरा पूरा होता। उसमें हम विदा लेते तो ज्यादा अच्छा होता।

पत्रकार बन्धुओं को भी मैं बधाई देना चाहता हूं बिना उनको सम्बोधित किये हुए कि मान्यवर, कुल मिलाकर जो रिपोर्टिंग हुई इस बार, सदन की रिपोर्टिंग बहुत अच्छी हुई और सकारात्मक हुई इसके लिये मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन मान्यवर, इन सबके ऊपर अगर आप अनुमति दें बधाई देने की तो मैं पहली बार निर्वाचित होकर जो मा0 सदस्य आयें हैं, मैं आठवीं बार विधान सभा में आया हूं मैंने पहली बार सदन की कार्यवाही में नये सदस्यों को बढचढ़कर हिस्सा लेते पहली बार देखा है। इसके लिये मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि यह असंभव काम नहीं है जैसे यत्न किया है थोड़ा सा और यत्न करिये। धीरे-धीरे यह संकोच खत्म हो जायेगा। झिझक खत्म हो जायेगी और एक बहुत ही अच्छे संसदीय पार्लियामेंट्रियन के रूप में आप उभरकर सामने आयेंगे और आपको यह श्रेय मिलेगा। ईश्वर से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जो नये सदस्य चुनकर आये हैं उनका संसदीय जीवन सफल हो। इसकी कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से और कांग्रेस विधान मण्डल दल की ओर से, बहुत से दल हैं वह बोलेंगे, कोई छोटे दल हैं लेकिन उन्होंने भरपूर भागीदारी निभाई हमारे साथी जनमोर्चा है हमारे कई दल हैं परिवर्तन दल, सभी दल के साथियों ने हिस्सेदारी की है और कुल मिलाकर सदन का वातावरण, आज जब हम विदा ले रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि नया परिवार जो हमारा बना था उससे विदा ले रहे हैं। विदाई का दुख भी है, कष्ट भी है लेकिन हम चाहते हैं कि विदाई ज्यादा लम्बी न हो। यह संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा नियमावली का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं क्योंकि नियमावली बन्द हो गई है पर नियमावली का 14 आप देखें उसमें एक संशोधन हुआ है कि यथासंभव हर दो महीने पर दस दिन के लिये सदन बुलाया जाए। तो अगर उस नियमावली का ध्यान रखते हुए हम दो-दो महीने पर मिलते रहें तो बहुत सी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। उसकी तरफ उल्लेख करते हुए मैं एक बार फिर अध्यक्ष महोदय आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व और कुशल संरक्षण में उत्तर प्रदेश गौरवशाली परम्परा को फिर कायम करेगा और एक बार फिर यहां संसदीय जीवन फिर एक अच्छे वातावरण में उत्पन्न होगा और यहां जो भी कहानी लिखी जायेगी वह विकास की कहानी होगी, प्रेम की कहानी होगी, मान्यवर, वैमनस्य की कहानी नहीं होगी और इसके लिये लोकतंत्र में कोई जगह नहीं होती। इन शब्दों के साथ मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

* श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, बजट सेशन एक महत्वपूर्ण सदन का सेशन होता है। अच्छा तो यह होता कि हमारे साथी भी साथ होते, जो चले गये छोड़कर। मगर लग रहा था कि कुछ दिनों से कि वह कुछ बेचैन हैं और शायद यही कारण हुआ कि उनकी बेचैनी और बढ़ जाती अगर हम सदन ज्यादा लम्बा चलाते। वह नहीं हैं यह अच्छा नहीं लग रहा है मगर फिर भी मान्यवर आपकी अध्यक्षता में यह सदन बहुत अच्छी खूबी के साथ चला, थोड़े से घण्टों में जो भी थोड़ा बहुत हुआ, वह जरूर रहा, मगर 27 जून से यह सत्र चलता रहा, यह बड़े अच्छे तरीके से चला और सबसे बड़ी खूबी जो है कि हमारे जो नये सदस्य हैं यह बात सही कही कि उन्होंने जितना इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, कम बार हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने इस तरह से हिस्सा लिया और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में वे अच्छे पार्लियामेंटेरियन बनेंगे। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो दो तीन घोषणायें की, विधायक निधि की, रोजगार की रकम बढ़ाने की, ये सारी घोषणायें कामयाब घोषणायें हैं और मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने दल की तरफ से और अपनी तरफ से यह उम्मीद करता हूं कि जब अगली बार हम लोग आयें तो ये भी मौजूद हों, अच्छे वातावरण में हों, यह न हो कि सदन के अन्दर कुछ होने का खतरा रहेगा। कम से कम ये लोग भी इसका दिखावा करें। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष-

इस सत्र के सभी उपवेशनों में और इस सत्र के संचालन में जो सहयोग नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, नेता भारतीय जनता पार्टी, नेता कांग्रेस पार्टी, नेता लोकदल और अन्य हमारे दलों के साथियों ने एक अच्छे वातावरण में जो सहयोग दिया, मैं सर्वप्रथम सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट कर रहा हूं कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने जिस तरह से सदन संचालन में नियमों और परम्पराओं का पालन करते हुए पूरा सहयोग करने की कोशिश की है, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूं। साथ ही मंत्रि-परिषद् के तमाम मंत्रीगण ने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सदन में उपस्थित होकर जो सहयोग दिया है, मैं उन मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं और हमारे नये सदस्य, मैं भी इस सदन का सदस्य रहा हूं, लेकिन नये सदस्यों में जो उत्साह रहा और जो उनकी एक इच्छा थी, इस सदन में मय सूचनाओं से ले करके बजट भाषण तक अपनी सहभागिता दिखाई, यह बहुत अच्छा शुभ लक्षण था कि प्रथम बार मा0 नये सदस्यों ने सदन में बढ़ चढ़कर कार्यवाही में जो हिस्सा लिया इसके लिये हर समाचार-पत्रों में भी सराहना हुई कि नये सदस्यों का अच्छा बोलबाला रहा, सदन के संचालन में और अपनी विद्वता और समय की जानकारी के आधार पर हर कार्यवाही में हिस्सा लिया। इस सदन संचालन में अपने सचिवालय के प्रमुख सचिव जी, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, रिपोर्टर और अन्य हमारे कर्मचारी, अधिकारीगण

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[illegible] और जितने भी सफाई कर्मी हैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा [illegible] मैं 11.00 बजे पूर्वाह्न सदन में पहुंचता हूं तो सदन को उन्होंने पूरी तरह से स्वच्छ एवं [illegible] वह भी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे तमाम पत्रकार भाइयों ने सदन की गरिमा को [illegible] अपने आधार पर सदन की कार्यवाही को [illegible] की कोशिश की, कहीं पर भी [illegible] हमें दिखाई नहीं पड़ा। [illegible] नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और आप सबके सहयोग से इस सदन में पहली [illegible] मुझे इस पद पर आसीन होने पर सदन संचालन की जिम्मेदारी मिली। मैंने उस बार भी धन्यवाद दिया था, अब भी दे रहा हूं कि मेरे अकेले बस की बात नहीं है कि मैं मर्यादाओं, नियमों का पालन करूं। सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी माननीय सदस्यों, नेताओं के सहयोग से मैंने भरपूर कोशिश की है कि सदन कभी एक पक्षीय न होने पाये। कहीं इस तरह की कटुता का वातावरण न बनने पाये किसी के आचरण और भाषाओं में अगर कहीं कटुता का वातावरण बना तो मैंने भरपूर कोशिश की है कि यह कटुता का माहौल खत्म होकर एक हंसी और भाईचारा का माहौल बने। यह हमारी कोशिश रही, इस कोशिश में माननीय तिवारी जी, कौकब साहब या नेता प्रतिपक्ष और नेता भारतीय जनता पार्टी और हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी सहयोग दिया है। हमारे बीच में मंत्रिपरिषद् के वरिष्ठ सदस्य, माननीय सिद्दीकी साहब, कुशवाहा जी, राय साहब, ऊर्जा मंत्री जी, माननीय इन्द्रजीत सरोज जी ने नये सदस्यों को जिस निश्चितता के साथ उत्तर देने का काम किया, हमारे नये मंत्रियों ने भी इसे एक आदर्श के रूप में स्वीकार किया। मैं मंत्रि-परिषद् के सभी सदस्यों, नये सदस्यों के प्रति भी शुभकामनायें व्यक्त करता हूं। मैं इस बात का विश्वास दे रहा हूं कि सदन चले, लम्बे समय तक चले, लम्बे समय तक डिबेट हो, मैं इस बात का पक्षधर हूं और माननीय तिवारी जी या कौकब साहब बीच-बीच में हास परिहास का जो वातावरण बनाये हैं यह भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक आधार है। बीच में हंस बोलकर सदन को गम्भीरता से हटकर सरलता में लाने की इन्होंने कोशिश की है, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं पुनः सभी सदस्यों को सदन के संचालन में सहयोग के लिये आभार प्रकट करता हूं और आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आपका स्नेह, सहयोग और प्रेम इसी तरह मिलता रहे तो मैं निश्चित तौर पर संसदीय परम्पराओं का पालन तथा नियमावली और संविधान की व्यवस्थाओं का पालन करते हुए, सदन को अच्छे संचालन के लिये आपके साथ मिलजुलकर अच्छा चलाने का प्रयास करता रहूंगा। हमें इस सदन में सबका सहयोग मिला है, यह बहुत अच्छी बात है। अन्त में मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और सभी नेताओं और सदस्यों जो उपस्थित नहीं हैं उनका और जो उपस्थित हैं उनको भी एक बार पुनः शुभकामना व्यक्त करता हूं। जाने अंजाने में कोई अगर कटुता हो गई हो या व्यवस्था देने में उनको कष्ट हुआ हो या कहीं मेरी व्यवस्थाओं से किसी को कोई तकलीफ हो तो उसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं और पुनः सबके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं।

सदन के अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

अब जन-गण-मन होगा।

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चितकाल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 5 बजकर 15 मिनट पर अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 17 जुलाई, 2007

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये ता0प्र0सं0-8 का उत्तर पीछे पृष्ट 26 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2007 के तृतीय मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-8 (घ) का संलग्नक

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा सत्र 2004-05 में लिये जाने वाले शुल्क का विवरण

कला संकाय (धनराशि रुपये में)

क्र0सं0	मद	बी0ए0	एम0ए0	डी0पी0ए0	डी0एफ0ए0	एम0फिल0	पी-एच0 डी0/डी0 लिट्	बी0एल0 आई0सी0
1	प्रवेश शुल्क	50	50	50	50	100	100	100
2	क्रीड़ा शुल्क	50	50	50	50	50	50	50
3	पुस्तकालय शुल्क	50	75	75	50	100	150	75
4	शिक्षण शुल्क	144	180	180	144	240	180/216	180
5	छात्र संघ शुल्क	65	65	65	65	65	65	65
6	डेलीगेसी शुल्क	15	15	15	15	15	15	15
7	निर्धन छात्र कोष	50	50	50	50	50	50	50
8	परीक्षा शुल्क	500	600	600	400	600	--	600
9	विकास शुल्क	130	135	125	130	280	280	525
10	सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	20	20	20	20	20	20	20

क्र0सं0	मद	पी0जी0 डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन	पी0जी0 डिप्लोमा इन लिंगस्टिक
1	प्रवेश शुल्क	50	50
2	क्रीड़ा शुल्क	50	50
3	पुस्तकालय शुल्क	75	75
4	शिक्षण शुल्क	180	180
5	छात्र संघ शुल्क	65	65

क्र0सं0	मद	पी0जी0 डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन	पी0जी0 डिप्लोमा इन लिंगस्टिक
6	डेलीगेसी शुल्क	15	15
7	निर्धन छात्र कोष	50	50
8	परीक्षा शुल्क	600	600
9	विकास शुल्क	125	125
10	सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	20	20

विज्ञान संकाय

क्र0सं0	मद	बी0एस0 सी0	एम0एस0 सी0	एम0 फिल0	पी-एच0डी0/ डी0एस0सी0	एम0एम0सी0 गणित/सांख्यिकी
1	प्रवेश शुल्क	50	50	100	100	50
2	क्रीड़ा शुल्क	50	50	50	50	50
3	पुस्तकालय शुल्क	50	75	100	150	75
4	शिक्षण शुल्क	180	216	240	180/216	180
5	छात्र संघ शुल्क	65	65	65	65	65
6	डेलीगेसी शुल्क	15	15	15	15	15
7	निर्धन छात्र कोष	50	50	50	50	50
8	परीक्षा शुल्क	500	600	600	--	600
9	विकास शुल्क	130	135	280	280	135
10	सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	20	20	20	20	20

शिक्षा संकाय

क्र0सं0	मद	एम0ए0	बी0एड0	एम0एड0	पी-एच0 डी0/डी0 लिट्
1	प्रवेश शुल्क	50	100	100	100
2	क्रीड़ा शुल्क	50	50	50	50
3	पुस्तकालय शुल्क	75	75	50	150

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	मद	एम0ए0	बी0एड0	एम0एड0	पी-एच0 डी0/डी0 लिट्
4	शिक्षण शुल्क	180	216	216	180/216
5	छात्र संघ शुल्क	65	65	65	65
6	डेलीगेसी शुल्क	15	15	15	15
7	निर्धन छात्र कोष	50	50	50	50
8	परीक्षा शुल्क	600	600	600	--
9	विकास शुल्क	135	525	525	280
10	सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	20	20	20	20

वाणिज्य संकाय

क्र0सं0	मद	बी0 काम0	एम0 काम0	पी0एच0डी0/डी0लिट्
1	प्रवेश शुल्क	50	50	100
2	क्रीड़ा शुल्क	50	50	50
3	पुस्तकालय शुल्क	50	75	150
4	शिक्षण शुल्क	144	180	180/216
5	छात्र संघ शुल्क	65	65	65
6	डेलीगेसी शुल्क	15	15	15
7	निर्धन छात्र कोष	50	50	50
8	परीक्षा शुल्क	500	600	--
9	विकास शुल्क	130	135	280
10	सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	20	20	20

एम0बी0ए0 प्रोग्राम (प्रति सेमेस्टर)

क्र0	विषय का नाम	शिक्षण शुल्क	विश्वविद्यालय इयूज	विकास शुल्क	सब/कम्प sub/comp
1	एम0बी0ए0 प्रति सेमेस्टर	4000	1500	5000	3500 1000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधि संकाय

क्र0सं0	मद	एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय	एल0एल0एम0 प्रति सेमेस्टर	एल0एल0डी0/पी0एच0डी
1	प्रवेश शुल्क	50	50	100
2	क्रीड़ा शुल्क	25	25	50
3	पुस्तकालय शुल्क	40	40	150
4	शिक्षण शुल्क	180	360	360
5	छात्र संघ शुल्क	32	32	65
6	डेलीगेसी शुल्क	8	8	15
7	निर्धन छात्र कोष	25	25	50
8	परीक्षा शुल्क	600	600	--
9	विकास शुल्क	100	130	280
10	सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	10	10	20

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा सत्र 2007-08 में लिये जाने वाले शुल्क का विवरण

क्र0 सं0	मद	बी0ए0	एम0ए0 सेमेस्टर	पी0एच0 डी0	डी0 लिट्	डी0पी0 ए0	डी0एफ0 ए0	एम0फिल	बी0 एल0 आई0 एस0 सी0
1	प्रवेश शुल्क	70	35	140	140	70	70	140	140
2	क्रीड़ा शुल्क	70	35	70	70	70	70	70	70
3	पुस्तकालय शुल्क	70	50	210	210	100	70	140	100
4	शिक्षण शुल्क	1470	1092	4284	4284	1974	1638	3864	2604
5	छात्र संघ शुल्क	75	37	75	75	75	75	75	75
6	डेलीगेसी शुल्क	20	10	20	20	20	20	20	20
7	निर्धन छात्र कोष	70	35	70	70	70	70	70	70
8	परीक्षा शुल्क	730	450	--	--	840	560	840	900
9	विकास शुल्क	183	94	411	411	197	203	417	687
10	सांस्कृतिक कार्यक्रम	28	14	28	-28	28	28	28	28

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	मद	बी0ए0	एम0ए0 सेमेस्टर	पी0एच0 डी0	डी0 लिट्	डी0पी0 ए0	डी0एफ0 ए0	एम0फिल	बी0 एल0 आई0 एस0 सी0
11	छात्र दुर्घटना निधि	50	25	50	50	50	50	50	50
12	योग	2836	1877	5358	5358	3494	2854	5714	4754
13	गवर्नमेंट एड इन ट्यूशन फी	1326	1002	4068	4068	1794	1494	3624	2424
14	पेड बाई स्टूडेन्ट + एडिशनल फी	1510	875	1290	1290	1700	1360	2090	2330

पी0जी0 डिप्लोमा

क्र0सं0	मद	पी0जी0 डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन	पी0जी0 डिप्लोमा इन लिंगस्टिक	एम0ए0 फार ओल्ड स्टूडेन्ट
1	प्रवेश शुल्क	70	70	70
2	क्रीड़ा शुल्क	70	70	70
3	पुस्तकालय शुल्क	100	100	100
4	शिक्षण शुल्क	2184	2184	2184
5	छात्र संघ शुल्क	75	75	75
6	डेलीगेसी शुल्क	20	20	20
7	निर्धन छात्र कोष	70	70	70
8	परीक्षा शुल्क	900	900	900
9	विकास शुल्क	187	187	187
10	सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	28	28	28
11	छात्र दुर्घटना निधि	50	50	50
12	योग	3754	3754	3754
13	गवर्नमेंट एड इन ट्यूशन फी	2004	2004	2004
14	पेड बाई स्टूडेन्ट + एडिशनल फी	1750	1750	1750

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विज्ञान संकाय

क्र0 सं0	मद	बी0एस0 सी0	एम0एस0 सी0 सेमेस्टर	एम0 फिल0	पी-एच0डी0	डी0एस0सी0	एम0एम0सी0 ओल्ड स्टूडेन्ट
1	प्रवेश शुल्क	70	35	140	140	140	70
2	क्रीड़ा शुल्क	70	35	70	70	70	70
3	पुस्तकालय शुल्क	70	50	140	210	210	100
4	शिक्षण शुल्क	1470	1092	3864	4284	4284	2184
5	छात्र संघ शुल्क	75	37	75	75	75	75
6	डेलीगेसी शुल्क	20	10	20	20	20	20
7	निर्धन छात्र कोष	70	35	70	70	70	70
8	परीक्षा शुल्क	730	450	840		--	900
9	विकास शुल्क	182	96	417	411	411	186
10	सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	28	14	28	28	28	28
11	छात्र दुर्घटना निधि	50	25	50	50	50	50
12	योग	2835	1879	5714	5358	5358	3735
13	गवर्नमेंट एड इन ट्यूशन फी	1290	984	3624	4068	4068	1968
14	पेड बाई स्टूडेन्ट + एडिशनल फी	1645	895	2090	1290	1290	1785

शिक्षा संकाय

क्र0 सं0	मद	एम0ए0 ओल्ड स्टूडेन्ट	बी0एड0	एम0एड0	पी-एच0डी0	डी0लिट्	एम0ए0 प्रति सेमेस्टर
1	प्रवेश शुल्क	70	140	70	140	140	35

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	मद	एम0ए0 ओल्ड स्टूडेन्ट	बी0एड0	एम0एड0	पी-एच0डी0	डी0लिट्	एम0ए0 प्रति सेमेस्टर
2	क्रीड़ा शुल्क	70	70	35	70	70	35
3	पुस्तकालय शुल्क	100	100	50	210	210	50
4	शिक्षण शुल्क	2184	2604	1302	4284	4284	1092
5	छात्र संघ शुल्क	75	75	37	75	75	37
6	डेलीगेसी शुल्क	20	20	10	20	20	10
7	निर्धन छात्र कोष	70	70	35	70	70	35
8	परीक्षा शुल्क	900	900	450	--	--	450
9	विकास शुल्क	187	701	351	411	411	94
10	सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	28	28	14	28	28	14
11	छात्र दुर्घटना निधि	50	50	25	50	50	25
12	योग	3754	4758	2379	5358	5358	1877
13	गवर्नमेंट एड इन ट्यूशन फी	2004	2388	1194	4068	4068	1002
14	पेड वाई स्टूडेन्ट + एडिशनल फी	1750	2370	1185	1290	1290	875

वाणिज्य संकाय

क्र0सं0	मद	बी0 काम0	एम0 काम0 फार ओल्ड स्टूडेन्ट	पी-एच0डी0	डी0लिट्	एम0काम0 (सेमेस्टर)
1	प्रवेश शुल्क	70	70	140	140	35
2	क्रीड़ा शुल्क	70	70	70	70	35

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	मद	बी0 काम0	एम0 काम0 फार ओल्ड स्टूडेन्ट	पी-एच0डी0	डी0लिट्	एम0काम0 (सेमेस्टर)
3	पुस्तकालय शुल्क	70	100	210	210	50
4	शिक्षण शुल्क	1470	2184	4284	4284	1092
5	छात्र संघ शुल्क	75	75	75	75	37
6	डेलीगेसी शुल्क	20	20	20	20	10
7	निर्धन छात्र कोष	70	70	70	70	35
8	परीक्षा शुल्क	730	900	--	--	450
9	विकास शुल्क	183	187	411	411	94
10	सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	28	28	28	28	14
11	छात्र दुर्घटना निधि	50	50	50	50	25
12	योग	2836	3754	5358	5358	1877
13	गवर्नमेंट एड इन ट्यूशन फी	1326	2004	4068	4068	1002
14	पेड बाई स्टूडेन्ट + एडिशनल फी	1510	1750	1290	1290	875

एम0बी0ए0 प्रति सेमेस्टर-

1-शिक्षण शुल्क	--	10000
2-परीक्षा शुल्क	--	100
3-विश्वविद्यालय ड्यूज	--	663
4-विकास शुल्क	--	7000
5-सब (Sub)	--	3000
6-कम्प्यूटर	--	1500
योग :		23163
गवर्नमेंट पेड		4000
स्टूडेन्ट पेड		19163

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधि संकाय

क्र0सं0	मद	एल0एल0बी0 (सेमेस्टर)	एल0एल0एम0 (सेमेस्टर)	पी0एच0डी0	एल0एल0डी0
1	प्रवेश शुल्क	70	70	140	140
2	क्रीड़ा शुल्क	35	35	70	70
3	पुस्तकालय शुल्क	56	56	210	210
4	शिक्षण शुल्क	2520	2520	4284	4284
5	छात्र संघ शुल्क	37	37	75	75
6	डेलीगेसी शुल्क	14	14	20	20
7	निर्धन छात्र कोष	35	35	70	70
8	परीक्षा शुल्क	840	840	--	--
9	विकास शुल्क	148	148	411	411
10	सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	14	14	28	28
11	छात्र दुर्घटना निधि	25	25	50	50
12	योग	3794	3794	5358	5358
13	गवर्नमेंट एड इन ट्यूशन फी	2340	2160	4068	4068
14	पेड थाई स्टूडेन्ट + एडिशनल फी	1454	1634	1290	1290

नोट :-उपरोक्त समस्त विवरण विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर आधारित है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 366 विधान सभा (705)-03-01-2008-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।